खण्ड–34, अंक–10
शुक्रवार, 18 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934
(08 जून, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2012)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 34 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	''क''
प्रश्नोत्तर	1–16
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	16
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के तल्ला सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के उपरान्त भी महाविद्यालय न खुलने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	16
जनपद देहरादून के विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा आरकेडिया में पुनः पेयजल पुनर्गठन के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	17
गंगा नदी में गन्दे नाले मिलने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	17
देहरादून में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे (आई0एस0बी0टी0) के संचालन में रैमकी कम्पनी द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं से पर्यटकों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	17–18
जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत थत्यूड़ से दुगड्डा–देवाबगसिल मोटर मार्ग गत वर्ष की बरसात से अनेकों स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	18
प्रदेश में 01 सितम्बर, 1994 को खटीमा क्षेत्र में हुये गोलीकाण्ड में हताहत हुये बहुत से लोगों को अभी तक प्रमाण–पत्र नहीं मिलने से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	18
जनपद पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक के अन्तर्गत नौगांव–तुनाखाल मुख्य मोटर मार्ग पर ईड़ाखाल से सगोड़ा मैणा होते हुये पिलखेरा तक ब्रेस्ट बाल बनाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	19
जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत किच्छा शहर की जल निकासी रेलवे द्वारा अवरुद्ध करने से महामारी फैलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	19

विषय	पृष्ठ–संख्या
विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में जलस्रोत सूखने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	20
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के एकमात्र राजमार्ग लक्ष्मणझूला–दुगड्डा मोटर मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	20
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के प्रा0पा0 ख्वातड़ी के भवन की जीर्ण–शीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	20–21
प्रदेश में एल0टी0/एच0टी0 विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु बनाये गये विनियमन 2007 से सेवा प्रदाता कम्पनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	21
हरिद्वार नगर निगम से हटाये गये 47 कर्मचारियों को पुनः सेवा में रखने के बाद आज तक वेतन न देने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	21–22
जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड धारी के अन्तर्गत किसानों के लिए अतिलाभकारी गिनी मजूली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	22
प्रदेश में मलिन बस्तियों के विकास तथा नियमितीकरण किये जाने के मांग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	22
देहरादून शहर के मध्य बहने वाली बिन्दाल और रिस्पना नदी में कूड़ा डालने व सफाई व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में विगत वर्षों में आई आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई गूलों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	23
उत्तराखण्ड सचिवालय में सम्बद्ध चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का संविलियन आदेश में द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों की भांति संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	24

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु किसानों को मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	24
जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम ऐचता में सिंचाई विभाग एवं वन विभाग की भूमि पर बसे लोगों को आवासीय पट्टा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	25
जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढूंगी के अन्तर्गत ग्राम सभा दमुवाढूंगा खाम जवाहर ज्योति को राजस्व ग्राम सभा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	25
भारत सरकार के कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड शासन एवं लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्रोन्नति के मामले में शिथिलता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	26
कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619(2) के अधीन उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड का पंचम वार्षिक प्रतिवेदन (2005–2006), षष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन (2006–2007), सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन (2007–2008), अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन (2008–2009) तथा नवम् वार्षिक प्रतिवेदन (2009–2010) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	26–27
जनपद देहरादून के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में जंगलों से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से की जाने वाली सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	27
जनपद देहरादून के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच बहने वाली नदियों से बाढ़ सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	27
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग	27–29
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	29–30
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	30–31

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के ग्राम देवलचौड़ खाम में मुख्य सड़क से लिंक रोड 300 मीटर को बनाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	31
जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल की ग्राम सभा दोगड़ा में शहीद मुकेश जीना हाईस्कूल 10 कि0मी0 दूर एवं 10 कि0मी0 दूरी पर ज्योलीकोट हाईस्कूल के होने के कारण ग्राम सभा दोगड़ा में इण्टर कॉलेज के स्थापना के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	32
नियम–58 से नियम–300 में परिवर्तित सूचनाएं	32–35
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	35–44
वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–	45
अनुदान संख्या–01 विधान सभा (स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या–03 मंत्रि–परिषद (स्वीकृत)	45
अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन (स्वीकृत)	45–46
अनुदान संख्या–08 आबकारी (स्वीकृत)	46–50
अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल (स्वीकृत)	50–59
अनुदान संख्या–14 सूचना (स्वीकृत)	59–62
कार्य–मंत्रणा समिति की पुनः सिफारिश (स्वीकृत)	62–63
वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत):–	63
अनुदान संख्या–21 ऊर्जा	63–64
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग	64–69
वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत):–	69
अनुदान संख्या–21 ऊर्जा (स्वीकृत)	69
अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण (स्वीकृत)	69–70
अनुदान संख्या–23 उद्योग (स्वीकृत)	70

विषय	पृष्ठ–संख्या
अनुदान संख्या–27 वन (स्वीकृत)	70–71
उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक 2012 (पुरःस्थापित एवं पारित) ...	71–75
उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित) ...	75–105
उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 (पारित)	106–107
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	107
विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गणेश जोशी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शहरी विकास मंत्री का वक्तव्य	108
विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के रा0उ0मा0वि0 लखनाडी, जू0हा0 लोद, रा0इ0का0 मनसारीनाला चौड़ा, कन्या इ0का0 सोमेश्वर आदि विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय टम्टा, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	108–109
सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	109
राष्ट्रगान	110

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अजय भट्ट
3—डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्री अरविन्द पाण्डे
6—श्री आदेश चौहान
7—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8—श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9—श्री गणेश गोदियाल
10—श्री गणेश जोशी
11—श्री चन्दन राम दास
12—श्री चन्द्र शेखर
13—डा0 जीत राम
14—श्री तीरथ सिंह
15—श्री दलीप सिंह रावत
16—श्री दान सिंह भण्डारी
17—श्री दिनेश अग्रवाल
18—श्री दिनेश धनै
19—श्री नवप्रभात
20—श्री नारायणराम आर्य
21—श्री पुष्कर सिंह धामी
22—श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23—कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
24—श्री प्रदीप बत्रा
25—श्री प्रीतम सिंह
26—श्री प्रीतम सिंह पंवार
27—श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
28—श्री प्रेम सिंह
29—श्री बंशीधर भगत
30—श्री भीमलाल आर्य
31—श्री मदन कौशिक
32—श्री मदन सिंह बिष्ट
33—श्री मनोज तिवारी
34—श्री महावीर सिंह
35—श्री माल चन्द
36—श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
37—श्री यतीश्वरानन्द
38—श्री यशपाल आर्य
39—श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
40—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
41—श्री राजकुमार
42—श्री राज कुमार ठुकराल
43—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
44—श्री राजेश शुक्ला
45—श्री ललित फर्स्वाण
46—श्री विक्रम सिंह नेगी
47—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
48—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49—श्री बिशन सिंह चुफाल
50—श्रीमती शैला रानी रावत
51—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
52—श्री संजय गुप्ता
53—श्री सरवत करीम अंसारी
54—श्रीमती सरिता आर्या
55—श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
56—श्री सुबोध उनियाल
57—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
59—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
60—श्री हरक सिंह रावत
61—श्री हरबन्स कपूर
62—श्री हरभजन सिंह चीमा
63—श्री हरिदास
64—श्री हरीश धामी
65—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
66—श्री हेमेश खर्कवाल

शुक्रवार, दिनांक 08 जून, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

जनपद पौड़ी अन्तर्गत ग्राम डौर ग्राम सभा नगधार के विद्युत ट्रांसफार्मर न बदले जाने का कारण एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

**1—श्री तीरथ सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत ग्राम डौर, ग्राम सभा नगधार के विद्युत ट्रांसफार्मर जल जाने से उक्त गांवों की विद्युत आपूर्ति विगत 13 माह से बाधित है ?

यदि हाँ, तो आज तक उक्त ट्रांसफार्मर को न बदले जाने के क्या कारण है और इसके लिए कौन दोषी है तथा कब तक विद्युत ट्रांसफार्मर लगा दिया जायेगा ?

क्या सरकार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)—

दिनांक 01—06—2011 को ग्राम डौर ग्राम सभा नगधार में ट्रांसफार्मर जलते ही, ग्राम नगधार में स्थापित 25 के0वी0ए0 ट्रांसफार्मर से ग्राम डौर की विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी गयी थी। वर्तमान में ग्राम डौर ग्राम सभा नगधार में विद्युत आपूर्ति सुचारू एवं सामान्य है।

ग्राम डौर की विद्युत आपूर्ति नियमित एवं सामान्य होने के कारण क्षतिग्रस्त परिवर्तक को बदलने में विलम्ब हुआ। इसके लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं अवर अभियन्ता क्षतिग्रस्त परिवर्तक को ससमय नहीं बदलने के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रांसफार्मर शीघ्र ही लगा दिया जायेगा।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री तीरथ सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न के उत्तर में पूर्व में आया कि तत्काल ट्रांसफार्मर जलने पर ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है और विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से कर दी

गयी है। मान्यवर, इसके बाद उत्तर आया कि विलम्ब हुआ है और तत्काल क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर पर कार्यवाही होगी और उसके बाद ट्रांसफार्मर बदलने में विलम्ब हुआ है, यह भी स्वीकार किया गया है। पहले तो यह कहा गया कि तत्काल लगा दिया गया, फिर यह स्वीकार किया गया कि इसमें विलम्ब हुआ, यह क्या उत्तर है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैंने यह कहा कि आपकी विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से करने के लिये 25 के0वी0ए0 से विद्युत आपूर्ति करायी गयी और ट्रांसफार्मर अब लगाया गया, आपके प्रश्न के बाद।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, इसमें जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने लापरवाही की और इसमें जो दोषी पाये गये हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक कर देंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपका प्रश्न आया, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो गयी है।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, धन्यवाद। मेरा एक और प्रश्न है पोखड़ा ब्लॉक के अन्तर्गत पोंलाखाल गांव है, जिसमें एक महीने से ट्रांसफार्मर नहीं लगा है। ऐसे ही गडरी ग्राम सभा में खंदोली गांव है, इसमें भी ट्रांसफार्मर, जैसे मेरे संज्ञान में लाया गया है दो माह से नहीं लगा है, लोग अंधेरे में जी रहे हैं, ऐसे ही अनेक गांव प्रदेश के अन्दर और भी होंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैंने विद्युत विभाग के लोगों से यह कहा कि एक यह प्रश्न लगा है, इसलिए इनका ट्रांसफार्मर लग गया है तो ऐसे प्रदेश के अन्दर बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जहां विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है और जहाँ कहीं ऐसी स्थिति है वहां ट्रांसफार्मर लगा दिये जायं, विद्युत आपूर्ति की जाय। जो प्रश्न नहीं उठवा पा रहे हैं उनको तकलीफ न हो। मान्यवर, विभाग और शासन के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया है कि ऐसा कर दिया जायेगा।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जब ट्रांसफार्मर जल जाता है तो उसकी सूचना कार्यालय को दी जाती है, लेकिन जब कार्यालय से बार–बार उत्तर मिलता है कि ठेकेदार के पास लेबर नहीं है तो गांव वालों को जरूरत होती है और गांव वाले ही ट्रांसफार्मर को उठा लाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब ट्रांसफार्मर उठाने का टेण्डर होता है तो उस समय जिस ठेकेदार के पास परमानेंट लेबर हों, उसे टेण्डर देने पर विचार करेंगी ? मेरा दूसरा

प्रश्न है कि जब ट्रांसफार्मर फुंकने की सूचना दी जाती है तो इसे लगाने की कोई समय सीमा भी होनी चाहिए। कितने दिन के अन्दर ट्रांसफार्मर लगना चाहिए ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसके विपरीत मैंने जो सुझाव दिया है कि कुछ मुख्यालय पर ट्रांसफार्मर एक्स्ट्रा होने चाहिए, जिससे कि एक ट्रांसफार्मर फुंकने पर तुरन्त हम रिप्लेस कर दें। इसका टाईम बाउण्ड है, यदि जला हुआ ट्रांसफार्मर गारंटी पीरियड में है तो गारंटी पीरियड में उसका रिप्लेसमेंट हो। यह नहीं होना चाहिए कि महीनों तक ट्रांसफार्मर का पता ही न चले। इस सम्बन्ध में मैंने खुद निर्देश दिये हैं। इस कष्ट को हम सब जानते हैं। माननीय सदस्य भगत जी, आप खुश हैं।

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, हम तो आपको देखकर ही खुश हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विभाग से बार–बार उत्तर आता है कि लेबर नहीं हैं, तो उस पर क्या कार्यवाही होगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आज मैंने विद्युत पर बहुत बात की है। लाईन बाई लाईन नहीं बता रही हूँ। माननीय श्री विजय बहुगुणा जी के नेतृत्व में बिजली बड़ी अच्छी मिलेगी। (व्यवधान) आप परेशान होंगे कि ज्यादा बिजली मिल गयी है। (व्यवधान)

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में हाईटेंशन लाईन की चपेट में आने से कई लोगों की मृत्यु हो गयी है। अकेले मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो लोगों की मृत्यु हाईटेंशन लाईन की चपेट में आने से हुई है। क्या सरकार घनी आबादी वाले क्षेत्र में जहाँ पर हाईटेंशन लाईन जा रही है, उसको हटाएगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वैसे तो इसमें यह सवाल नहीं बनता लेकिन मैं आपकी शंका का निवारण कर देती हूँ। हाईटेंशन लाईन पहले लग गयी, आबादियाँ बाद में आयीं। विद्युत विभाग के नियम हैं कि यदि कोई लाईन हटवानी है तो उसका पैसा वे लोग दें जो उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। हाईटेंशन लाईन सबसे अधिक खर्चे की होती है, फिर भी जहाँ कहीं ऐसी घटनाएं घटी हैं, शासन ने उसका संज्ञान लिया है। माननीय जोशी जी, आप अगर लिखित में देंगे तो जरूर आपकी बात का संज्ञान लिया जाएगा।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, जैसा कि आपने कहा कि हाईटेंशन लाईन पहले की लगी हुई हैं। कई क्षेत्रों में ऐसा संज्ञान में आया है जैसे मैंने प्लॉट लिया, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली चला गया, जब 6 साल के बाद मैं दिल्ली से लौटा तो मैंने देखा कि मेरे प्लॉट के ऊपर से हाईटेंशन लाईन डाल दी गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लिख कर दे दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अब ऐसा करेंगे कि जिसके–जिसके प्लॉट होंगे, वह बाहर रहता होगा तो उसके प्लॉट की रखवाली सरकार करेगी। (व्यवधान)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, यह तो कोई जवाब नहीं हुआ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आनन्द लीजिए, थोड़ा हँसा भी करिये, आप तो गुस्से में ही रहते हैं हर समय।

श्री दलीप सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, जिस ब्लॉक का मामला अभी माननीय श्री तीरथ सिंह जी ने उठाया, उसके डिवीजन में एस0डी0ओ0 नहीं है, जे0ई0 नहीं हैं। यह सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यह बहुत गम्भीर मामला है एक–एक, डेढ़–डेढ़ महीने तक वहाँ कम्प्लेन नहीं लिखी जाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोटद्वार डिवीजन में सबसे पहले एस0डी0ओ0 और जे0ई0 की व्यवस्था की जाय।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रश्न तो यह भी नहीं बनता लेकिन यह सही है कि स्टाफ की बहुत कमी है और स्टाफ की कमी के आंकड़े मांगे जा रहे हैं, इसमें ` 100 करोड़ खर्च होगा। एक ही विभाग में कमी नहीं है, सभी विभागों में है। मैं सबके आंकड़े लाई हूँ। (व्यवधान) अभी मेरे पास उत्तर आया है, भर्ती चल रही है, सबसे पहले कोटद्वार भेज देंगे।

श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, तराई क्षेत्र में ऊधमसिंह नगर जिले का मुख्यालय है रुद्रपुर। रुद्रपुर और हल्द्वानी के स्टोर में आज एक भी ट्रांसफार्मर नहीं है। आज मेरी विधान सभा में 5 स्थानों पर ट्रांसफार्मर फुंके हुए हैं, इसके कारण लोग अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से। मेरा कहना यह है कि रुद्रपुर में ट्रांसफार्मर पहुँचे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपको देख कर तो ट्रांसफार्मर का करन्ट भी गड़बड़ा गया होगा। ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हो रही है। (व्यवधान) सब जगह बिजली मिलेगी।

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–02 पर माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हरीश धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मौका दिया जाय, बहुत गम्भीर मामला है मेरे क्षेत्र का। (व्यवधान)

तारांकित प्रश्न

*1–श्री गणेश जोशी–

स्थगित।

प्रदेश के श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाये जाने पर विचार

*2–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में श्रमिकों को दी जा रही न्यूनतम मजदूरी की दरें दूसरे निकटवर्ती राज्यों की अपेक्षा अत्यधिक कम है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी की दरों को बढ़ाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल)–

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दरें उत्तर प्रदेश की तुलना में कृषि कार्य नियोजन में अधिक व अन्य अनुसूचित नियोजनों में कम हैं परन्तु हिमाचल प्रदेश की तुलना में चाय बागान नियोजन को छोड़कर अन्य अनुसूचित नियोजनों में अधिक हैं।

जी हाँ।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य में अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एवं स्किल्ड की दरें क्या हैं ? और देश

की राजधानी दिल्ली से वह कितनी कम है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है और सरकार भी बार–बार कह रही है कि हम श्रमिकों का कल्याण करेंगे तथा कान्ट्रेक्ट प्रणाली से उनको मुक्ति दिलायेंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार के जो संस्थान हैं, जैसे विधान सभा भवन है, सचिवालय है और विधायक निवास है, जो वहां पर श्रमिक हैं, क्या उनको कान्ट्रेक्ट लेबर से मुक्ति मिलेगी ? यदि मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान भी इस प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या सरकार उन श्रमिकों को चैक के माध्यम से भुगतान करायेगी, क्योंकि लेबर अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि 90 प्रतिशत से अधिक लेबर यदि कान्ट्रेक्ट से होगी तो उनको चैक से भुगतान किया जायेगा। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि न्यूनतम दरों के अलावा सरकार क्या उनको और भी सुविधायें देगी और यदि देगी तो वह सुविधायें क्या–क्या होंगी ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछे हैं, मैं उनके पहले प्रश्न का उत्तर दे दूं कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दर ` 100 दैनिक है और वर्तमान में उत्तराखण्ड में ` 120 देने का प्रावधान है और हिमाचल प्रदेश में ` 120 दैनिक है, और उत्तराखण्ड के चाय बागान नियोजन में न्यूनतम मजदूरी की दर ` 105 है, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं ....।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैंने पूछा कि यहां की न्यूनतम दरें कितनी हैं और दिल्ली से कितनी कम हैं ? (व्यवधान) मान्यवर, देश की राजधानी से भी तुलना होनी चाहिये।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, उत्तराखण्ड में चाय बागान, कृषि कार्य के अतिरिक्त अधिकांश नियोजनों, हौजरी उद्योग, कालीन बुनाई, तम्बाकू निर्माण, अभियंत्रण उद्योग, अभियंत्रण इकाईयां, नियोजन काष्ठ कला ....।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैंने तो न्यूनतम दरें जाननी चाही है और देश की राजधानी से वह कितनी कम है ? (व्यवधान)

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत सही सवाल उठाया है, जो हमारी न्यूनतम वेजेज हैं, उनके पुनरीक्षण के लिये एक कमेटी गठित कर दी गई है, अण्डर दि मिनिमम वेजज एक्ट और हर क्षेत्र, जहां–जहां पर काम किया जा रहा है, चाहे कान्ट्रेक्ट में करेंगे या डाईरेक्ट एम्प्लाई में करेंगे, हर इण्डस्ट्री के हर क्षेत्र की न्यूनतम वेजेज का रिवीजन

हो रहा है और आब्जेक्शन को क्लियर करने के लिये टाईम मांगा गया है, अगले साठ दिनों में उत्तराखण्ड की जो न्यूनतम वेजेज होगी, वह अन्य राज्यों से ज्यादा होगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, मैंने दो और प्रश्न पूछे थे कि जो यहां पर कान्ट्रेक्ट पर लेबर काम कर रही है, सचिवालय, विधान सभा, भवन और ट्रांजिट हॉस्टल में, क्योंकि हम लोग बार–बार उद्योगपतियों के बारे में यहाँ कहते आ रहे हैं कि श्रमिकों के हितों का ध्यान नहीं रखते हैं। जो हमारे विधायक निवास में कार्य कर रहे हैं कि उनको 12–12 घण्टे में ` 1800–2000–2200 ही दिये जा रहे हैं, उनको क्या सरकार चैक से भुगतान करना सुनिश्चित करेगी और क्या–क्या सुविधायें सरकार उनको देने का कार्य करने जा रही है ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, वह कान्ट्रेक्ट बेस पर हैं, उनको चैक से भुगतान का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, जब माननीय मंत्री जी इस प्रकार का उत्तर देंगे, मान्यवर, श्रम विभाग से भी पता किया जा सकता है कि यदि कान्ट्रेक्ट लेबर में भी कर्मचारी काम करते हैं और ठेकेदारों को हम पैसे दे रहे हैं, उनको चैक से भुगतान करने में क्या दिक्कत है। वे हमसे ` 4000 प्रति वर्कर ले रहे हैं, कहा जा रहा है कि चैक से भुगतान नहीं होगा, यह बहुत गम्भीर बात है।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, जिस माध्यम से वह श्रमिक रखे गये हैं, उसको देना चाहिए और उसका भुगतान करना चाहिये। इसमें यदि कोई नहीं कर रहा है, तो उसकी हम जांच करवायेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, चैक से भुगतान देंगे कि नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, आपका उत्तर आ गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि चैक से भुगतान नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने साफ उत्तर दे दिया है, आप कृपया बैठिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि चैक से भुगतान नहीं करेंगे, अगर ऐसा होगा तो हम उस पर कैसे रोक लगायेंगे। मान्यवर, मैं इस ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि चैक से भुगतान नहीं किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर मामला है, सरकार चैक से भुगतान क्यों नहीं करना चाह रही है। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, इसका मतलब हम स्वयं चाह रहे हैं कि उनका शोषण हो। मान्यवर, अगर सरकार प्रिंसिपल इनवायर है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है माननीय अध्यक्ष जी, कैसी बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम लोग स्वयं चोरी को रोकना नहीं चाह रहे हैं तो हम कैसे उद्योगपतियों को ऐसा करने से रोकेंगे ? (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में ठेकेदार को निर्देशित कर दिया जायेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, निर्देशित किया जा रहा है, निर्देशित क्या होता है। अगर इनकी कांट्रेक्ट की क्लाज होती और उसमें लिखा होता कि 90 प्रतिशत श्रमिकों को चैक से भुगतान किया जाएगा। (व्यवधान) मान्यवर, एक प्रश्न मेरा और रह गया है।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, ठेकेदार की एक व्यवस्था है उस व्यवस्था के अन्तर्गत ठेकेदार से कहा जायेगा कि चैक द्वारा भुगतान किया जाय। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

[illegible]
क से देने का जब प्रोविजन है तो पहले ही इसमें आ जाना चाहिए था कि चेक से देना है, अनावश्यक समय बरबाद होता है।

श्री विजय बहुगुणा–

मान्यवर, सदन में बात उठी है, इसका संज्ञान ले लिया गया है। निश्चित रूप से कांट्रेक्ट लेबर पर जो भी अबार्ड करेंगे, उसमें क्लाज लगायेंगे कि चैक से पेमेंट करो। (मेजों की थपथपाहट)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, एक प्रश्न (व्यवधान) मान्यवर, मैंने तीन अनुपूरक पूछे थे, एक का उत्तर नहीं आया है। मेरा मूल प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूँगा, उनकी तरफ से जवाब आया है माननीय अध्यक्ष जी, एक और छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, प्रत्येक प्रश्न पर चार अनुपूरक पूछे जा सकते हैं और आप पाँच पूछ चुके हैं। बैठिये आप।

नगरपालिका काशीपुर में कचरे निस्तारण हेतु बायो–डी–ग्रेडेबल प्लांट लगाये जाने पर विचार

*3–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार नगरपालिका परिषद काशीपुर में कचरे के निस्तारण हेतु बायो–डी–ग्रेडेबल प्लांट लगाये जाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शहरी विकास एवं पशुपालन मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

जी हाँ।

ए0डी0बी0 वित्त पोषित योजना के चतुर्थ चरण (ट्रांच–4) में नगरपालिका परिषद, काशीपुर में कचरे के निस्तारण हेतु बायो–डी–ग्रेडेबल प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

देहरादून के आवासीय परिसरों में अवैध रूप से संचालित दुग्ध डेयरियों पर कार्यवाही

*4–श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि देहरादून में आवासीय परिसरों में अवैध रूप से दुग्ध डेयरी संचालित की जा रही है ?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि डेयरी फार्मों से निकलने वाले अपशिष्ट से आस–पास का वातावरण दूषित हो रहा है ?

यदि हाँ, तो सरकार अवैध रूप से संचालित डेयरियों पर कार्यवाही किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

जी हाँ।

नगर निगम अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गंदगी उत्पन्न करने वाले डेयरी स्वामियों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा चालान की कार्यवाही के साथ–साथ दण्ड प्रक्रिया, 1973 की धारा–133 के अन्तर्गत नगर मजिस्ट्रेट को भी कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा मैंने प्रश्न पूछा था कि देहरादून में आवासीय परिसरों में अवैध रूप से दुग्ध डेयरी संचालित की जा रही है ? माननीय मंत्री जी का जवाब है, हाँ। यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी को यह भी अवगत हैं कि डेयरी फार्मों से निकलने वाले अपशिष्ट से आस–पास का वातावरण दूषित हो रहा है ? माननीय मंत्री जी ने कहा, हाँ। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जब आप स्वीकार कर रहे हैं तो क्या इसको शहर से बाहर ले जाने की कोई योजना आपने बनायी है ? मेरी जानकारी में है कि पूर्व में इन डेयरियों को शहर से बाहर ले जाने की योजना बनायी गयी थी और आज कई सालों के बाद भी इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कब तक इन डेयरियों को शहर से बाहर ले जाया जायेगा ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, सर्वप्रथम आपने कहा कि गंदगी जो फैलती है उसके लिए, तो मान्यवर, यह प्रायः देखा जाता है कि जहां कहीं भी डेयरियाँ अवैध रूप से चल रही हैं और गन्दगी फैला रही हैं तो उनके प्रॉपर चालान किये जाते हैं और साफ–सफाई का ध्यान रखा जाता है। दूसरा आपने कहा कि शहर से बाहर ले जाने की कोई योजना है। तो मान्यवर, माननीय सदस्य का ही प्रश्न मार्च, 2010 का है, उसमें भी आपने इस तरह का प्रश्न किया था। बाहर ले जाने की एक महायोजना के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए तत्कालीन सरकार

द्वारा यहाँ पर एक आश्वासन दिया गया था। लेकिन महायोजना के अन्तर्गत जो योजना प्रस्तावित थी। वर्ष 2005–2025 के अन्तर्गत, तो उसके अलावा चकराता रोड और जोगीवाला के आस–पास भी क्षेत्र चिन्हित किये गये थे। मैं समझता हूँ कि अभी महायोजना में समय लगेगा स्थान चिन्हित करने का यहाँ पर प्रश्न यह है कि वह भूमि पर्याप्त नहीं है और इनको शहर से बाहर करना है तो इसके लिए कैसे एक कार्य योजना हम लोग बनायें, इसकी तैयारी चल रही है कि इनको बाहर शिफ्ट करना है या शहर के अन्दर रखे अगर गन्दगी न फैला रहे हों, इस तरह की योजना बने कि बिल्कुल साफ–सुथरा रखे, इनका मूत्र और गोबर के उठान के लिए कोई प्लान्ट लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो यह अवशिष्ट निकलता है, यह कौन–कौन सा होता है जो प्रदूषित करता है वातावरण को, यह भी जानना चाहता हूँ कि यह कितना प्रतिशत होता है। दूसरा यह जानना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि धारा–133 की कार्यवाही होती है। यह वास्तव में एक–एक पर तीन–तीन, चार–चार बार भी होती है, लेकिन सम्भवतः इसका कोई समाधान नहीं निकलता। क्या इस सम्बन्ध में आगे कोई कानून बनेगा ? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, आपने कहा कि वह कौन–कौन से अवशिष्ट हैं जो गन्दगी फैलाते हैं, वह मूत्र और गोबर हैं, जो चारा है, चारे की जो गन्दगी होती है, उससे आस–पास मच्छर आदि उत्पन्न होते हैं, जिससे बीमारी का भय बना रहता है। दूसरा आपने कहा कि 133 के अन्तर्गत जो कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जाती है, उस पर जब कोई कार्यवाही नहीं होती है तो चालान किया जाता है, उसके बाद सी0आर0पी0सी0 की धारा के अन्तर्गत जिला प्रशासन, नगर मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, धारा–133 की कार्यवाही तीन बार भी करते हैं तो उसको ` 200 या 300 जुर्माना हो जाता है। बेसिकली जो डेरी होती है वह हटती नहीं है, वह ` 300 देने में खुश है, 06 महीने तक मुकदमा चला और 6 महीने बाद ` 300 जमा करा दिया। यह बड़ी गम्भीर समस्या है। मेरा कहना है कि अगर आप इसमें कोई संशोधन ले आयें या कुछ भी करें, डेरी बिल्कुल शहर में प्रतिबन्धित कर दें, इनको शहर के बाहर कर दें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जहाँ आपने कहा कि इनका दो–दो, तीन–तीन बार चालान किया जाता है उसके बाद भी ये जस के तस रहते हैं। मान्यवर, इसके बाद कोई दोबारा उल्लंघन करता है तो सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत नगर मजिस्ट्रेट को भेज दिया जाता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उसी में तो यह जुर्माना है और यही मैक्सीमम सजा है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, दूसरा आपने इनको प्रतिबन्धित करने की बात कही। मान्यवर, 252 डेरियाँ देहरादून के अन्तर्गत चिन्हित हैं, जो संचालित हैं। सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं है, आस–पास के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है अगर वह साफ सफाई रखते हैं तो शहर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह गन्दगी फैलाती हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होती है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह कार्यवाही पर्याप्त नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जैसा आपने कहा इसको महायोजना के अन्तर्गत ले लिया जायेगा।

श्री हरबन्स कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, इस बात से अवगत हैं कि शहरी क्षेत्र में जितनी भी दूध की डेरियाँ ऐसी हैं, जो सारा गोबर नालियों में बहा देती हैं फिर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद के जो कर्मचारी हैं उस गोबर को नालियों से बाहर निकालते हैं। उसे बाहर कहीं और ले करके जाते हैं। क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी ? जिस प्रकार से घर से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है, उसी तरह डेरियों से गोबर उठाया जाये और गोबर उठाने के जो चार्जेज हैं वह डेरी वालों से लिये जायें। शहर से बाहर कहीं गोबर गैस प्लान्ट के माध्यम से उस गोबर को बिजली में और खाद में तब्दील किया जाये। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी कुछ ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, आपकी तरफ से जो सुझाव आया है वह बहुत अच्छा सुझाव है। सरकार इसके प्रति गम्भीर है और हम एक स्वच्छ शहर दें। निश्चित रूप से आपने जो गोबर और गौमूत्र की समस्या बतायी है कि नालियों में चला जाता है। भविष्य में इसके लिए कोई कार्य योजना बनायी जायेगी। जैव गैस आधारित संयत्र लगाने के लिए कार्य किया जायेगा जो कि घरों या डेरियों से मलमूत्र व गोबर उठाकर ले जायेगी और इनसे चार्ज लिया जायेगा। सरकार इस कार्य योजना पर विचार करेगी।

श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, कब तक विचार करेगी ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, यथाशीघ्र किया जायेगा।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि धारा–133 के अन्तर्गत देहरादून नगर निगम में कितने डेरियों के खिलाफ कार्यवाही की है ? कितने डेरियों के खिलाफ तीन या चार बार कार्यवाही हुई ? अगर तीन या चार बार कार्यवाही हुई तो उसके बाद कितने लोगों के खिलाफ सी0आर0पी0सी0 की धारा के अन्तर्गत मुकदमें किये गये ? पूर्व में मैंने जानना चाहा था और उसमें आपने महायोजना की बात कही है। क्या महायोजना में कोई जगह चिन्हित की गयी है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, धारा–133(क) के अन्तर्गत वर्ष 2009–10 में 306 और वर्ष 2010–11 में 122 और अप्रैल 2011 से 31 मई, 2012 तक कुल 540 चालान किये गये हैं ? इसके बाद भी जिन डेरियों में दो या तीन बार की कार्यवाही हुई है वह 100 डेरियाँ हैं।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, आपका कहना है कि उनके ऊपर जुर्माना किया गया है यह नहीं के बराबर है और कोई भी डेरी स्वामी इससे प्रभावित नहीं होता है। क्या सरकार और कोई कठोर कार्यवाही करेगी ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जैसा आपने कहा कि बहुत कम चालान रखा गया है। जो यह नगर निगम अधिनियम है उसके अन्तर्गत व्यवस्था रखी गयी है और सी0आर0पी0सी0 के अन्तर्गत कानून की व्यवस्थायें की गयी हैं। उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, माननीय हरबन्स कपूर जी ने जो बात यहां पर उठायी है। वह बहुत अच्छा सुझाव भी है। इसमें सरकार की तरफ से बहुत स्पष्ट मत आना चाहिए। दूसरा माननीय सदस्य बार–बार इस बात को कह रहे हैं कि न्यूनतम है और जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि पर्यावरण इससे दूषित होता है। शहर की सुन्दरता खत्म होती है। एक तो हम सुन्दर दून के अभियान को ले रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि कई बार उनको नोटिस दिये जा चुके हैं और नोटिस का कोई असर होता नहीं है। क्या सरकार उस एक्ट में परिवर्तन करेगी या कोई ऐसा कानून लायेगी या किसी समय सीमा के अन्दर ऐसी योजनायें बनायेगी कि उन्हें आप शहर से बाहर करेंगे ? मान्यवर, उससे तो समाधान होना वाला नहीं है। आप नोटिस देते हैं और धारा–133 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती

है। क्या केवल अर्थदण्ड लगाकर यह कार्य हो जायेगा ? वह तो दण्ड को चुकता कर अपना कार्य करते रहते हैं। इससे समाधान तो नहीं निकलता है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न तो करें।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, यह तो प्रश्न है कि क्या उनको एक निर्धारित समय अवधि के अन्दर बाहर किया जायेगा ? दूसरा क्या उस एक्ट के अन्दर कोई ऐसा प्राविधान किया जायेगा कि वह दूसरी बार इस गलती को नहीं करे ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, हमारे जो नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत उपविधियां बनी हैं। आपने जो कहा उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन सी0आर0पी0सी0 जो हमारे क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, क्या एक्ट में परिवर्तन करेंगे ? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (घोर व्यवधान के मध्य)

*5–श्री आदेश चौहान–

स्थगित।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री माल चन्द–

तृतीय सोमवार के अता0–25 में स्थाना0।

2–श्री माल चन्द–

अस्पष्टता के आधार पर निरस्त।

3–श्री हरभजन सिंह चीमा–

तृतीय गुरूवार के अता0–21 में स्थाना0।

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नगरपालिका काशीपुर को नगर निगम बनाने का विचार

4–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के नगरपालिका परिषद काशीपुर को नगर निगम बनाया जाना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कब तक इसकी घोषणा की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर के पत्र संख्या 02–11–2010 एवं दिनांक 22 फरवरी, 2011 द्वारा शासनादेश संख्या–05/IV/1–2010–1(40)–2010 दिनांक 08 अक्टूबर, 2010 के अनुक्रम में नगरपालिका परिषद काशीपुर को नगर निगम बनाये जाने का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ था। तत्समय राज्य के चार नगरपालिकाओं को नगर निगम बनाये जाने पर विचार किया गया, किन्तु नगरपालिका परिषद काशीपुर की जनसंख्या निर्धारित मानक 1,25,000 से कम अर्थात मात्र 92,978 होने के कारण उसे नगर निगम बनाये जाने विषयक प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया।

वर्तमान में नगरपालिका परिषद काशीपुर को नगर निगम बनाये जाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून स्थित रिस्पना नदी एवं बिन्दाल नदी के सौन्दर्यीकरण हेतु कार्ययोजना

5–श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि देहरादून रिस्पना नदी एवं बिन्दाल नदी के सौन्दर्यीकरण के लिए कोई योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो क्या है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिए कोई कार्ययोजना बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यथा आवश्यकतानुसार।

उपरोक्तानुसार।

6–श्री सरवत करीम अंसारी–

तृतीय गुरूवार के अता0–22 में स्थाना0।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, श्री महावीर सिंह, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री तीरथ सिंह, श्री राजेश शुक्ला, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री उमेश शर्मा (काऊ), श्री मदन कौशिक, श्री दान सिंह भण्डारी, श्री राजकुमार, श्री हरबन्स कपूर, श्री अजय टम्टा, श्री सरवत करीम अंसारी, श्री ललित फर्स्वाण, श्री प्रेम सिंह, श्री बंशीधर भगत तथा श्री चन्दन राम दास की कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। मैं सरकार को इन सूचनाओं पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे रहा हूँ। सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायें।

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के तल्ला सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के उपरान्त भी महाविद्यालय न खुलने व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, सल्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तल्ला सल्ट में महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस कारण की गयी थी कि क्षेत्रीय गरीब लोगों के बच्चे भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकें क्योंकि धनाभाव के कारण लोग अपने बच्चों को रानीखेत, अल्मोड़ा अथवा रामनगर नहीं भेज सकते हैं और उनके प्रतिभावान बच्चे विशेष रूप से लड़कियाँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं पर यहाँ विद्यालय की स्थापना न होने से क्षेत्रीय जनता आक्रोशित हो रही है तथा कभी भी किसी बड़े आन्दोलन के लिये अग्रसर हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की तात्कालिक सूचना पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तल्ला सल्ट में महाविद्यालय खोले जाने की मांग करता हूँ।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद देहरादून के विकास नगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा आरकेडिया में पुनः पेयजल पुनर्गठन के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

[मान्यवर, जनपद देहरादून के विकासनगर तहसील के अन्तर्गत ग्राम सभा आरकेडिया में पुनः पेयजल पुनर्गठन की अति आवश्यकता है क्योंकि यह योजना बहुत पुरानी बनी हुई है, जब ग्राम सभा आरकेडिया की आबादी लगभग 8 हजार की थी। लेकिन आज ग्राम सभा आरकेडिया की आबादी लगभग 30 हजार की है तथा पुरानी लाईनें जर्जर हालत में है, जिससे क्षेत्रवासियों को पानी न मिलने के कारण जनता में काफी आक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

गंगा नदी में गन्दे नाले मिलने से हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

[मान्यवर, माँ गंगा में करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। श्रद्धालुगण इसमें स्नान करने के साथ–साथ धार्मिक प्रयोजनों में गंगा–जल का प्रयोग भी करते हैं। इसके अतिरिक्त गंगा जी का पवित्र जल सिंचाई में भी प्रमुख रूप से इस्तेमाल होता है, इसीलिए माँ गंगा को पतितपावनी व मोक्षदायनी भी कहा गया है, किन्तु माँ गंगा के तट पर बसे नगरों/कस्बों, ऋषिकेश सहित का गंदा पानी/सीवर पानी इसमें सीधे मिल रहा है, जिससे माँ गंगा की पवित्रता नष्ट हो रही है, इस तरह करोड़ों लोगों की धार्मिक भावना आहत हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं अविलम्ब ठोस कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

देहरादून में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे (आई0एस0बी0टी0) के संचालन में रैमकी कम्पनी द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं से पर्यटकों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गणेश जोशी–

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि अन्तर्राज्यीय बस अड्डा (आई0एस0बी0टी0), जिसको रैमकी कम्पनी द्वारा संचालित किया जा रहा है। कम्पनी की लापरवाही के कारण बस अड्डे में भारी अव्यवस्था बनी हुई है। गन्दगी का अम्बार लगा हुआ है, पेयजल की

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समुचित व्यवस्था नहीं है और ना ही सुरक्षा की कोई उचित व्यवस्था है। जिससे यहाँ पर आने–जाने वाला हर यात्री अपने को असुरक्षित समझता है। चूँकि महोदय, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा होने के कारण यहाँ पर अन्य प्रान्तों से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री आते–जाते रहते हैं और पर्यटन नगरी मसूरी शहर के लिए भी जाने के लिए हर पर्यटक यहाँ से होकर जाता है। किन्तु महोदय, मुझे यह कहते हुए अत्यन्त कष्ट हो रहा है कि बस अड्डे पर बनी अव्यवस्थाओं के कारण यात्रियों/पर्यटकों को प्रतिदिन जूझना पड़ता है।

मान्यवर, मैं मांग करता हूँ कि इस अति महत्वपूर्ण एवं जनहित के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की जाये।]

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत थत्यूड़ से दुगड्डा–देवाबगसिल मोटर मार्ग गत वर्ष की बरसात से अनेकों स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री महावीर सिंह–

[मान्यवर, थत्यूड़ से दुगड्डा–देवाबगसिल मोटर मार्ग धनोल्टी विधान सभा क्षेत्र की पालीगाड पट्टी की मुख्य सड़क है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र का आवागमन इसी मार्ग पर निर्भर करता है। गत वर्ष की बरसात में यह मार्ग अनेकों स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा काम–चलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत चालू कर दिया गया। महोदय, इस मार्ग पर तीन छोटी नदियाँ तथा अनेकों गाड–गदेरे पड़ते हैं। जिनके कारण आये दिन मार्ग क्षतिग्रस्त होता रहता है तथा इस पर अनेकों स्लाइड जोन हैं जिन्हें विभाग द्वारा सड़क काटते समय अनदेखा किया गया है। जिससे हल्की बारिश होने पर भी मार्ग कई दिनों के लिए अवरुद्ध हो जाता है।

अतः विषय महत्वपूर्ण, अविलम्बनीय लोकमहत्व का है, अतः सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में 01 सितम्बर, 1994 को खटीमा क्षेत्र में हुये गोलीकाण्ड में हताहत हुये बहुत से लोगों को अभी तक प्रमाण–पत्र नहीं मिलने से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पुष्कर सिंह धामी–

[मान्यवर, 01 सितम्बर, 1994 को खटीमा क्षेत्र में हुये गोलीकाण्ड में कई हजारों की संख्या में लोग हताहत हुये थे तथा कई लोगों की शहादत हुई थी। जिनमें से कुछ लोगों के प्रमाण–पत्र एवं परिचय–पत्र अभी मिलने बाकी हैं। जिस कारण आम लोगों में गहरा आक्रोश है और लोग कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी तथा सरकार इस विषय में क्या कर रही है।]

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक के अन्तर्गत नौगांव–तुनाखाल मुख्य मोटर मार्ग पर ईड़ाखाल से सगोड़ा मैणा होते हुए पिलखेरा तक ब्रेस्ट वाल बनाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री तीरथ सिंह–

[मान्यवर, विधान सभा चौबट्टाखाल के अन्तर्गत नौगांवखाल से तुनाखाल मोटर मार्ग पर ईड़ाखाल से सगोडा–मैणा होते हुये पिलखेरा तक मोटर मार्ग लगभग एक दो वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। इस मोटर मार्ग के ग्राम सगोडा के मध्य से गुजरने के कारण घरों के किनारे ब्रेस्ट वाल विभाग द्वारा नहीं बनायी गयी है। फलस्वरूप गांव धंसाब के कगार पर है। विभागीय अधिशासी अभियन्ता को क्षेत्रीय लोगों एवं अन्य गांववासियों द्वारा भी बार–बार अवगत कराया जाता रहा है परन्तु कोई भी कारगर कदम इस ओर नहीं उठाया गया।

वर्तमान स्थिति यह है कि सड़क बनने के कारण गांवों के मकानों की जड़ें बरसात के दिनों में खिसकने की स्थिति में है जिसमें कि कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

अतः माननीय सदन से अनुरोध है कि उक्त पर बरसात से पूर्व त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत किच्छा शहर की जल निकासी रेलवे द्वारा अवरुद्ध करने से महामारी फैलने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेश शुक्ला–

[मान्यवर, जिला ऊधमसिंह नगर में किच्छा एक पुराना नगर है तथा किच्छा नगर के पूर्व की दिशा में गोला (किच्छा) नदी बहती है तथा कुदरती रूप से किच्छा की जल निकासी का ढलान पूर्व से ही नदी की ओर है, तथा ब्रिटिश काल से ही लखनऊ–काठगोदाम की रेलवे ट्रैक भी किच्छा शहर के पूर्व से ही नदी एवं किच्छा के बीच से नदी व किच्छा शहर के समानान्तर है। तथा रेलवे ट्रैक के नीचे से शहर की निकासी का नाला, जो किच्छा शहर की जल निकास व बरसाती पानी को नदी तक पहुँचाता है। रेलवे ट्रैक के दोनों ओर उक्त नाले का पक्का निर्माण नगर पालिका किच्छा ड्राप कर दिया गया है। वर्तमान में रेलवे ट्रैक का ब्राड गेज किया जा रहा है तथा रेलवे द्वारा यह कह कर कि हम अपनी ट्रेन के नीचे से नाला तब बहने देंगे जब नगर पालिका किच्छा ` 40 लाख रेलवे को दे। नाले को अवरुद्ध कर दिया गया है, जिससे किच्छा शहर के वार्ड नं0 1 व 2 में घरों का गन्दा पानी व अन्य सीवर जमा हो रहा है, जो बरसातों में महामारी पैदा करेगा, मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।]

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में जलस्रोत सूखने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत जल स्रोत सूखने के कारण विकट पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है, जैसे कि ग्राम पंचायत कौली ढेक, बटेला ढेक, सूँई, कलीगाँव, चौड़ी, ढुंगरी फर्त्याल, मोतीराज, बाराकोट, रेगाँव, जनकाण्डेय, गोसनी, मल्ला कमलेख आदि ग्राम पंचायतों में जल स्रोत सूखने से गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है।

उक्त गाँवों में पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने एवं जल स्रोतों के संवर्द्धन हेतु कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के एक मात्र राजमार्ग लक्ष्मणझूला–दुगड्डा मोटर मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में एक मात्र राज मार्ग लक्ष्मणझूला–दुगड्डा मोटर मार्ग बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क पर जगह–जगह गड्ढे पड़े हैं। ब्रेस्ट पुश्ते सभी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वाहनों की आवाजाही में बहुत कठिनाई हो रही है। कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसकी आशंका हमेशा बनी रहती है, कई दुर्घटनायें हुई हैं। यक एकमात्र मोटर मार्ग है, जो बहुत बड़े क्षेत्र को लाभान्वित करता है। पूर्व में इसके सुधारीकरण एवं डामरीकरण की योजना बनी थी, लेकिन वर्तमान में यह कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे जनता में बहुत आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय, तात्कालिक, लोकमहत्व के विषय, लक्ष्मणझूला दुगड्डा मोटर मार्ग के सुधारीकरण, डामरीकरण के लिए सरकार से प्रभावी कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड कनालीछीना के प्रा0पा0 खवातड़ी के भवन की जीर्ण–शीर्ण स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ कनालीछीना वि0ख0 के प्रा0पा0 खवातड़ी भवन की दीवार में दरारें पड़ी हुई हैं। तथा छत में दीमक लगने से लकड़ी सड़ चुकी है। जिससे कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य व ग्राम प्रधान द्वारा कई बार

नोटः–[   ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग को पत्र लिखा गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही न होने से जनता आक्रोशित है।

अतः लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में एल0टी0/एच0टी0 विद्युत संयोजन निर्गत करने हेतु बनाये गये विनियमन 2007 से सेवा प्रदाता कम्पनी को अनुचित लाभ पहुँचाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

[मान्यवर, प्रदेश में एल0टी0/एच0टी0 विद्युत संयोजनों में स्वीकृत प्राक्कलन का मात्र 2 प्रतिशत सेवा प्रदाता कम्पनी से लिया जा रहा है। शेष 98 प्रतिशत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा वहन किया जा रहा है।

नियामक आयोग द्वारा इस 98 प्रतिशत धनराशि को वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। जिससे आम उपभोक्ता की विद्युत दरें प्रभावित होगी। ऊर्जा दरों में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप प्रदेश की जनता पर करोड़ों रुपयों का भार पड़ेगा।

ऊर्जा निगम एल0टी0/एच0टी0 उपभोक्ताओं को जमानत धनराशि पर 9.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दे रहा है, जिससे निगम को भारी वित्तीय हानि हो रही है। इस ब्याज की धनराशि का भार भी वार्षिक राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित कर प्रदेश की जनता पर डाल दिया जायेगा।

विभाग द्वारा एल0टी0/एच0टी0 विद्युत कनेक्शन निर्गत करने हेतु विनियम 2007 बनाया गया है, जो सेवा प्रदाता कम्पनी को लाभ पहुँचाने के दृष्टिगत बनाये गये हैं, विनियम के दृष्टिगत ही सेवा प्रदाता कम्पनी को करोड़ों का लाभ हो रहा है। वर्ष 2007 से वर्तमान समय तक किन–किन सेवा प्रदाता कम्पनियों में विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं एवं वर्तमान समय तक कितनी धनराशि की छूट पावर कारपोरेशन द्वारा उन्हें दी गयी है।

अतः इस प्रस्ताव के माध्यम से इस प्रक्रिया में सुधार के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

हरिद्वार नगर निगम से हटाये गये 47 कर्मचारियों को पुनः सेवा में रखने के बाद आज तक वेतन न देने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मदन कौशिक–

[मान्यवर, हरिद्वार नगर निगम में हटाये गये 47 कर्मचारियों की पुनः सेवा में रखने के बाद आज तक वेतन नहीं दिये जाने और मोहल्ला स्वच्छता समिति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को लगभग डेढ़ वर्ष से वेतन नहीं मिलने से स्थिति गम्भीर है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी कर्मचारियों के सामने परिवार की रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है, परिवार घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, अनेक बार आन्दोलन भी हो चुके हैं।

पुनः आन्दोलन की चेतावनी दी गयी है। स्थिति चिन्ताजनक है जो किसी भी बड़े आन्दोलन का रूप ले सकती है। विषय अविलम्बनीय, तात्कालिक, लोकमहत्व का है।

अतः सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड धारी के अन्तर्गत किसानों के लिए अतिलाभकारी गिनी मजूली मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दान सिंह भण्डारी–

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र भीमताल के विकास खण्ड धारी के अन्तर्गत दिनी मजूली मोटर मार्ग का निर्माण, जो कि मोटर मार्ग से लगभग 8 कि0मी0 प्रस्तावित है। जिसमें चार ग्राम सभायें लाभान्वित हो रही हैं।

महोदय, क्योंकि ये क्षेत्र फल एवं सब्जी उत्पादित होने के कारण गरीब किसानों द्वारा उत्पादित फल सब्जी 5 किलोमीटर मुख्य मार्ग तक अपना उत्पादित माल लाना पड़ता है, जिसके कारण किसानों को काफी भाड़ा देना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

प्रदेश में मलिन बस्तियों के विकास तथा नियमितीकरण किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजकुमार–

[मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मलिन बस्तियों के विकास, नियमितिकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति कितने समय में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी तथा समिति का कार्यकाल कितना होगा, क्योंकि उत्तराखण्ड में 582 तथा देहरादून में 123 मलिन बस्तियाँ हैं। यह बस्तियाँ बहुत पुरानी बसी हुई हैं। आधार वर्ष 1980 के तहत इनका नियमितिकरण किया जाए तो सरकार को बहुत अच्छा राजस्व प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इन बस्तियों का सरकार द्वारा विकास कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है तथा यह अधिकृत और मान्यता प्राप्त बस्तियाँ हैं। नगर निगम/नगर पालिका के अन्तर्गत बस्तियों पर भवन मूल्यांकन भी आरोपित है। जब यहाँ के लोग भवन कर जमा कर रहे हैं तथा सरकार द्वारा विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये व्यय किए गए हैं ऐसी स्थिति में इनका नियमितिकरण किया जाना न्यायोचित होगा।

कृपया समिति को इतना कार्यकाल दिया जाए कि समिति इन बस्तियों के कार्य करने वाली स्थानीय समितियों से विचार–विमर्श कर नियमितिकरण की रूप–रेखा तैयार करें।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देहरादून शहर के मध्य बहने वाली बिन्दाल और रिस्पना नदी में कूड़ा डालने व सफाई व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरबन्स कपूर–

[मान्यवर, देहरादून महानगर के बीचों–बीच गुजरती बिन्दाल एवं रिस्पना नदियाँ गन्दे नाले एवं नालियों में परिवर्तित हो गई है। नदियों के दोनों छोरों पर घनी आबादी है और वहाँ पर रहने वालों ने अपने–अपने घरों के सीवर उसमें खोल दिये हैं इसके साथ–साथ क्षेत्रवासियों द्वारा सारा कूड़ा इनमें डाला जाता है। जिसके कारण ये नदियां जहां एक ओर गंदे नालों में परिवर्तित हो गयी हैं वहीं दूसरी ओर कूड़े एवं गन्दगी के कारण ये नदियां कूड़ेदान का रूप धारण कर रही है। रिस्पना नदी के राजपुर से लेकर अजबपुर तक एवं बिन्दाल नदी के बकराल वाला से लेकर निरंजनपुर एवं इससे भी आगे तक सीवर, गंदा पानी, कूड़े आदि का नदियों से सफाई–व्यवस्था का कुछ भी प्रबन्ध नहीं है, जिस कारण नदी के किनारे बसे लोग डायरिया बुखार, दमा एवं अन्य सांस की बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं। अन्ततः यह गन्दगी गंगा नदी में समाहित हो जाती है। गंगाजी को प्रदूषण मुक्त करने की अनेक योजनाएं वर्तमान में चल रही है। परन्तु जब तक गंगाजी में मिलने वाली इन नदियों को प्रदूषण मुक्त नहीं किया जाता तब तक गंगाजी को प्रदूषण से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती। मान्यवर, प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तथा पर्यावरण दिवस पर धरती को प्रदूषण से मुक्त कराने एवं वातावरण को शुद्ध रखने का संकल्प लिया जाता है। उसका कोई औचित्य नहीं रहता यदि हम अपने आस–पास के क्षेत्रों में इस ओर कार्य नहीं करते। अतः प्रदूषण एवं पर्यावरण से सम्बन्धी अतिमहत्वपूर्ण, अविलम्बनीय, लोकमहत्व की इस सूचना पर मैं नियम–300 के अन्तर्गत सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ और सरकार से आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में विगत वर्षों में आई आपदा से क्षतिग्रस्त सिंचाई गूलों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजय टम्टा–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में विगत वर्षों आयी आपदा के कारण सिंचाई गूले क्षतिग्रस्त हो गयी थी। क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार प्रशासन को कहा गया लेकिन कोई हल नहीं निकला। जिसके कारण क्षेत्रवासियों में काफी आक्रोश है। क्योंकि मेरी विधान सभा कृषि प्रधान क्षेत्र है, अधिकतर लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर करती है। इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रबल कार्यवाही की माँग करता हूँ]

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तराखण्ड सचिवालय में सम्बद्ध चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का संविलियन आदेश में द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों की भांति संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरवत करीम अंसारी–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य के उदय के समय कार्मिकों की कमी को देखते हुए निगम, स्वायत्त संस्था एवं परिषद आदि कार्यालयों से कर्मचारियों को उत्तराखण्ड सचिवालय में सम्बद्ध किया गया था। इन कार्मिकों का संविलियन दिनांक 29 अप्रैल, 2003 को किया गया। उत्तराखण्ड शासन के द्वारा तृतीय श्रेणी के कार्मिकों का संविलियन पूर्व किये गये आदेशों को संशोधित कर आदेश संख्याः 559/XXXIV(2)/11–6 (सेवा स्था0/संवि0/2009, दिनांक 8 नवम्बर, 2011 द्वारा किया गया। जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की परिस्थितियाँ समान थी। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का सभी संविलियन के आदेश का भी संशोधन किया जाना आवश्यक था। परन्तु विभाग द्वारा मात्र तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का संविलियन आदेश संशोधन किया गया है। समूह 'घ' के कार्मिकों को छोड़ दिया गया है। अतः समूह 'घ' के कार्मिकों का संविलियन भी समूह 'ग' की भाँति पूर्व तिथि अर्थात संविलियन की तिथि वर्ष 2002 से कर दिये जाने की मांग करता हूँ।)]

जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु किसानों को मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ललित फर्स्वाण–

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों का मुआवजा न मिलने से काश्तकारों का आक्रोश बढ़ रहा है। महोदय, हरसीला–पुडुसुली, रिखाड़ी–बाछम, धरमघर–चुचेर–माजखेत, असों–बैड़ा–मझेड़ा, असों–उतरौड़ा–लीली, चुड़ियाधार–फरसाली–गुले–शामा–उलाणीधार–हरसियाबगड़, पन्द्रहपाली–हड़बाड़ मोटर मार्ग, जिनका मुआवजा सड़क कटने से पूर्व स्वीकृत होकर वितरित होना चाहिये था। विभाग द्वारा सिर्फ चहेतों को ही अभी तक सीमित मुआवजा दिया गया। आम भोली–भाली गरीब जनता, जिनकी सिंचित नाप भूमि, जिससे ये लोग अपनी काश्तकारी करते थे, अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। मेरे द्वारा विभाग के अधिकारियों से बार–बार अनुरोध करने पर भी कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है।

महोदय, क्षेत्र के विकास की दृष्टि से उक्त प्रकरण पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूँ।]

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम ऐचता में सिंचाई विभाग एवं वन विभाग की भूमि पर बसे लोगों को आवासीय पट्टा दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रेम सिंह–

[मान्यवर, नानकमत्ता विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम ऐचता में सिंचाई विभाग (नानक सागर बांध) एवं वन विभाग की भूमि पर बसे लोगों को आवासीय पट्टा की अत्यन्त आवश्यकता है। इस क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। नानक सागर बांध के किनारे एवं अन्दर के क्षेत्र में ये लोग लगभग 45–50 वर्षों से बसे हुए हैं और अत्यन्त निर्धन है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ से इस क्षेत्र के लोग वंचित हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण इन लोगों की स्थिति दयनीय है। इनकी स्थिति को देखते हुए इन्हें आवासीय पट्टा दिलाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

इस अवलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र कालाढूंगी के अन्तर्गत ग्राम सभा दमुवाढूंगा खाम जवाहर ज्योति को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बंशीधर भगत–

[मान्यवर, पिछले 1952 से ग्राम सभा दमुवाढूंगा खाम जवाहर ज्योति राजस्व गांव के लिये गांव वासी आंदोलित हैं। 1969 में ग्राम सभा का दर्जा मिला। 1972 से अब तक लगातार ग्राम सभा के चुनाव हो रहे हैं। ग्राम सभा में एक कन्या हाई स्कूल तथा एक प्राथमिक पाठशाला भी स्थापित है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण तथा विद्युत विभाग विद्युतीकरण व अन्य विभागों द्वारा भी कार्य किये गये हैं। वर्तमान में वर्ष 2009–2010 के वन विभाग तथा राजस्व विभाग द्वारा पुनः सर्वे कराया गया जिसमें 2500 परिवारों में 14000 की जनसंख्या निवास करती है। काफी लम्बे समय से समय–समय पर काफी बड़े आंदोलन जनता ने किये थे तथा सरकारों द्वारा भी समय–समय पर काफी कार्यवाही की गयी परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। मान्यवर, जनता आज भी आक्रोशित है कि उनका ग्राम राजस्व ग्राम घोषित किया जाय, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

मान्यवर, इस अति महत्वपूर्ण एवं जनहित के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की जाय।]

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भारत सरकार के कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार उत्तराखण्ड शासन एवं लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को प्रोन्नति के मानकों में शिथिलता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री चन्दन राम दास–

[मान्यवर, जैसा कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आदेश संख्याः 36012/23–96 Estt (Res) Vol.–II दिनांक 03 अक्टूबर, 2000 के अनुसार आदेश जारी किया गया था कि अनुसूचित जाति/जनजाति को प्रोन्नति के मानकों में शिथिलता दी जाय। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड सरकार के तत्कालीन सचिव श्री आलोक कुमार जैन जी द्वारा पत्र संख्या–1169/कार्मिक–2/2003 दिनांक 14 अगस्त, 2003 द्वारा आदेश जारी किया गया कि चयन समिति चाहे तो मानकों में शिथिलता कर सकती है। किन्तु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की चयन समिति ने कभी भी मानकों में शिथिलता नहीं की है, जबकि आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू होना था। उत्तराखण्ड शासन एवं लोक सेवा आयोग द्वारा भी प्रोन्नति सम्बन्धी नियमावली में शिथिलता करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः आदेश को भारत सरकार के आदेशानुसार लागू किया जाय तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थियों को प्रोन्नति के मानकों में 05 अंक की शिथिलता प्रदान करने की मांग करता हूँ।]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619(2) के अधीन उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड का पंचम् वार्षिक प्रतिवेदन (2005–06), षष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन (2006–07), सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन (2007–08), अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन (2008–09) तथा नवम् वार्षिक प्रतिवेदन (2009–10)

*संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–619(2) के अधीन उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड का पंचम् वार्षिक प्रतिवेदन (2005–06), षष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन (2006–07), सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन (2007–08), अष्टम् वार्षिक प्रतिवेदन (2008–09) तथा नवम् वार्षिक प्रतिवेदन (2009–10) को सदन के पटल पर रखती हूँ।

श्री हरबन्स कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है, यह जो प्रतिवेदन रखा गया है, जो वर्ष 2005–06, वर्ष 2006–07, वर्ष 2007–08 के हैं इनको रखने का क्या औचित्य है, इससे इस सदन को, सरकार को, आम व्यक्ति को क्या लाभ मिल सकता है। मान्यवर,

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसमें वर्ष खत्म होते ही अगले वर्ष प्रतिवेदन रखने की व्यवस्था बन जाये तो निश्चित रूप से इसका लाभ सरकार को भी मिलेगा और जनता को भी मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

इसमें चर्चा नहीं होगी, कृपया लिखकर दे दें।

जनपद देहरादून के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में जंगलों से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से की जाने वाली सुरक्षा के सम्बन्ध में याचिका

श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''जनपद देहरादून के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में जंगलों से निकलने वाली नदियों की बाढ़ से की जाने वाली सुरक्षा के सम्बन्ध में'' श्रीमती सुनीता देवी (अस्थल प्रधान) एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद देहरादून के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच बहने वाली नदियों से बाढ़ सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''जनपद देहरादून के रायपुर विधान सभा क्षेत्र में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के बीच बहने वाली नदियों से बाढ़ सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती सुनीता देवी (अस्थल प्रधान) एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–8 पर माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–9 पर माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री मदन कौशिक जी की है, दूसरी सूचना श्री पुष्कर सिंह धामी जी की है, तीसरी सूचना श्री संजय गुप्ता एवं पूरन सिंह फर्त्याल जी की है, चौथी सूचना श्री गणेश जोशी जी की है, पांचवीं सूचना श्री राज कुमार ठुकराल जी की है और छठी सूचना श्री भीमलाल आर्य जी की है, जिसमें से श्री राज कुमार ठुकराल जी की सूचना को मैं नियम–58 में ग्राह्य करता हूँ और शेष सूचनाओं को निरस्त करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*श्री भीमलाल आर्य–

मान्यवर, मेरी भी एक सूचना है जो टिहरी बांध परियोजना की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) इस सूचना को मैं लगातार तीन–चार दिन से लगाता आ रहा हूँ। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि दो–दो मिनट सभी माननीय सदस्यों को सुनने का कष्ट करें। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, सरकार से जवाब तो नहीं मांगेंगे। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। नियम–58 के अन्तर्गत भी सूचनाएं हैं, इसलिए नियम–310 की और सूचनाओं को नियम–58 में परिवर्तित कर देना सम्भव नहीं होगा।

(माननीय सदस्य श्री भीमलाल आर्य अपनी बात कहते हुए 'वेल' के समीप आ गये। माननीय श्री जीना जी भी माननीय सदस्य श्री भीमलाल आर्य की बात का समर्थन करते हुए 'वेल' के समीप आ गये)

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय कौशिक जी, नियमों के अन्तर्गत हमने सूचना को ले लिया है, इसके अतिरिक्त सूचनाओं को हम नहीं ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आप जो भी मुंह से बोलेंगे वही नियम है। मेरा अनुरोध है कि आप दो–दो मिनट का समय सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देने का कष्ट करें।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, लोग घरों के बाहर सो रहे हैं, लोगों को सोने के लिए जगह नहीं है। (घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री भीमलाल आर्य और माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना अपने–अपने स्थान पर चले गये)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पिछले छः दिनों से लगातार सूचना लगा रहा हूँ, परन्तु उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यदि आपके यहां से न्याय नहीं मिलेगा तो कहां से न्याय मिलेगा। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री धामी जी, बैठिए। (व्यवधान)

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 07 जून, 2012 की बैठक में दिनांक 08 जून, 2012 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

जून, 2012

शुक्रवार, 08 जून

अनुदान सं0	01	विधान सभा की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	विवाद नहीं होगा
	02	राज्यपाल की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	–तदैव–
	03	मंत्रिपरिषद की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	–तदैव–
	04	न्याय प्रशासन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	–तदैव–
	08	आबकारी विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	–तदैव–
	09	लोक सेवा आयोग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	विवाद नहीं होगा
	10	पुलिस एवं जेल विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	–तदैव–
	14	सूचना विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	–तदैव–
	21	ऊर्जा विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	–तदैव–
	22	लोक निर्माण विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	–तदैव–
	23	उद्योग विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	–तदैव–
	27	वन विभाग की अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान	–तदैव–

विधायी कार्य–

1–उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 का सदन की अनुज्ञा से पुरः:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

2–उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन), 2012 विचार एवं पारण।

(समय 30 मिनट)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य—स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम—58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री महावीर सिंह, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री मदन कौशिक, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री गणेश जोशी, श्री सहदेव पुण्डीर, श्री अजय टम्टा, श्री बंशीधर भगत, श्री यतीश्वरानन्द, श्री राजेश शुक्ला, श्री चन्दन राम दास तथा श्री हरबन्स कपूर की कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री महावीर सिंह, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री राजेश शुक्ला तथा श्री चन्दन राम दास की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं। माननीय जोशी जी, आपकी सबसे ज्यादा सूचनाओं को सुना गया है, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके सुने गये हैं।

श्री गणेश जोशी—

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

(माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी 'वेल' में बैठ गये)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन की कार्यवाही को 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आसन ग्रहण करें।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा एक निवेदन है, आपसे प्रार्थना है कि आप तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा में भी रहे हैं और आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है। नियम—310 तथा नियम—58 आदि में जितनी भी सूचनायें आयी हैं, उनके लिये मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि काफी नये सदस्य हैं और सभी बोलना चाहते हैं तो इन सूचनाओं को नियम–300 में स्वीकार कर लिया जाय, तो सभी पर सरकार का ध्यानाकर्षण हो जायेगा।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी एक निवेदन है कि मेरी दो याचिकायें थीं, लेकिन प्रश्नकाल एकदम से खत्म हो गया तो मैं उन्हें उपस्थित नहीं कर पाया।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बंशीधर भगत जी की याचिकाओं को भी उपस्थित किया हुआ मान लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यसूची में मद संख्या–8 एवं 9 जो माननीय सदस्य श्री बंशीधर भगत जी की याचिकायें हैं, को उपस्थित किया हुआ मान लिया जाय।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, जो विषय आप कह रहे हैं, उसे परिपाटी न बनाया जाय।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो आपका विशेषाधिकार है, हमने तो निवेदन किया है, निर्णय तो आपको देना है।

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनायें, जो ग्राह्य नहीं हुई थीं, को मैं नियम–300 में स्वीकार कर रहा हूँ और यह सभी सूचनायें पढ़ी हुई मान ली जायेंगी। (मेजों की थपथपाहट)

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के ग्राम देवलचौड़ खाम में मुख्य सड़क से लिंक रोड 300 मीटर को बनाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के ग्राम देवलचौड़ खाम में मुख्य सड़क से लिंक रोड जो कि 300 मीटर को बनाने के सम्बन्ध में" श्री भैरव दत्त शर्मा, ग्राम–देवलचौड़, हल्द्वानी एवं अन्य निवासीगण जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल की ग्राम सभा दोगड़ा में शहीद मुकेश जीना हाईस्कूल, 10 कि0मी0 दूर एवं 10 कि0मी0 दूरी पर ज्योलीकोट हाईस्कूल के होने के कारण ग्राम सभा दोगड़ा में इण्टर कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में याचिका

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ''जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल की ग्राम सभा दोगड़ा में शहीद मुकेश जीना हाईस्कूल, 10 कि0मी0 दूर एवं 10 कि0मी0 दूरी पर ज्योलीकोट हाईस्कूल के होने के कारण ग्राम सभा दोगड़ा में इण्टर कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में'' श्री विजय कुमार, गुणीपुर, हल्द्वानी एवं अन्य निवासीगण जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

नियम–58 से नियम–300 में परिवर्तित सूचनाएं

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, उत्तराखण्ड आन्दोलन के पीछे मूल अवधारणा विकास की थी। इसी एक मात्र लक्ष्य को सामने रख कर हमारे अनेकों युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, माताओं, बहनों ने तत्कालीन शासन के अत्याचार सहें। सिर्फ इसलिये कि उत्तराखण्ड में उनके विकास की प्रबल सम्भावना बनेगी, उनके सपनों का एक छोटा प्रदेश बनेगा, जहां क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध होगा, पलायन रुकेगा उनके अपने सदैव उनके आस पास ही कहीं रोजगार प्राप्त करेंगे।

लेकिन वास्तव में आज यह महसूस हो रहा है कि जैसे उत्तराखण्ड कुछ खास अधिकारियों, कर्मचारियों व नेताओं के लिये बना है जो उत्तराखण्ड की गरीब जनता की बजाय अपने लिये धन की बन्दरबांट कर रहे हैं। गरीब जनता के विकास हेतु आने वाले धन से अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी उचित विकास न होने से यह धारणा और अधिक बलवती हो रही है। मान्यवर, भ्रष्ट आचरण के अनेकों उदाहरण भी मौजूद है जिनमें अधिकारियों की संलिप्तता भी साफ तौर पर प्रकट हुई है वो चाहे जल विद्युत निगम का प्रकरण हो, चाहे उद्यान विभाग, वन विभाग, कमोवेश सभी विभागों में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। ऐसे अधिकारी, कर्मचारी जिनकी सोच उत्तराखण्ड के विकास के लिये ठीक नहीं है उन्हें यहाँ बनाये रखना भी निश्चित रूप से उनके कृत्य को बढ़ावा देना ही होगा। भ्रष्ट अधिकारी जिनकी जांच चल रही हो उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति देने से जनता में भारी रोष और सरकारों के प्रति नाराजगी है, उन्हें लगता है जिन लोगों ने राज्य के लिये अपनी शहादत दी वह सब व्यर्थ हो गया है और इन अधिकारियों की भ्रष्ट नीतियों से उत्तराखण्ड का कोई भला नहीं होने वाला।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सारे कार्य छोड़ कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

[ऋषिकेश व अन्य क्षेत्रों में जहाँ–जहाँ गंगा बह रही हैं, वहाँ गंदा पानी, सीवर का पानी (गंदे नाले) सीधे गंगा में मिल रहा है, जबकि गंगा को पतितपावनी, मोक्षदायनी मानते हुए देश–विदेश से आने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री आचमन/स्नान करते हैं, इससे जहाँ धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, वहीं भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय धरोहर पर भी प्रश्नचिन्ह लगता है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोकमहत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।]

श्री मदन कौशिक–

[हरिद्वार विधान सभा में मंशादेवी की पहाड़ियों से लगातार भूस्खलन के कारण सम्पूर्ण बाजार, हर की पौड़ी और पहाड़ी के नीचे बसी सभी कालोनियों को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है।

गत वर्ष प्रशासन ने बरसात में अनेक मकानों को खाली कराया था। अधिक मलबा आने से बाजार का करोड़ों का नुकसान हुआ था।

इस क्षेत्र का दौरा मा0 तत्कालिन मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव, कमीश्नर, जिला अधिकारी सभी कर चुके हैं। लेकिन अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं होने से क्षेत्र में व्यापारियों, नागरिकों के मन में गुस्सा और रोष व्याप्त है।

अनेक बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और धरने किये जा चुके हैं।

विषय अविलम्बनीय, तत्कालिक और लोकमहत्व का है। अतः सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।]

श्री गणेश जोशी–

[मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संतला देवी मंदिर, जो कि पौराणिक मंदिर है। गोरखा समुदाय के लोगों का यह प्रसिद्ध कुलदेवी मंदिर आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आस–पास से गोरखा समुदाय के लोगों के अतिरिक्त देहरादून सहित अन्य स्थानों से हर समुदाय के लोग यहाँ पूजा–अर्चना के लिए जाते हैं। किन्तु महोदय, मंदिर तक पहुंचने के लिए कोई भी पक्की सड़क न होने के कारण श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिससे यह सिद्धपीठ आज तक पर्यटन मानचित्र पर दर्ज नहीं हो पाया है।

अतः महोदय, मैं महत्वपूर्ण एवं लोग महत्व के इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करता हूँ।]

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

श्री अजय टम्टा–

[अल्मोड़ा नगर पालिका में छठा वेतन मान लागू होने के पश्चात बढ़ा हुआ वेतनमान विगत 6 माह से न मिलने के कारण विगत 17 दिन से नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल होने के कारण अल्मोड़ा शहर की स्थिति काफी भयावह हो गयी है। अल्मोड़ा में एक लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। हड़ताल होने के कारण शहर कूड़े से पट गया है। कई स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा शहर में सफाई अभियान भी चलाया गया, किन्तु सफाई कर्मचारियों के विरोध के कारण सफलता नहीं मिली। गर्मियों का मौसम होने के कारण शहर में महामारी की सम्भावना बनी है।

इस अतिअविलम्बनीय, लोक महत्व की तातकालिक विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा की माँग करता हूँ।]

श्री बंशीधर भगत–

[जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर में विगत काफी समय से पानी की किल्लत हो रही है। लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे वहाँ के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हल्द्वानी में जमरानी बांध निर्माण का कार्य काफी समय से बन्द पड़ा है। यदि इस बांध का निर्माण जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाय तो स्थानीय लोगों की पानी की समस्या को समाप्त किया जा जा सकता है। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भी जमरानी बांध का निर्माण कार्य शुरू कराये जाने की बात सरकार द्वारा कही गयी है, किन्तु इस दिशा में कोई भी कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही स्थगित करते हुए चर्चा कराने जाने की मांग करता हूँ।]

श्री यतीश्वरानन्द–

[मेरे विघान सभा क्षेात्र हरिद्वार ग्रामीण में टिहरी विस्थापित पथरी नामक स्थान में रहते हैं जिसका चारो ओर का इलाका पूरा जंगल से घिरा है। जिस कारण शाम के समय से पूरे क्षेत्र में भय का वातावरण फैला रहता है। पूर्व में टिहरी विस्थापितों के विस्थापन के समय टी0एच0डी0सी0 एवं पुनर्वास विभाग के द्वारा दीवार लगाने की बात कही गयी थी। जो कि अभी तक दीवार का कार्य पूरा नहीं किया गया है।

महोदय, मैं आपसे इस अतिलोकमहत्व के विषय में सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा की मांग करता हूँ।]

श्री हरबन्स कपूर–

[केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 2012 में केन्द्रीय कार्मिकों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता दे दिया गया है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा पाँच माह से अधिक का समय बीतने के

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

बाद भी अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता न बढ़ाये जाने के कारण राज्य के कार्मिकों में भारी रोष व्याप्त है। राज्य के कार्मिकों द्वारा इस सम्बन्ध में कई बार राज्य सरकार एवं उसके आला अधिकारियों से मिलकर कार्मिकों को अविलम्ब महंगाई भत्ता दिये जाने की मांग की गई, परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस मांग पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। एक तरफ लगातार बढ़ रही महंगाई और दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ता न दिये जाने के कारण पूरे प्रदेश के कार्मिकों में सरकार के प्रति भारी रोष उत्पन्न हो गया है।

अतः मैं तात्कालिक अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।]

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री महावीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, टिहरी बांध के कारण सम्पूर्ण प्रतापनगर के जाखणीधार विकास खण्ड का बहुत बड़ा हिस्सा और उत्तरकाशी जिले का बहुत बड़ा हिस्सा, जो प्रतापनगर क्षेत्र से लगा हुआ है, टिहरी बांध के कारण इसकी स्थिति वैसी ही हो गई है, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था और अंग्रेज अंडमान निकोबार को कालापानी कहा करते थे।

श्री अध्यक्ष–

अब तो सभी को नियम–300 में स्वीकार कर लिया है तो इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

मान्यवर, नियम–58 में कुछ सूचनायें आपने ग्राह्य की हैं और जो ग्राह्य नहीं हुई थी, शायद उनके लिये आपने व्यवस्था दी है। (व्यवधान) मान्यवर, कुछ सूचनायें तो नियम–58 में ग्राह्य हो चुकी थी और जो ग्राह्य नहीं हुई थीं, उनको नियम–300 में बदलने के लिये हमने निवेदन किया था, उनके लिये निर्देश आ गया है। तो जो ग्राह्य हो चुकी हैं, उन पर थोड़ा चर्चा का अवसर प्रदान कर दें।

श्री महावीर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, उस क्षेत्र के बहुप्रचारित और बहुप्रतीक्षित डोबरा चांटी के पुल पर सरकार द्वारा अनेकों बार आश्वासन भी दिया गया, लेकिन डोबरा–चांटी का पुल आज तक मात्र दो एंगल तक ही सीमित रह गया है और निरन्तर पिछले 10 वर्षों से पूरा प्रतापनगर, जाखणीधार और उत्तरकाशी जिले का लगा हुआ क्षेत्र पलायन के कगार पर खड़ा है। मैं इसे आपके संज्ञान में लाते हुये कहना चाहता हूँ कि इस डोबरा–चांटी पुल का निर्माण कब होगा और सरकार इस पर क्या कार्यवाही कर रही है। इसलिये इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

*राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, डोबरा–चांटी भारी वाहन झूला पुल की स्वीकृति दिनांक 17–04–2006 को प्रदान की गयी थी, जिसकी प्रारम्भिक लागत ` 89.20 करोड़ थी। शासनादेश दिनांक 08–12–2006 के माध्यम से उक्त पुल की पुनरीक्षित लागत ` 128.95 करोड़ स्वीकृत की गई। उक्त पुल पर 50 प्रतिशत धनराशि टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लिमिटेड द्वारा एवं 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपने अंश की पूर्ण 50 प्रतिशत धनराशि ` 64.265 करोड़ अवमुक्त किये जा चुके हैं। टिहरी बांध परियोजना की पुनर्वास कार्यों की समीक्षा हेतु दिनांक 08–02–2012 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में डोबरा–चांटी पुल के अवशेष कार्य के सम्बन्ध में अहम निर्णय लिया गया कि पुल के निर्माण हेतु प्रूफ चैकिंग व अन्य तकनीकी कार्य अथवा पुल का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत करने का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाना है एवं स्वीकृत प्राक्कलन के सापेक्ष निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा धन की मांग किये जाने पर सिंचाई विभाग द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, आपने मुझे नियम–58 के तहत बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। पिछले दिनों 2–3 महीने से लगातार यह देखने में आ रहा है जब से भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ा है। जनपद ऊधमसिंह नगर एवं हरिद्वार में रोजाना 6 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। इसके कारण आज जनजीवन पूरी तरह से अस्त–व्यस्त है। अस्पतालों में मरीजों का गर्मी से बुरा हाल है। लोग बिजली कटौती से काफी परेशान हैं। जनता गर्मी से बेहाल होकर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतावली है। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अति लोक महत्व के विषय पर सदन रोक कर नियम–58 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा करायी जाय।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, वर्तमान में उत्तराखण्ड प्रदेश में कुल विद्युत उपलब्धता प्रतिदिन 32 मिलियन यूनिट है। जबकि कुल खपत प्रतिदिन 33 मिलियन यूनिट है। इससे स्पष्ट है कि विद्युत खपत के सापेक्ष विद्युत उपलब्धता प्रतिदिन औसतन 02 मिलियन यूनिट कम

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इस कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती किया जाना आवश्यक हो गया है। उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा ` 4.20 प्रति यूनिट से अधिक दर की बिजली खरीदने की अनुमति नहीं दे रखी है, अतः इस दर से अधिक की बिजली खरीदना यू0पी0सी0एल0 के लिए सम्भव नहीं है। इस कारण विद्युत कटौती करना आवश्यक हो जाता है। जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 02 घंटे 23 मिनट की विद्युत कटौती तथा शहरी क्षेत्रों में औसतन 0.41 अर्थात् 41 मिनट की विद्युत कटौती की जा रही है। जबकि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार और ज्वालापुर शहर में 0.33, तैंतीस मिनट की विद्युत कटौती हो रही है। जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2.35 अर्थात् 2 घंटे 35 मिनट की कटौती की जा रही है। जिस दिन पर्वतीय क्षेत्रों में बादल आदि आ जाते हैं तो नदियों में जल स्तर कम होने के कारण जल विद्युत उत्पादन प्रभावित हो जाता है। इस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती बढ़ा दी जाती है। ऐसे अस्पताल, जहां स्वतंत्र पोषक से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वहां पर कोई कटौती नहीं की जा रही है। जैसे–जैसे विद्युत उपलब्धता बढ़ती जायेगी, उसके अनुसार विद्युत कटौती कम/समाप्त कर दी जायेगी।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूँ कि कम से कम शिड्यूल तय हो जाय कि किस समय कटौती होगी। यह ठीक है। हम आपकी समस्या को समझते हैं कि प्रदेश में बिजली का संकट है और जितनी बिजली की आवश्यकता है, उतनी बिजली नहीं दी जा सकती है। यह एक व्यवहारिक दिक्कत है, लेकिन उसके साथ (व्यवधान) मान्यवर, अगर 06 घंटे भी कटौती हो रही है तो वो अखबारों में प्रकाशित हो जाय और उसका शिड्यूल बना दिया जाय। मान्यवर, मुझे इतना ही कहना है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि विद्युत की समस्या है और विद्युत कटौती से घोर गर्मी में लोग परेशान हैं। यह भी सही है कि जहां विभाग के द्वारा कुछ घंटे प्रसारित किये जाते हैं कि बिजली नहीं आयेगी, परन्तु उससे भी अधिक समय तक विद्युत कटौती रहती है, लोगों को परेशानी है। मैं इस सम्बन्ध में विभाग को निर्देश दूँगी कि जो रोस्टिंग का समय है, स्पष्ट हर जनपद को पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त लोकल जो फॉल्ट्स हैं। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के माननीय विधायकों के क्षेत्र में कटौती नहीं हो रही है। श्री यशपाल जी का बयान आया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कटौती नहीं होगी। हमारे क्षेत्रों में कटौती हो रही है।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बयान को खुद ही छाप देगा तो क्या करोगे।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि वो जैसा निर्देश कर रही हैं, एक स्पष्ट निर्देश सभी जगह के लिए हो जाय। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, रोस्टिंग का टाईम बता दिया जाय ताकि लोग मेंटली तैयार रहें। अब लोकल फॉल्ट्स भी होती हैं, हम लोग भी सब भुगतते हैं। उनके सम्बन्ध में डिवीजन अधिकारियों को, लोकल अधिकारियों को निर्देशित कर रही हूँ। (व्यवधान) मान्यवर, रोस्टिंग के टाईम की निर्धारित सूचना दी जाये, यह हम विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करेंगे।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

मान्यवर, जो शाम का 06 बजे से लेकर 10 बजे का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह छात्रों के लिए हो, या घर की कामकाजी महिलाओं के लिए हो या अन्य चीजों के लिए हो, अपराध में वृद्धि भी इसी समय सबसे अधिक होती है। इसलिए इस समय कटौती न हो।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत आपने मेरी सूचना को स्वीकार करते हुए, मुझे बोलने का अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जनपद देहरादून विकासनगर तहसील के अन्तर्गत मेरी विधान सभा क्षेत्र सहसपुर सेन्ट्रल होपटाउन एक बहुत ही आबादी वाला क्षेत्र है जो औद्योगिक क्षेत्र भी है, उसको नगर पंचायत का दर्जा दिया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि वहाँ पर ग्राम सभा है सेन्ट्रल होपटाउन उसमें इतना बजट नहीं आता है कि उससे ग्राम सभा का रख रखाव हो सके, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर काफी गन्दगी वगैरा रहती है, न ही वहाँ पर कोई पार्किंग की व्यवस्था है, वहाँ पर पीने के पानी की भी बड़ी समस्या है। इस सब समस्याओं

के निराकरण के लिए अतिआवश्यक है कि सेन्ट्रल होपटाउन को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाये। अतः इस लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर मैं सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।

शहरी विकास एवं पशुपालन मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सेन्ट्रल होप टाउन जो विकास नगर तहसील के अन्तर्गत नगर पंचायत बनाये जाने का सवाल उठाया है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें अब स्थानीय निकाय पुनर्गठन आयोग बनाने की बात मैंने सदन में की थी, उस आयोग के बनने के बाद जो निर्धारित मानक होंगे उसके अनुसार व उसके अन्तर्गत आयेंगे। निश्चित तौर पर वहाँ पर नगर पंचायत बना दी जायेगी। क्योंकि अब हमने इसे पुनर्गठन आयोग के हवाले कर दिया है। अब जो नये सिरे से पंचायतें बनानी हैं वह उसके अन्तर्गत है, जब भी कोई कार्यवाही होगी उसके अन्तर्गत आयेगी, तो निश्चित तौर पर बना देंगे।

श्री सहदेव सिंह पुण्डीर–

मान्यवर, यह विषय पुनर्गठन आयोग को भेज दिया है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, जब बनेगा भेज दिया जायेगा, अभी तो बन ही रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के अन्तर्गत बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर जिला किच्छा एक बहुत बड़ा शहर है, बिट्रिश काल में भी वहाँ रेलवे स्टेशन था और वहाँ बहुत आबादी थी। उस शहर के आस–पास बहुत बड़ा ग्रामीण एरिया है। जिसमें गोला पार से गोला के इस पार के लोग अपने ईलाज के लिए उस अस्पताल पर निर्भर हैं जो वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि उस अस्पताल में लम्बे समय से लोगों की माँग है कि उस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उप–जिला चिकित्सालय बनाया जाये। उसके बहुत बाद जो अस्पताल अस्तित्व में आये हैं उनको भी उप–जिला चिकित्सालय का दर्जा मिल गया है लेकिन किच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को अभी तक यह दर्जा नहीं मिला। वहाँ पर सर्जरी कक्ष है, सारे उपकरण हैं लेकिन सर्जन नहीं हैं, वहाँ पर भारी मात्रा में चिकित्सकों की और स्टाफ की कमी है और जो आस पास के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको बहुत

भारी दिक्कत हो रही है। मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, चर्चा के माध्यम से भी जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पर उप–जिला चिकित्सालय बनाने और सर्जन भेजने के लिए निकट भविष्य में कोई योजना है ? मैं इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, सी0एस0सी0 किच्छा के बारे में माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि क्या इसको अपग्रेट किया जा सकता है और वहाँ पर सर्जन की कमी के बारे में जो सवाल किया गया, यह सही है कि पूरे प्रदेश में सर्जनों की संख्या बहुत कम है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से प्रयास किये जा रहे हैं। पूरे देश के जो तमाम मेडिकल कॉलेजेज हैं वहाँ तक यह सूचना भेजी जा रही है कि उत्तराखण्ड प्रदेश के अन्दर डॉक्टरों की आवश्यकता है।

मान्यवर, तमाम मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों से यह अपेक्षा की जा रही है। (व्यवधान) आपने सर्जन की मांग की है, मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूँ। मान्यवर, हमारे पास 59 सी0एस0सी0 हैं, जिसमें हमारे केवल 9 सर्जन हैं। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि कैसे इनकी पूर्ति की जाय। इस पूर्ति के बारे में, मैं आपके माध्यम से तमाम साथियों के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ। यह कोशिश की जा रही है कि पूरे देश के मेडिकल कॉलेजों में यह जानकारी हो जायेगी कि उत्तराखण्ड प्रदेश में डॉक्टरों एवं सर्जनों की आवश्यकता है तो स्वाभाविक रूप से वह लोग यहां पर आयेंगे। उस दिशा में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसके साथ–साथ हमने एक व्यवस्था प्रारम्भ की है कि हर मंगलवार को यहां पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टरों की चयन प्रक्रिया को प्रारम्भ किया हुआ है, मैं समझता हूँ कि यथाशीघ्र इस दिशा में कुछ प्रगति होगी और जो सर्जनों की कमी है उसमें हम लोगों को डॉक्टरों की पूर्ति करने में कुछ सफलता मिलेगी। मान्यवर, जहां तक किच्छा सी0एस0सी0 को अपग्रेड करने का प्रश्न है, हमारे प्रदेश में बहुत सारे स्थान ऐसे भी हैं जहां पर बहुत दूर–दूर तक चिकित्सालय को उच्चीकृत किया जाना बहुत आवश्यक है। (व्यवधान) मान्यवर, पुराने या नये की बात नहीं है। यह अस्पताल पुराना जरूर है। इस अस्पताल के करीब दस किलोमीटर दूरी पर एक नया मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है वह निर्माणाधीन है। मान्यवर, रूद्रपुर में यह मेडिकल कॉलेज बन जाने से समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, वहां पानी की टंकी पर मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है और वहां पर कुछ भी नहीं है। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूँ जैसा आपने कहा है कि वहां पर मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, वहां पर कुछ भी नहीं है। मान्यवर, आग आज लगी है और आप कुंआ खोदने की बात कर रहे हैं। (हंसी)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शुक्ला जी को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि इन्होंने पिछले पांच साल में कुछ किया ही नहीं है तो हम अब क्या करें ? (घोर व्यवधान) मान्यवर, हम वादा करते हैं कि बहुत जल्दी वहां पर मेडिकल कॉलेज को अस्तित्व में लाने का प्रयास करेंगे।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, मैंने उप–जिला अस्पताल की बात कही है और आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आज भी कई स्थानों पर सी0एस0सी0 और जिला हैडक्वाटर के बीच में सौ–सौ किलोमीटर की दूरी है। आप उन क्षेत्रों के बारे में सोचें। प्रदेश के सीमित संसाधनों से यह बजट तैयार हुआ है। आपकी आवाज अगर मन से उठी होगी तो उसका समय भी आयेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, आपने नियम–58 पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभारी हूँ। मान्यवर, प्रदेश में शिक्षकों एवं राज्य कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग का लाभ दिनांक 01–01–2006 से दिया गया। राजाज्ञा संख्या–74 में केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शैक्षणिक पदों में दिनांक 01–01–2006 से प्रतिस्थापित वेतनमान का उच्चीकरण किया गया, जिसके अनुसार 1 मार्च, 2009 को शिक्षकों को प्राकल्पित आधार पर वेतनमान दिया गया है। परन्तु यह लाभ दिनांक 01–01–2006 से 31–03–2009 के बीच कार्यरत व उसी अवधि में सेवानिवृत्त शिक्षकों को पुनरीक्षित ग्रेड पे का लाभ दिया जाना है। जबकि यह लाभ केवल उक्त अवधि एवं उसके बाद सेवारत शिक्षकों को ही दिया जा रहा है। तथा उक्त अवधि दिनांक 01–01–2006 से 31–03–2009 से सेवानिवृत्त हुए, शिक्षकों को यह लाभ नहीं दिया जा रहा है।

मान्यवर, इस विसंगति से प्रदेश के उक्त अवधि में सेवानिवृत्त हुए, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों में तीव्र असंतोष व्याप्त है। अतः इस अविलम्ब प्रकरण में सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्य की वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति शिक्षकों को भी शासनादेश दिनांक 27–10–2008 द्वारा 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है। तदोपरान्त वेतन समिति द्वारा अपने चतुर्थ प्रतिवेदन में केन्द्र सरकार के शिक्षकों की भांति राज्य सरकार के शिक्षकों को भी उच्चतर वेतनमान दिनांक 1–04–2009 से कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की गई है। राज्य की अर्थोपाय स्थिति एवं विकास सम्बन्धी प्रतिबद्धताओं के दृष्टिगत प्रश्नगत समकक्षता पूर्वगामी तिथि से न होकर अग्रगामी तिथि से दी गई है। समिति की संस्तुतियों पर निर्णय लेते हुए राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को उक्त उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1–1–2006 से प्राकल्पित आधार पर निर्दिष्ट शर्तों के अधीन स्वीकृत करते हुए वास्तविक लाभ दिनांक 1–04–2009 से दिये जाने का निर्णय लेकर शासनादेश निर्गत किया गया। मान्यवर, इसके पूर्व भी पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में शिक्षकों के वेतनमान दिनांक 1–1–1996 से पुनरीक्षित करने के उपरान्त केन्द्र सरकार की भांति उन्हें उच्चीकृत वेतनमान का लाभ दिनांक 1–1–1996 से नोशनली तथा दिनांक 1–7–2001 से वास्तविक रूप से अनुमन्य कराया गया। अतः शिक्षकों को प्रति स्थापित वेतनमान दिये जाने के पश्चात् उच्चीकृत वेतनमान दिये जाने का जो सिद्धान्त पंचम वेतनमान के समय अपनाया गया था, उसी के अनुरूप सिद्धान्त छठे वेतन की संस्तुतियों के क्रम में भी उच्चतर वेतनमान दिये जाने हेतु अपनाया गया है। इसमें किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। नोशनल वेतनमान का लाभ उसी शिक्षक को अनुमन्य हो सकता है जो दिनांक 1–4–2009 को वास्तविक रूप से अपने पद पर कार्यरत था। पेंशन का निर्धारण अन्तिम आहरित वेतन के आधार पर किया जाता है। दिनांक 1–1–2006 से दिनांक 31–3–2009 के मध्य सेवानिवृत्त शिक्षकों को दिनांक 1–1–2006 से अनुमन्य उच्चीकृत वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, मेरा विषय सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य से प्रभावित है, उत्तराखण्ड राज्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के विभिन्न शहरों में रूद्रपुर, बाजपुर, रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून में, जहाँ–जहाँ सरकारी भूमि है, नजूल की भूमि है, नगरीय क्षेत्रों में नजूल भूमि पर बैठे हुये लोग पिछले 30–40 साल से वहाँ पर बैठे हैं और उनके पास मालिकाना हक नहीं है, स्वामित्व नहीं है, जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस पट्टे पर मालिकाना हक देंगे। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सदन की ओर से सरकार को निर्देश दें। मान्यवर, रूद्रपुर शहर में 80 प्रतिशत से अधिक लोग नजूल भूमि पर बैठे हुये हैं, उनसे न्यूनतम राशि लेकर उनको मालिकाना हक दिया जाए। मान्यवर, अभी 23 मई, 2012 को देहरादून में मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि भूमिधरी का अधिकार 9 नवम्बर,2000 को राज्य स्थापना के दिन से सर्किल रेटों के दरों का दसवां हिस्सा लेकर उनको मालिकाना हक दिया जाए, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड के नजूल भूमि पर जो नगरीय क्षेत्रों में लोग बैठे हैं उनसे भी 9 नवम्बर, 2000 को जो सर्किल रेट था उसका दसवां हिस्सा लेकर उनको पट्टे प्रदान किये जाएं, यह मेरा आग्रह है, यह लोक महत्व का प्रश्न है, इसलिए सारे सदन के कार्य को रोककर इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नजूल भूमि के प्रबन्धन और निस्तारण तथा फ्री होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में मान्यवर, शासनादेश संख्या 437/V–2009–01 (एन0एल0)/08 दिनांक 01–03–2009 द्वारा नजूल नीति, 2009 निर्गत की गयी है। अब जिसकी अवधि शासनादेश संख्या 224/V–2012–01 (एन0एल0)/2008 दिनांक 31–03–2012 द्वारा 30–09–2012 तक बढ़ायी गयी है। मान्यवर, नजूल नीति के प्रस्तर 5 ''ख'' में पट्टेधारकों के विषय में फ्री होल्ड मूल्यांकन की गणना प्रभावी सर्किल रेट के निम्न दरों पर की गयी है। ऐसे 50 वर्ग मी0 तक के पट्टाधारकों को, जिन्होंने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया है, उनके द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट के सर्किल रेट की दर से निम्न मूल्यांकन नजूल नीति 2009 के अनुसार प्रचलित होगी, जिनका क्षेत्र 50 वर्ग मीटर तक 15 प्रतिशत हो, मान्यवर, 51 से 100 वर्ग मी0 तक 20 प्रतिशत, 101 से 200 वर्ग मी0 तक 40 प्रतिशत, 201 से 500 वर्ग मी0 तक 50 प्रतिशत तथा 500 वर्ग मी0 से ऊपर 80 प्रतिशत। मान्यवर, ऐसे पट्टाधारकों जिन्होंने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया है, उनके द्वारा निर्धारित कट ऑफ डेट के सर्किल रेट की दर से निम्न मूल्यांकन, नजूल नीति, 2009 के अनुसार प्रचलित होगा। 50 वर्ग मी0 तक 30 प्रतिशत, 51 से 100 वर्ग मी0 तक 40 प्रतिशत, 101 से 200 वर्ग मी0 तक 65 प्रतिशत, 201 से 500 वर्ग मी0 तक 80 प्रतिशत तथा 500 वर्ग मी0 से ऊनी 130 प्रतिशत होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या–761/V–2011–01 (एन0एल0)/2008 टी0सी0 दिनांक 29 नवम्बर, 2011 द्वारा नजूल भूमि को वर्ष 09–11–2000 की भूमि प्रचलित सर्किल दरों पर फ्री–होल्ड कराये जाने की

सुविधा प्रदान की गयी है। निर्धन व्यक्तियों के लिए नजूल नीति, 2009 में निम्न सुविधा भी प्रदान की गयी है। नजूल भूमि पर निर्धन व्यक्तियों की आवासीय कब्जे की भूमि को विनियमित किये जाने हेतु गरीबी रेखा के नीचे आने वाले व्यक्तियों के 100 वर्ग मी0 तक के भू–खण्डों को फ्री–होल्ड किये जाने हेतु पांच वर्षीय पांच प्रतिशत साधारण ब्याज सहित छमाही किश्तों पर भुगतान की सुविधा भी दे दी जायेगी।

श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, यह किस सर्किल रेट पर होगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, दे दी जायेगी। अभी इसका आदेश नहीं निकाला है। (व्यवधान)

श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, जिनकी रजिस्ट्री वाली भूमि है उनका 125 प्रतिशत लिया जा रहा है और जो अवैध कब्जाधारक 40 साल से रह रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अभी तो यह नयी नीति है, इस पर विचार किया जा रहा है। अभी तक किश्तों के आधार पर भुगतान की सुविधा भी दे दी जायेगी। यदि समयान्तर्गत निर्धारित तिथियों पर धनराशि जमा कर फ्री–होल्ड की कार्यवाही उपरोक्तानुसार नहीं करायी जायेगी तो यह सुविधा समाप्त मानी जायेगी। परन्तु ` 22000/– तक की वार्षिक आय वाले निर्धन पट्टेधारकों को 50 वर्गमीटर तक के केवल आवासीय भूखण्डों को निःशुल्क फ्री–होल्ड की सुविधा दे दी जायेगी।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, पट्टे तो हैं ही नहीं।

श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, रुद्रपुर में तो एक भी पट्टा नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि रुद्रपुर जिला मुख्यालय में किसी भी गरीब के पास एक भी पट्टा नहीं है। उस समय तत्कालीन अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा नोटिस दिया गया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :–

अनुदान संख्या–01 विधान सभा

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 279929 हजार (सत्ताईस करोड़ निन्यानवे लाख उन्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 279929 हजार (सत्ताईस करोड़ निन्यानवे लाख उन्तीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 197720 हजार (उन्नीस करोड़ सतहत्तर लाख बीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–03 मंत्रि परिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 197720 हजार (उन्नीस करोड़ सतहत्तर लाख बीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति

के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 1063961 हजार (एक सौ छः करोड़ उन्तालीस लाख इक्सठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 1063961 हजार (एक सौ छः करोड़ उन्तालीस लाख इक्सठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–08 आबकारी

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 61316 हजार (छः करोड़ तेरह लाख सोलह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, प्रदेश के आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण रखते हुए वैधानिक बिक्री से राज्य के विकास के लिए समुचित राजस्व प्राप्त करके संसाधन जुटाना है। वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए ` 727.67 करोड़ के राजस्व अर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष मार्च 2012 तक विभाग द्वारा ` 843.57 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु ` 942 करोड़ राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये आबकारी नीति की घोषणा की जा चुकी है। यह नीति दिनांक 16–05–2012 से लागू हो चुकी है। इस आबकारी नीति के प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं– आबकारी नीति में पारदर्शी व्यवस्था के अन्तर्गत मदिरा के व्यापार पर एकाधिकार समूह का वर्चस्व समाप्त करने के लिये मदिरा की दुकान का दुकानवार राजस्व निर्धारित करते हुए गत वर्ष की भाँति लाटरी द्वारा आवंटन की प्रक्रिया अपनाई गई है। आवंटन हेतु निर्धारित राजस्व पर दुकान चलाने के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं, जिसके लिये आवेदन पत्र की फीस पन्द्रह हजार रुपये रखी गई है। आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस से सरकार को लगभग ` 80.60 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई है। मदिरा दुकान के व्यवस्थापित मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर से 20 प्रतिशत अतिरिक्त उठान हुआ। देशी/विदेशी मदिरा की किसी भी दुकान के व्यवस्थापन के समय तय न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर के वार्षिक राशि के 1/12 भाग के बराबर राशि के 20 प्रतिशत प्रति माह अतिरिक्त उठान पर न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर नहीं लिया जायेगा।

मान्यवर, पूरे राज्य में एक व्यक्ति को केवल एक ही दुकान दी जायेगी, मदिरा के व्यवसाय से एकाधिकार को समाप्त करने के उद्‌देश्य से राज्य में एक व्यक्ति को आबकारी, देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा अथवा बीयर की एक ही दुकान आवंटित किये जाने का प्रावधान किया गया है। तहसील की दुकान तहसील के निवासियों को ही दी जायेगी, मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से मदिरा की दुकान, जिस तहसील में स्थित हो, केवल उसी तहसील के स्थाई निवासियों को ही आवेदन हेतु पात्र माना गया है। विशेष परिस्थितियों में यदि किसी दुकान को तहसील का कोई निवासी लेने का इच्छुक न हो तो जनपद के निवासी को दुकान हेतु आवेदन के लिये पात्र माने जाने का प्रावधान रखा गया है। मदिरा की थोक बिक्री का अनुज्ञापन केवल विदेशी मदिरा के निर्माताओं मैनुफैक्चरर, डिस्टिलर्स और ब्रीवर्स को ही गत वर्ष की भांति अपने उत्पाद बेचने के लिये एफ0एल0 टू अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने का प्रावधान रखा गया है। गढ़वाल मण्डल के पांच जनपदों पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में बार बियर बार अनुज्ञापन न्यूनतम 10 कमरे, 20 शैय्या वाले होटल और रिसोर्ट्स, जो मुख्य यात्रा मार्ग पर स्थित न हों, को ही स्वीकृत किये जा सकेंगे। अन्य मानक बार या बियर बार दिये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप रहेंगे।

मान्यवर, आसवनियों, बाटलिंग प्लांट ब्रुवरी, विंटनरी एवं वाईनरी की स्थापना में पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिये अनुज्ञापन देने पर विचार नहीं किया जायेगा। इसे तो माननीय कौशिक जी ही समझ सकते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, काफी बोल दिया, आप बैठने की कृपा करें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कौशिक जी ने कह दिया तो मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि यह तो आबकारी के एक्सपर्ट हैं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्‌देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने आबकारी विभाग के विषय में विस्तार से यहां पर बताया है, कदाचित् माननीय मंत्री जी यह भी कहती कि इस सम्बन्ध में पिछली सरकार

ने अच्छा काम किया है। मान्यवर, पिछली सरकार के समय पर इस विभाग में कुछ व्यवस्थायें की गई थीं, उन्हीं व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यह आबकारी नीति बनाई गई है, उसमें आवेदन की फीस ` 15000 करना, एक व्यक्ति को एक ही दुकान देना, तहसील स्तर के स्थाई निवासी को ही दुकान देना, इन सब व्यवस्थाओं को बनाने के पीछे यह मंशा थी कि इस कारोबार में चूंकि माफियाओं का वर्चस्व था, हमारा प्रयास था कि इसको उससे मुक्त कराया जाय। इसका परिणाम यह निकलकर आया कि जहां इस विभाग का राजस्व एक साल में ` 230–40 करोड़ का होता था, पिछले पांच सालों में वह करीब ` 1000 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन नई सरकार के आने के बाद, सरकार को इसमें एक नीति बनानी चाहिये थी कि इन्फोर्समेंट को आप कैसे मजबूत करेंगे, आप बताते कि सिपाहियों की भर्ती तत्काल करेंगे। आप यह नीति बनाते कि आबकारी विभाग के अन्तर्गत किस प्रकार से टैक्स कम करके रेट को कन्ट्रोल कर सकें। लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, अपितु नई नीति आने के बाद आज मान्यवर, एक दम लगभग 15 परसेंट, 20 परसेंट से ज्यादा रेट बढ़ गये। मुझे नहीं लगता कारण क्या रहा होगा। इस राज्य की भौगोलिक विषम परिस्थिति हमेशा इस चीज पर रही कि आबकारी विभाग यहां का प्रमुख राजस्व का संसाधन नहीं बनना चाहिए। यह सोच रहनी चाहिए। लेकिन साथ–साथ यह भी मन में भाव होना चाहिए कि इतनी छूट भी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे राज्यों के लोग आकर यहां पर इसका बेनीफिट उठायें, लेकिन साथ–साथ इस सरकार ने माननीय अध्यक्ष जी, दुकानें जो दिन में 12 बजे खोलने की व्यवस्था थी वो सुबह 10 बजे ही खोल दिया गया। सरकार ने ऐसा किस कारण से किया होगा कि 12 बजे से दुकान शाम के 9 बजे तक खुले। इन्होंने कहा कि 10 बजे तक खुलेंगी। नेशनल हाई–वे वाली स्थिति को मजबूती के साथ लागू करने की बात नीति के रूप में नहीं आयी है। आज यदि इस स्थिति में हम लोग थोड़ा कंट्रोल नहीं करेंगे, आपने कहा कि ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार में रात को 11 बजे तक दुकान खुली रहेगी। सुबह 10 बजे से दुकान खोलने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यह समय बढ़ाने के पीछे क्या कारण रहा होगा। इसी तरह से जो पुरानी दुकानें थीं, ये हुआ कि नयी दुकानें बढ़ायी नहीं जाएंगी, उस पर कहीं स्पष्ट नीति में नहीं आया। आज वर्तमान समय में दुकानें क्यों बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

आज पूरे प्रदेश में यह पहला वर्ष मैं देख रहा हूँ जो आबकारी को लेकर, दुकानों को लेकर बहुत बड़ा आन्दोलन छिड़ गया है। माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं सरकार ने यह परिपक्वता का परिचय नहीं दिया। अगर थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया होता सुबह 10 बजे से शुरू करके रात 11 बजे तक किया, तो लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। लोगों ने कहा कि पता नहीं फिर कौन सी सरकार बदल कर आ गयी और सरकार बदलने के पीछे क्या कारण रहे होंगे तो एकदम समय क्यों इतना बढ़ाया गया और इस कारण से पूरे क्षेत्र में आक्रोश उत्पन्न है। आज अगर देखा जाय आन्दोलन का बढ़ा कारण

केवल यही है कि सुबह से ही दुकान खोलने की घोषणा हो गयी रात 11 बजे तक खुलेगी। पूर्व सरकार में यह 12 बजे खुलेंगी और 09 बजे बन्द हो जाएंगी। आज यह आबकारी विभाग का जो बजट है निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो राज्य की अवधारणा है, उसके अनुरूप नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर ` 1 कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूँ। मैंने औचित्य में उसको दिया था, लेकिन किसी कारण से स्वीकार नहीं हुआ। मैं व्यवस्था के अन्तर्गत आपकी आज्ञा चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी राज्य का गठन भारत के संविधान के अनुरूप भारत की लोक सभा और राज्य सभा में पारित, पास होने के बाद (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष–

इसका औचित्य आ गया है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, औचित्य में आपने लिया नहीं, इसलिए व्यवस्था में ले आये हैं। अब आपकी कृपा होगी माननीय अध्यक्ष जी, जो भी आप करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, इस राज्य का गठन भी संविधान के उन्हीं सुसंगत अनुच्छेदों के अनुसार हुआ और इस राज्य को विधान सभा की 70 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गयी। मान्यवर, संविधान के अनुच्छेदों के अनुरूप इसमें एक सदस्य एंग्लो इण्डियन का नॉमीनेशन हो सकता है, वह भी हो गया। लेकिन आज इस सदन में एक सदस्य अधिक बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह विधान सभा के माननीय सदस्यों की सूची है जो विधान सभा से जारी हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था आप जो भी देंगे। (व्यवधान) मान्यवर, संविधान के अनुरूप जो भी उत्तर आयेगा, वह आ जायेगा, इसमें दिक्कत क्या है। (व्यवधान) मान्यवर, व्यवस्था के अनुरूप प्रश्न लाया हूँ। इसमें कहा है कि सदन के प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने के पहले ..... (व्यवधान)। मान्यवर, जब माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तब भी यह प्रश्न औचित्य के रूप में आया। माननीय अध्यक्ष जी, चाहे आप मेरी बात को स्वीकार करें या न करें, यह आपका निर्णय है। माननीय अध्यक्ष जी, भले ही आप मेरी बात को स्वीकार न करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

श्री मदन कौशिक जी, आप बहुत पुराने सदस्य हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, जब कोई वित्तीय मामलों पर चर्चा हो रही होती है तब बीच में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। कृपया बैठिये।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इस तरह का मामला केवल उत्तराखण्ड विधान सभा में नहीं आया, उत्तर प्रदेश में आया, बिहार में आया, उड़ीसा में आया, भले ही आप इसे स्वीकार मत करिये, लेकिन मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, आप बैठ जायें, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। माननीय सदस्य कौशिक जी की कोई भी बात का संज्ञान नहीं लिया जाये। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 61316 हजार (छः करोड़ तेरह लाख सोलह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 5185504 (पाँच सौ अठ्ठारह करोड़ पचपन लाख चार हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1.01 करोड़ है तथा इसकी पांच गुनी संख्या में प्रदेश में पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का आवागमन प्रतिवर्ष बना रहता है। उत्तराखण्ड भारत वर्ष का एक मात्र राज्य है, जिसमें नियमित पुलिस के अतिरिक्त राजस्व पुलिस की भी व्यवस्था है। जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर को छोड़कर शेष जनपदों में नियमित पुलिस का कार्य क्षेत्र सामान्यतः शहरों एवं कस्बों तक सीमित है। इस प्रकार राज्य का लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र राजस्व पुलिस तथा शेष 40 प्रतिशत नियमित पुलिस के नियंत्रणाधीन है। उत्तराखण्ड के सृजन के समय राज्य में कुमाऊँ एवं गढ़वाल दो परिक्षेत्र थे। वर्तमान में राज्य को चार परिक्षेत्रों क्रमशः देहरादून,

पौड़ी, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ परिक्षेत्र में विभक्त कर दिया गया है। देहरादून परिक्षेत्र में 3 जनपद, पौड़ी परिक्षेत्र में में 4 जनपद, नैनीताल परिक्षेत्र में 2 जनपद एवं पिथौरागढ़ परिक्षेत्र में 4 जनपद हैं। राज्य में जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर पुलिस व्यवस्था के दृष्टिगत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनपद है। प्रत्येक जनपद की पुलिस व्यवस्था के प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। परिक्षेत्रीय स्तर पर पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण है। उत्तराखण्ड राज्य की 625 किलोमीटर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है, जो चीन की सीमा से 350 किलोमीटर तथा नेपाल की सीमा से 275 किलोमीटर जुड़ी है। राज्य के जनपद उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ भारत–चीन सीमा तथा जनपद पिथौरागढ़ चम्पावत एवं ऊधमसिंह नगर भारत चीन सीमा से लगे हुए हैं। राज्य में तीन सशस्त्र पुलिस वाहिनियां पी0ए0सी0 राज्य गठन के पूर्व से उपलब्ध थी। राज्य गठन के उपरान्त दो अतिरिक्त वाहिनियां इण्डिया रिजर्व वाहिनी प्रथम एवं इण्डिया रिजर्व वाहिनी द्वितीय में स्थापित की गयी है। देहरादून में अभिसूचना एवं सुरक्षा अपराध अनुसंधान अग्निशमन, पुलिस संचार, मुख्यालय के अतिरिक्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं अपराधों की पैरवी हेतु अभियोजन निदेशालय भी स्थापित है। पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत मानव संसाधन (व्यवधान) पुलिस तो चाहिए वह आपको भी पता है।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय, कमी करने का उद्‌देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। सबसे पहले मैं सरकार को तो नहीं, पुलिस विभाग को बधाई देना चाहता हूँ जहां हमारे राजस्व पुलिस कर्मी अपने प्रदेश की सुरक्षा करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश की पुलिस को 625 किलोमीटर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के अन्दर सुरक्षा करनी पड़ती है। मान्यवर, पुलिस नेता भी बनाते हैं और बदमाश भी बनाते हैं। कहीं छोटे सा छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो उसमें पुलिस की बात आती है। लेकिन आज जो स्थिति प्रदेश की है चाहे कुमायूँ से लगा हुआ क्षेत्र हो उनके बारे में बजट में ऐसी कोई बात नहीं की गयी है। आज भी हमारे प्रदेश की पुलिस के पास थ्री नॉट थ्री या रायफल ही है, उनसे हम क्या अपेक्षा करेंगे कि वे आतंकवादियों से मुकाबला करेंगे। इसका उल्लेख यहां पर होना चाहिए था आज पुलिस के मनोबल को बढ़ाने की बात करते हैं। मान्यवर, पुलिस का मनोबल बढ़ेगा कहां से ? मैं इसमें देख रहा था कि गम्भीर रूप से घायल पुलिस कर्मी जब अपंग हो जायेगा तो सरकार उसको बीस हजार रूपये मात्र देगी। मान्यवर, प्रदेश में बलात्कार की घटना बढ़ रही है, फिरोतियों की घटनायें भी बढ़ रही है और हत्या की घटनायें भी बढ़ रही हैं।

मान्यवर, जब पुलिस वाला खुद ही सुरक्षित नहीं है और उसको मालूम है कि मैं मुठभेड़ में घायल हो गया, अपंग हो गया तो उसे 20 हजार रुपये मिलेंगे, तो वह क्यों क्राईम को रोकेगा, क्यों गुण्डों को पकड़ेगा। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक और बात लाना चाहता हूँ मुझे याद है कि उत्तराखण्ड आन्दोलन की बात, वर्ष 1994 में मसूरी काण्ड हुआ और मसूरी के अन्दर एक बहुत ही ईमानदार पुलिस कर्मी श्री त्रिपाठी जी मारे गये, वे शहीद हुये और उनकी विधवा को मैंने माननीय मंत्रियों के, माननीय मुख्यमंत्री के, सचिवों के चक्कर काटते हुये देखा, उनके शहीद होने के बाद अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य की चिन्ता के लिए इधर–उधर भाग रही थी तो इसमें मुझे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है कि अगर पुलिस का कोई हमारा भाई शहीद हो जाता है तो उसके मृतक आश्रितों के लिए आप क्या करेंगे, उसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, जब पुलिस वाला अपने को खुद सुरक्षित नहीं मानेगा तो वह दूसरों की क्या रक्षा करेगा। मान्यवर, आपने इसमें होमगार्ड की बात कही तो आज हमारे यहाँ पुलिस कर्मियों की कमी है तो उसकी जगह होमगार्ड के कर्मियों से काम लिया जाता है और उनका भत्ता सिर्फ ` 200 है और आज के जमाने में ` 200 में क्या होता है, हम क्या उम्मीद करेंगे कि ` 200 में वह होमगार्ड का जवान काम कर सकता है, तो इनका भत्ता बढ़ना चाहिए।

मान्यवर, आज मैं कारागारों की स्थिति देख रहा था, आज जेलों की हालत आप देख सकते हैं कि जेलों की क्या स्थिति है, अभी बताया कि 359 पद रिक्त हैं तो जब कर्मचारी ही नहीं होंगे तो वहाँ की व्यवस्था कैसे चलेगी, देहरादून में 17 पद रिक्त हैं तो उनके पदों को भरने की बात इसमें होनी चाहिए। मान्यवर, यहाँ की सबसे बड़ी चार धाम यात्रा है जिसमें देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं और एक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने स्वीकारा है और माननीय मंत्री जी ने आंकड़ों में कहा है कि 60 लोगों की मृत्यु हुई है। मान्यवर, पिछले आंकड़े उठाकर देखें कि क्या इतने थोड़े समय में इतनी दुर्घटनायें हुई हैं, तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसका उल्लेख यहाँ पर होना चाहिए। मान्यवर, कांवड़ मेला आ गया है। अभी मैंने देहरादून के अन्दर कांवड़ को देखा है और कांवड़िये अधिकतर हरिद्वार में आकर मसूरी आदि क्षेत्र में जाते हैं और हुड़दंग मचाते हैं तो उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसका भी उल्लेख होना चाहिए था। मान्यवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, इसका उल्लेख इसमें होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री गणेश जोशी जी, कृपया समाप्त करें।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, पुलिस की कार्य प्रणाली है, जब मैं पुलिस की वैलफेयर की बात करता हूँ वहाँ पुलिस के अन्दर एक अंकुश होना चाहिए, अभी आपने देखा होगा कि रवि एन्काउण्टर

में 11 लोगों को सजा हुई, करीब 4 पुलिसवालों को सजा हुई। मान्यवर, पुलिस की बहादुरी का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, हमारी पुलिस बहुत बहादुर है, हमारी पुलिस डरती है तो ज्यूडिशियल से डरती है। मान्यवर, एक जज साहब के यहाँ चोरी हो गई, जज साहब की घड़ी चोरी हो गयी तो उन्होंने अपने इलाके के सर्किल अफसर से कहा कि मेरी घड़ी चोरी हो गई है, इसको ढूँढ के लाईये, तो तीन दिन हो गये पर सर्किल अफसर ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई खबर नहीं आई जो जज साहब ने एस0एस0पी0 साहब से कहा कि सर्किल अफसर मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी घड़ी चोरी हो गई है। मान्यवर, जब एस0एस0पी0 साहब ने उस एस0ओ0 साहब को फटकारा तो शाम को एस0ओ0 साहब एक आदमी को पकड़कर, जज साहब के यहां ले गये, क्योंकि एस0ओ0 साहब को जज साहब का बार–बार फोन आ रहा था तो एस0ओ0 ने (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) जज साहब से कहा, साहब मैं चोर पकड़ कर लाया हूँ घड़ी भी मिल गयी और चोर भी मिल गया है तो इस बात पर जज साहब कहते हैं मेरी घड़ी तो आलमारी के नीचे गिर गयी थी, वह मुझे मिल गयी है। यही बताने के लिए मैं आपको बार–बार फोन कर रहा था। मैं यही बताना चाह रहा था कि हमारी पुलिस कितनी बहादुर है। (व्यवधान)

*मुख्यमंत्री (श्री विजय बहुगुणा)–

मान्यवर, मैं आपको बताऊं पिताजी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और मैं अपने परिवार के साथ नैनीताल से वापिस ट्रेन से जा रहा था, चलती ट्रेन में किसी ने मेरी वाईफ के गले से चैन खींची और पेपर में छप गया कि मुख्यमंत्री के बहू की गले से चैन खींच ली गयी और हंगामा हो गया। तीन दिन बाद वहां पर जो दरोगा था, वह एक चैन लेकर के घर आ गया। जो चैन मेरी वाईफ की थी ही नहीं, जैसे ही वाईफ ने चैन देखी तो उसने कहा यह तो मेरी चैन नहीं है तो तुरन्त उस दरोगा को संस्पेंड किया गया। अगर मुख्यमंत्री के घर में कोई इस तरह की चैन लेकर चले आये तो ऐसा ही होगा। यह कोई नयी बात नहीं है।

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं अपने सुझावों पर बल देता हूँ।

*श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। मेरी आदत न भाषण देने की है और न ही कहानी सुनाने की है। पुलिस बजट को आयोजना के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए था और इसे बढ़ाया जाना चाहिए था। दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि पुलिस के रहने के स्थान ठीक नहीं हैं, हम

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको देखते हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में इनके मकान और बैरकों की हालत बहुत ही खराब है। प्रदेश में जिलेवार जेल नहीं हैं। हमारे 13 जिले हैं, लेकिन 13 जेल नहीं हैं। मान्यवर, शस्त्र हैं, रायफल हैं यह इतनी भारी है कि 1940 द्वितीय विश्व युद्ध की हैं, जब जवान देशी घी खाते थे और बहुत लम्बे–चौड़े होते थे तो वे इसे उठा कर भागते थे। आज स्थिति यह है कि 8 किलो की हमारी रायफल और 35 किलो का हमारा छोटा सा जवान है और उन पर लगी हुई जंक। मान्यवर, मुझे पता है एक बात चार–पांच साल पहले की सुना रहा हूँ मेरे क्षेत्र में गन्ने के खेत में बदमाश घुस गये और हम उन बदमाशों के पीछे भाग रहे थे और पुलिस भी भाग रही थी, हम पुलिस का साथ देने के लिए और बदमाशों को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। सुनिये तो, पुलिस वाले ने रायफल चलायी वह मिस हो गयी, तब हमारे लोगों के पास जो लाईसेंसी हथियार थे, वह चलाये, तब उन बदमाशों को घेरा गया और पुलिस को सौंपा गया। इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के हमारे हथियार हैं और अब तो हमारे जवान डालडा घी खा रहे हैं, चाय भी वे लेमन पी रहे हैं। इन बंदकों से ये आतंकवादी और बदमाशों का मुकाबला कर लेंगे, यह सम्भव नहीं है, इन्हें आधुनिकतम हथियार देने चाहिए। मैं पुलिस का धन्यवाद अदा करता हूँ कि वह 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो 24 घंटे ड्यूटी करता हो और मरे, जिंदों को उठाता हो। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जो अभी परसों की घटना है। मेरा गांव जो सुल्तानपुर है, इस गांव के पास ही में इस्माईलपुर गांव है, इस गांव का एक ट्रक ड्राईवर है, वह इधर पश्चिम बंगाल से टाईल्स लेकर ..... (व्यवधान) मैं कहानी नहीं सच्चाई बता रहा हूँ। परसों की बात है, इसकी जांच करायें माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं। (व्यवधान) मैं यहां था, फोन तो मेरी जेब में था। (व्यवधान) मान्यवर, ड्राईवर इतना थका हुआ था, उसने सोचा कि भगवानपुर थाना है, इसके आगे गाड़ी खड़ी कर दूँ, सुरक्षित रहेगी, रात के डेढ़–दो बजे की बात थी, वह पड़कर सो गया। पुलिस वाले आए, उन्होंने उसे उठाया और उस पर इतना लट्ठ बजाया कि उसका शरीर पूरा नीला हुआ पड़ा है, उसी जांच करें। मैं इस सदन के माध्यम से मांग करता हूँ कि ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। मैं अगर वहाँ होता तो मैं उसकी मेडिकल रिपोर्ट करवाता, डॉक्टरी रिपोर्ट करवाता और दोषियों के खिलाफ मुकदमा कायम करवाता। आज तक कुछ नहीं हुआ है, वह घायल पड़ा हुआ है। (व्यवधान) आपकी सरकार है आप तो फोन से करवा सकते हैं, हम तो लड़–झगड़ कर करवा सकते हैं। मैं बाई फोर्स करवाता। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि इस मित्र पुलिस को थोड़ा अनुशासन का पाठ पढ़ाएं, ऐसी कार्यशालाएं लगाएं, जिससे ये अनुशासन सीखें और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दुबारा न हो।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, राजस्व पुलिस के बारे में तो किसी ने बोला ही नहीं। (व्यवधान) मान्यवर, एक छोटा सा मामला तो बता दूँ।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में बोलिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ 60 प्रतिशत क्षेत्र राजस्व पुलिस के अन्दर आता है। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में राजस्व पुलिस ही काम करती है। पटवारी चौकियों में पटवारियों की संख्या बहुत कम है और जो संख्या है भी, उनको बहुत बड़ा क्षेत्र दे दिया गया है। आने–जाने के लिए उनके पास गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार उनको दिन–रात काम पर जाना पड़ता है, उनके सहायक के तौर पर न पी0आर0डी0 के जवान हैं न पुलिस कर्मी साथ में जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यदि कोई शिकायतकर्ता उनके पास आता है तो उनका कहना होता है कि गाड़ी की व्यवस्था वे स्वयं करें क्योंकि उनके लिए वाहन की व्यवस्था सरकार के द्वारा न तो पहले की गयी, न इस बजट में व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने संक्षेप में रखने को कहा है, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि राजस्व पुलिस को भी मजबूत किया जाय क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है और पर्वतीय क्षेत्रों के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय सीमाएं जुड़ी हुई हैं। वह बजट में कहा भी गया है। संक्षेप में अपनी बात कहते हुए माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटी सी मांग मैं और कर रहा हूँ कि अग्निशमन पुलिस अधिकारियों की जो बात यहाँ पर कही गयी है, चम्पावत का टनकपुर फायर स्टेशन है, वहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गयी है लेकिन वहाँ पर न अग्निशमन वाहन है, न पम्प है और न ही मशीन क्रय की गयी है। खाली वेतन उनको दे रहे हैं, तो यह काम कम से कम तत्काल कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, आपने संक्षेप में बोलने को कहा है लेकिन राजस्व पुलिस के जो पटवारी लोग हैं, इनको मजबूत करने की अति आवश्यकता है।

श्री राज कुमार ठुकराल–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी–अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि उत्तराखण्ड के अन्दर तीन वाहिनियाँ प्रभावी हैं, हरिद्वार में और रुद्रपुर में। मान्यवर, इन वाहनियों में कार्यरत जो सिपाही हैं, कांस्टेबिल हैं, जवान हैं, जब ये हैड कांस्टेबिल हो जाते हैं तो वाहिनियों के अन्दर इनके प्रमोशन की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कोई एजीटेशन कर नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि किसी को ज्ञापन भी नहीं दे सकते, तो मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि जो उनके प्रमोशन की कार्यवाही वहाँ रुकी हुई है, हैड कांस्टेबिल से प्लाटून कमाण्डर में आने के लिए, उसको तत्काल प्रभावी कराया जाय।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं दो–एक बिन्दु आपके माध्यम से लाना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं, पूरा ट्रेजरी बेंच बैठा हुआ है। एक नियम यहाँ पर था कि एक जिले में कम से कम 3 साल एक दरोगा रहेगा। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर से नैनीताल कुछ दरोगा पहले स्थानान्तरित हुए और वे एक साल में वापस आ गए, उन्हीं स्थानों पर आ गये जहाँ से उनको स्थानान्तरित किया गया था। एक तो जो हमने पॉलिसी बनाई, इन्हें वापस लाकर क्या उस पॉलिसी को हमने तोड़ दिया है या फिर हमने संशोधन कर दिया है, यह अभी तक किसी के संज्ञान में नहीं आया है। तो सदन के माध्यम से उत्तर भाषण जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की तरफ से देंगी तो इसका स्पष्टीकरण आ जाए। मान्यवर, दिनेशपुर का एक एस0ओ0 था, श्री उत्तम सिंह, मैं ऊधमसिंह नगर की बात बता रहा हूँ, उसको एक साल भी नहीं हुआ था, तत्काल हटा दिया गया। मान्यवर, इतना ही नहीं ईमानदार ऑफीसर्स का यहाँ पर कैसे शोषण हो रहा है और वह किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, मैं एक मामला संज्ञान में लाना चाहता हूँ, सी0आई0डी0 के इंस्पेक्टर श्री विनोद कुमार चौहान इनके बारे में आत्महत्या का जिक्र आता है, यह बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। इनको इतना प्रताड़ित किया गया कि इन्होंने आत्महत्या कर ली या इनको हार्ट अटैक हुआ, इसका भी उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में देंगी। मान्यवर, मैं एक और चीज आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पुलिस में जो दागी पुलिस ऑफीसर्स हैं और जिनके बारे में जांच चल रही हो, हमारा किसी से व्यक्तिगत दुराव नहीं है या किसी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन कम से कम जिसके खिलाफ जांच चल रही हो, जिनके बारे में समाज में यह बात आई हो कि यह ठीक लोग नहीं हैं, तो सरकार की ओर से यह मैसेज नहीं जाना चाहिये कि उसको हमने फलाने जिले का एस0एस0पी0 बना दिया या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करी। अभी आपने एक ऑफिसर को ऊधमसिंह नगर का एस0एस0पी0 बना दिया है, उनके खिलाफ जांच लम्बित है और उनको प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है तथा उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति हुई है लेकिन उनको ऊधमसिंह नगर का एस0एस0पी0 बना दिया गया है।

मान्यवर, अब उसमें यह परेशानी आ रही है कि अगर ऊपर ईमानदार अधिकारी बैठा होता है तो नीचे तक ईमानदारी आती है और अगर ऊपर बेईमान अधिकारी बैठा होता है तो नीचे तक बेईमानी चलती है। तो आज ऊधमसिंह नगर के ईमानदार अधिकारी मन मसोस कर बैठ गये हैं कि ईमानदारी से काम करने का यह फल है। मान्यवर, वहां पर थाने खुलेआम बिक रहे हैं, अभी तक किच्छा थाने में कोई एस0ओ0 नहीं जा पाया है, उसकी बिक्री चालू है और 23 दिन से वहां पर कोई एस0ओ0 नहीं जा पाया है। इसी प्रकार से बागेश्वर के एस0एस0पी0 का प्रकरण है, जो वहां के एस0पी0 रहे, उनके बारे

में भी बहुत निम्न स्तर की टिप्पणी ही नहीं बल्कि आरोप लगे, वहां की हमारी बहनें थीं पुलिस में, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा शारीरिक शोषण होता है। मैं उन शब्दों को यहां पर नहीं कहना चाहता हूँ, कई समाचार पत्रों में भी इस आशय का समाचार छपा था, तो उनके खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही हुई। आज यहां पर बहुत साफ–सुथरा प्रशासन देने की बात हम कर रहे हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने कोई अपराध किया होगा, लेकिन जब बात आ गई और इन्क्वायरी शुरू हो गई और पुलिस की हमारी बहनें कह रही हैं कि हमारा शारीरिक शोषण होता है और भी कई सारी बातें कही जाती हैं, इसलिये मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज सदन में बैठे हैं हम उनको बहुत सम्मान करते हैं और वह ज्यूडिश्यरी में रहे हैं तो उनको पूरे नियम और कानूनों की जानकारी है, तो फिर किसके दबाव में आकर, जब आप जैसे मुख्यमंत्री के हाथ में कमान हो और इस प्रदेश में ऐसे अधिकारी आगे आ जाय। मैं यह नहीं कह रहा कि इन्होंने क्या किया, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हुई है, तब तक तो उनको अलग रखा जाना चाहिये, ऐसा नियम भी है। क्योंकि इससे जांच प्रभावित होती हैं, क्योंकि यह कानून और संविधान की प्रक्रियायें हैं। यह नियम है कि जिसके खिलाफ जांच चल रही होती है, उसे कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता है। तो जब उत्तर भाषण आये तो यह बात भी स्पष्ट हो।

मान्यवर, एक ए0डी0जे0पी0, जिनकी सी0बी0आई0 जांच चल रही है, उनके बारे में भी स्पष्टीकरण आ जाय कि उसमें आज तक क्या कार्यवाही हुई है और सरकार आगे क्या करने जा रही है। क्योंकि यह प्रदेश का मामला है और यहां पर बजट भाषण चल रहा है और इसमें हम चुस्त और दुरुस्त शासन देने की बात कर रहे हैं और स्थिति यह आ रही है, जैसा श्री गणेश जी ने बताया है और मैं उन्हीं के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसमें यह बात आ रही है कि हमारे अपने घर में हमारे विधायक सुरक्षित नहीं हैं, हमारे सचिव सुरक्षित नहीं हैं और आये दिन राजधानी में चोरी और डकैती हो रही हैं तो इसलिये अधिकारी कम से कम चुस्त और दुरुस्त हों, जो इन समस्याओं का निदान कर सकें और उन लोगों को निवारित किया जाय, उनको रोका जाय, उनको उनके पदों से तब तक हटाया जाय, जब तक वह क्लियर होकर नहीं आते हैं या जब तक उनको सरकार, शासन या न्याय का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। जब तक उनको क्लीन चिट नहीं दी जाती है, तब तक उनको ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर निषेध किया जाय। अभी आन्दोलनकारियों की बात आई है।

मान्यवर, उनको पेंशन ठीक नहीं दी जा रही है, चिन्हीकरण नहीं हो रहा है। तो इनको भी ठीक किया जाय। जेल के अन्दर हमारे कैदियों को रुकने के लिए, उनके भोजन की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, जेलों में ठीक से बिस्तर नहीं हैं, साफ–सफाई नहीं है। आज तो जेलों में उचित तरीके से सुधार करने के लिए एक से एक श्री श्री रविशंकर जी, जेल के अन्दर उनके प्रवचन होते हैं, साधु–सन्तों के होते हैं, रामदेव जी जेल के

अन्दर गये कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर विकृत चित्त का हो गया है तो उसको आम धारा में कैसे लाएं। उन्हें सुधारने का भी नैतिक कर्तव्य हमारा है। मान्यवर, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार मेरे द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर ध्यान देगी और मैं श्री गणेश जोशी जी के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ, बल देता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कुछ गम्भीर मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका सीधा संज्ञान लेकर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करनी चाही है।

श्री राज कुमार ठुकराल–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। जो जनपद ऊधमसिंह नगर की बात की गयी है, वहां पर एक चूडामल की कस्टडियल डेथ हुई थी। उस डेथ में जिसने प्रताड़ना की, उसको सस्पेंड किया गया, उस आरोपी दरोगा को वहां से भगाया गया। उसका नाम था चंचल शर्मा। दोबारा वह अपने प्रभाव से फिर आ गया। वर्ष 2008 में रुद्रपुर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ जो उत्तराखण्ड में एक बदनुमा दाग था, क्लिपिंग कांड। (व्यवधान) आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो बिल्कुल नवजात शिशु हूँ। (हंसी) मैं तो बच्चा हूँ आपका। वर्ष 2008 में क्लिपिंग कांड होता है, उस क्लिपिंग कांड का जो मुख्य सूत्रधार था जिसको सी0बी0सी0आई0डी0 और विजिलेंस की जांच के बाद उसको आरोपी पाया गया। मिस्कन्डक्ट हुई, डिग्निटी डाउटफुल, प्रश्नचिन्ह लगा उस दरोगा के, वो दरोगा आज ऊधमसिंह नगर के एस0एस0पी0 का सबसे कमाऊ पूत है। अपने प्रभाव से वो व्यक्ति पंतनगर विश्वविद्यालय, जो पूरे विश्व के अन्दर ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है, वहां पर उस व्यक्ति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए मोटी रकम देकर वहां पर थानाध्यक्ष का पद हथिया लिया है। जिस व्यक्ति को कई बार सस्पेंड किया गया, जिस व्यक्ति की सत्यनिष्ठा पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया, उसकी बर्खास्तगी की नौबत आयी, सरकार ने उसका संज्ञान लिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ पूरे सदन से, कि इसको सरकार बहुत गम्भीरतापूर्वक से ले। ऐसे दरोगा, ऐसे पुलिस के अधिकारी, जो सरकार की छवि को कलंकित कर रहे हैं इसका संज्ञान ले।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 5185504 हजार (पांच सौ अठ्ठारह करोड़ पचपन लाख चार हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–14 सूचना

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 318717 हजार (इक्तीस करोड़ सत्तासी लाख सत्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं मोटे–मोटे बिन्दु बता रही हूँ पूरा नहीं बता रही हूँ। हमारा आयोजनागत व्यय ` 2 करोड़ 11 लाख 14 हजार है। आयोजनेत्तर व्यय ` 38 करोड़ 78 लाख 67 हजार है। अनुसूचित जाति उपयोजना ` 15 लाख 01 हजार है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना ` 5 लाख है। पत्रकारों को अनुदान चिकित्सा सुविधा से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ` 5 लाख का प्राविधान है। जिला स्तर पर प्रेस क्लब भवनों के निर्माण एवं रख–रखाव हेतु ` 10 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है। प्रदेश में मीडिया सलाहकार समिति के संचालन सम्बन्धी व्यय हेतु ` 15 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है। विज्ञापन की मद में ` 28 करोड़ 50 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है। सूचना महानिदेशालय के भवन निर्माण हेतु ` 01 करोड़ की धनराशि का बजट में प्राविधान है। न्यूज मैगजीन एवं अन्य प्रचारपरक फिल्मों के निर्माण के लिए आयोजनेत्तर पक्ष में ` 65 लाख तथा आयोजनागत पक्ष में ` 17 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है। प्रकाशन मद में आयोजनेत्तर पक्ष में ` 50 लाख एवं आयोजनागत पक्ष में ` 14 लाख 50 हजार की धनराशि का बजट में प्राविधान है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आयोजनागत पक्ष में ` 40 लाख 50 हजार की धनराशि का बजट में प्राविधान है। अनुसूचित जातियों का कल्याण हेतु ` 15 लाख तथा अनुसूचित जन जातियों का कल्याण हेतु ` 5 लाख का बजट में प्राविधान है। प्रेस अतिथ्य की मद में ` 60 लाख का बजट में प्राविधान है। न्यूज एजेंसियों की सेवाओं हेतु ` 30 लाख का बजट में प्राविधान है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दी जा रही सुविधाएं– उत्तराखण्ड परिवहन निगम की सभी प्रकार की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा। पत्रकारों द्वारा शासकीय चिकित्सालयों

में कराये गये इलाज से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य कर्मियों की भाँति उपलब्ध कराई जा रही है। आपदाग्रस्त पत्रकारों को पत्रकार कल्याण कोष (कारपस फण्ड) से वित्तीय सहायता का प्राविधान। जिला स्तर पर पत्रकारों की समस्या एवं उत्पीड़न के मामलों के निस्तारण हेतु जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पत्रकार स्थाई समितियों का गठन किया गया है। पत्रकारों के लिए प्रेस कार्य हेतु टैक्सी की सुविधा। देहरादून के बाहर से प्रेस कार्य हेतु देहरादून से आने वाले पत्रकारों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा। नई दिल्ली तथा प्रदेश के अन्य स्थानों पर स्थित राज्य अतिथि गृहों में पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर आवासीय सुविधा। पत्रकारों के लिए समाचार संकलन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर प्रेस मान्यता की सुविधा। पत्रकार संगठनों द्वारा समय–समय पर आयोजित गोष्ठियों के लिए सहायता प्रदान करना। पत्रकारों को समाचार प्रेषण के उद्देश्य से सचिवालय एवं विधान सभा परिसर स्थित मीडिया सेंटर में आधुनिक संचार सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराना। प्रेस क्लबों के निर्माण एवं पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक सहायता। एक चीज प्रमुख की गई है वह विभागीय वेबसाइट का निर्माण किया गया है। दूसरा जो नया काम किया गया है वह ई–भुगतान की व्यवस्था लागू है। पहली बार डेढ़ करोड़ रुपया ई–भुगतान के द्वारा कर दिया गया है। आपको और पूछना हो तो कुछ और बताओ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अनुदान संख्या–14 सूचना के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी राज्य का सूचना विभाग निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, सूचना विभाग एक ऐसा सशक्त माध्यम है। जिसको अपनाकर हम सरकार की जो योजनाये हैं उन योजनाओं को दूरदराज के अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना सकते हैं। सूचना विभाग सरकार की जो योजनायें हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों को आम लोगों तक पहुँचाये, यह प्रमुख काम है। सरकार के प्रवक्ता के तौर पर सूचना विभाग पूरी तरीके से काम करे यह उचित नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, नन्दा राजजात यात्रा इस प्रदेश का एक बहुत बड़ा इवेन्ट्स है, जिसे हम पूरे देश के अन्दर बहुत बड़े महापर्व के रूप में ला सकते हैं। सरकार को इस स्तर पर निश्चित रूप से सूचना विभाग के माध्यम से मान्यवर, उत्तराखण्ड में ही नहीं, अपितु देश के प्रमुख राज्यों में इसका प्रमुखता से प्रचार–प्रसार करना चाहिए। यह नन्दा राजजात यात्रा राज्य के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम बन सकता है। जिसमें लाखों लोगों को राज्य के प्रति धार्मिक रूप से और इस राज्य का जो भौगोलिक स्वरूप है, उसके प्रति लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। राज्य के प्रत्येक जिले में यदि जिला सूचना अधिकारी नहीं है तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो केन्द्रीय व्यवस्था है वैसे ही वह राज्य के जिलों में भी होनी चाहिए। जिससे यहां पर सारी व्यवस्थायें हो सकती हैं। मान्यवर, पहले भी इस सदन में इस बारे में चर्चा हो गयी है कि पत्रकारों के लिए आवासीय

कालोनी की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि सरकार की तरफ से इस बारे में व्यवस्था आये तो अच्छा रहेगा। मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा जो अन्य पत्रकार हैं उनके लिये भी योजना शुरू करानी चाहिए। मान्यवर, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए पांच हजार रुपये मासिक पेंशन है वह काफी कम है उसको भी बढ़ाना चाहिए। जो सूचना विभाग है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन सरकार ने इनकी योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूँ उनको भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाय और मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री विजय बहुगुणा—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कौशिक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जो नन्दा देवी यात्रा होनी वाली है मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस यात्रा की व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी जायेगी और मैं एक कमेटी का गठन कर रहा हूँ जो मेरी अध्यक्षता में रहेगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे। यह यात्रा जिन जनपदों से होकर जाने वाली है वहां के माननीय विधायक भी उसके सदस्य रहेंगे। हम केन्द्र सरकार से भी मिले हैं उन्होंने भी कहा है कि इसमें सहयोग करेंगे। जो अगले वर्ष केन्द्रीय मैप आयेगा उसमें भी इस यात्रा का जिक्र होगा। मान्यवर, मैंने 16 तारीख को एक बैठक बुलाई है जिसमें पांच सदस्य इस समिति के और कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल के कमीश्नर तथा तीनों जिलों के जिलाधिकारी भी रहेंगे। जो भी योजना होगी क्योंकि यह यात्रा बहुत लम्बी है इसमें लाखों आदमी आयेंगे। निश्चित रूप से इसमें आपका सहयोग लेकर इस राजजात यात्रा का सफल बनायेंगे। यह जनता को आश्वस्त करते हैं। (कई माननीय सदस्यगण बैठे—बैठे एक साथ अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हुआ) (घोर व्यवधान के मध्य)।

श्री अध्यक्ष—

राजजात यात्रा पर माननीय नेता सदन ने पूरी बात रख दी है। इसके बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता है। (घोर व्यवस्था के मध्य)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—14 सूचना के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या—14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 318717 हजार (इक्तीस करोड़ सत्तासी लाख सत्रह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अब हम उठते हैं अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

कार्य–मंत्रणा समिति की पुनः सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 08–06–2012 की बैठक में दिनांक 08 जून, 2012 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखने जाने की सिफारिश की है:–

जून, 2012

08 शुक्रवार विधायी कार्य

(1) उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 विचार एवं पारण। (30 मिनट)

शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी, ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर वैसे देख लिया जाय तो यह प्रस्ताव गिर गया है, यह बहुत गम्भीर बात है, ट्रेजरी बेंच में लोग हैं नहीं। यह प्रस्ताव एक तरह से गिर गया है। आप जैसा भी विनिश्चय करें। मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूँ। मैं मत विभाजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेल देने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, दरवाजे बन्द करके भी मतदान की बात नहीं कर रहा हूँ। यह सब दिखायी पड़ रहा है आप देख लें, ट्रेजरी बेंच की क्या हालत है। बाकी आप जैसा निर्णय देना चाहें यह आपके हाथ में है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, आपकी आपत्ति सही है।

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, माफ करिये, मैं सत्य बात बता रहा हूँ यहां पर दो ट्वायलेट बने हुए हैं, एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए बना है। महिलाएं पांच हैं और पुरुष 65 हैं, हमें यहां लाईन में लगना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी, यह विषय सदन में नहीं उठाया जाता है। (व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत) :–

अनुदान संख्या–21 ऊर्जा

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 3680628 हजार (तीन सौ अड़सठ करोड़ छः लाख अट्ठाईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, विद्युत प्रबन्धन जिन कार्पोरेशन के द्वारा होती है उनका विवरण मैं आपको दे रही हूँ अन्यथा यह बहुत लम्बा–चौड़ा विभाग है। वर्तमान में यू0जे0वी0एन0एल0 निगम जल विद्युत ग्रहों से विद्युत उत्पादन, नये जल विद्युत परियोजना का निर्माण तथा पुराने जल विद्युत गृहों का पुनरोद्धार कर राज्य में विद्युत उपलब्ध कराता है। मान्यवर, वर्ष 2012–13 के लिए ` 165.30 करोड़ अनुमोदित किए गए हैं, जिसमें राज्य सेक्टर में ` 60.00 करोड़, नाबार्ड में ` 25.01 करोड़ एवं बाह्‌य सहायतित–ए0डी0बी0 में ` 80.29 करोड़ आवंटित किए गए हैं। मान्यवर, पॉवर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड ''पिटकुल'', यह कारपोरेशन 132 के0वी0 अधिक वोल्टेज पर विद्युत निकासी का कार्य सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में करता है। इसमें पारेषण तन्त्र का नया निर्माण एवं रखरखाव शामिल है। वर्ष 2012–13 का वार्षिक परिव्यय ` 322.11 करोड़ रखा गया है जोकि गत वर्ष के बजट की तुलना में ` 184.9 करोड़ अधिक है।

मान्यवर, इसमें वाह्‌य सहायतित परियोजना के तहत ` 298.23 करोड़ एवं राज्य योजना में ` 23.28 करोड़ का प्राविधान है। उपसिल, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन, यह कारपोरेशन राज्य के उपभोक्ताओं को निरन्तर विद्युत आपूर्ति करता है। 2012–13 का वार्षिक परिव्यय ` 40.01 करोड़, जिला योजना में ` 10.90 करोड़, राज्य योजना में अंश पूँजी के रूप में ` 29.11 करोड़। राज्य योजना में बजट अभी तक गत वर्षों के ऋण के

रूप में दिया जाता था जबकि इस वर्ष अंश पूँजी के रूप में धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसके सापेक्ष कारपोरेशन द्वारा 70 प्रतिशत ऋण की व्यवस्था है, जो कि लगभग ` 70 करोड़ है, वह अपने स्तर से की जाएगी। पी0डी0एफ0, पावर डेवलपमेंट फण्ड, इसके अन्तर्गत वर्ष 2012 में ` 84 करोड़ आवंटित किया गया है। वार्षिक योजना बजट प्लान मद में ` 980 करोड़, नॉन प्लान में ` 280 करोड़, कुल ` 1260 करोड़ है। मुख्य संचालित योजनाएं, 670 ग्रामों में कुल 13003 सोलर लाईट स्थापित कीं। अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती विकास खण्डों के समस्त परिवारों को कुल 80 हजार सोलर लालटेन अनुदान में वितरित की जाएंगी। बछेलीखाल, जनपद–टिहरी गढ़वाल में 2.4 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। उत्तराखण्ड के समस्त जनपदों में स्थित विकास भवनों में ऊर्जा की खपत कम करने के लिए सोलर पावर प्लाण्ट लगाए जाएंगे। ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 11 निर्माणाधीन माइक्रो हाईडिल परियोजनाओं को इस वर्ष पूर्ण कराया जाएगा। इस वर्ष 500 पारम्परिक घराटों के सुधारीकरण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से इस वर्ष 5 लाख लीटर क्षमता के सोलर वाटर हीटर संयंत्रों की स्थापना कराई जाएगी।

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी–अभी हमारे संज्ञान में यह बात आयी है कि सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालयों को खोलने की स्वीकृति दे दी गयी है। मान्यवर, यहाँ पूर्व से ही कई विश्वविद्यालय खुले हुए हैं वह मुर्गी के दड़बों की तरह यहाँ पर खुलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में माननीय न्यायालय के आदेश से उनको बन्द करना पड़ा। कैसे खोलेंगे, क्या होगा, किस टाईप से खोलेंगे, इसका संज्ञान अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, पूरा प्रदेश सशंकित है। जिस किस्म से यहाँ पर यह हो रहा है, यह पर्वतीय क्षेत्र के लिए और विशेषकर उत्तराखण्ड के लिए बहुत ही दुःखदायी स्थिति है कि जब कोई बच्चा उत्तरकाशी से यहाँ पढ़ने आएगा। वह यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आएगा लेकिन यहाँ से लुट कर जाएगा। उसका जीवन बेकार हो जाएगा। यह हमारी नियम–310 की सूचना है। पूरा सदन यदि एकमत नहीं भी है, मुझसे कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आना चाहिए यह मामला। लेकिन हमारा विपक्ष एक मत है, हम कोई भी यहाँ पर गलत काम नहीं होने देंगे। इसलिए यह बजट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले इस पर चर्चा कराई जाए कि यह क्या मामला आ रहा है। हमारी नियम–310 की सूचना पर चर्चा स्वीकार की जाय। हमें ऐतराज नहीं है, हमारे व्यक्तिगत सम्बन्ध सबसे बहुत अच्छे हैं, सारे मालिकान से बहुत अच्छे हैं, पर नैतिक जिम्मेदारी है हमारी, इस प्रदेश को बचाना। वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।

इसलिए सारे सदस्य एकमत हैं, विपक्ष के। मैं चाहता हूँ सत्ता पक्ष के सदस्य भी इसमें साथ दें। मान्यवर, सबसे पहले विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में नियम–310 पर चर्चा कराएं, उसके बाद कुछ हो और नियम–310 एनी स्टेज पर लाई जा सकती है। मान्यवर, कार्यवाही कुछ भी चल रही हो, नियम–310 ही एक ऐसा हथियार है, जो कहीं भी बीच में आ सकता है। इसलिए मैं आपसे चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्‌ट जी, आप बहुत पुराने सम्मानित सदस्य हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। वित्तीय कार्य के मध्य यह विषय नहीं लिया जा सकता है। सभा के समक्ष यह कार्य विचाराधीन भी नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्‌ट–

मान्यवर, नियम–310 ही एक ऐसा नियम है जो कहीं पर भी लिया जा सकता है। चाहे वित्तीय कार्य हो या कुछ भी हो। यही एक बहुत बड़ा प्रीविलेज है कि सदन के सारे कार्यों को निरसित करके इसको लिया जा सकता है। यही एक हथियार होता है विपक्ष के पास, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर नियम–310 में चर्चा करा लें। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नियम–310 में चर्चा कराने में कोई नुकसान नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्‌ट–

मान्यवर, इस पर चर्चा करा ली जाय। यह क्या चीज आ रही है, हमारे सामने आ जाए, पूरे सदन के सामने आ जाए। हम बोलेंगे, सदन के सदस्य बोलेंगे। सारे लोग इसमें भाग लेंगे। कुछ इधर से बोलें, कुछ उधर से बोलें, बजट तो पारित हो ही जाएगा। मान्यवर, इसके सामने तो अब बजट इमैटेरियल हो गया है। जो बातें आज बीच में आ रही हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, क्षमा करें, यदि यील्ड हो जाय, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराना चाहती हूँ कि इन पर जब बिल आयेगा या कोई प्रस्ताव सदन में आयेगा तो उस समय आप अपनी बात को रख सकते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बिल तो बाद में आयेगा, इसको कैबिनेट ने पास कर दिया है, सदन तो तीन–चार माह बाद आयोग और तब तक इसमें आर्डिनेंस आ जायेगा। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो गलत हो रहा है, वह सही कैसे है, इस पर पूरे सदन में चर्चा हो जाय।

(भारतीय जनता पार्टी के समस्त माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये)

मान्यवर, हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन उत्तराखण्ड की रक्षा करना पूरे उत्तराखण्ड का कर्तव्य है, यदि कोई काम गलत हो रहा है तो उसको सही करने के लिये यदि सदन के लोग नहीं आते हैं तो नैतिक जिम्मेदारी विपक्ष की है और हम इस पर पहले चर्चा की मांग करते हैं, इस पर आपसे हम विनिश्चय चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, वित्तीय कार्य के मध्य इसे नहीं लिया जा सकता है। अतः इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे और अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के अध्याय–6 में स्पष्ट कहा गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वह सारी बातें ठीक हैं, लेकिन नियम–310 ही एक ऐसा माध्यम है, जिसमें यह बात आ सकती है, क्योंकि आगे सदन आहूत नहीं हो रहा है, आज सदन का अन्तिम दिन है। .... (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियमावली के अध्याय–6 के नियम–24 (2) में स्पष्ट उल्लेख है कि "जब तक कि इन नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना किसी उपवेशन में कोई ऐसा कार्य नहीं लिया जायेगा, जो उस दिन की सूची में सम्मिलित न हो।"

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–310 में लिखा गया है कि ''कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा'', इसलिये मैं आपसे नियमों के निलम्बन के लिये कह रहा हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपका ध्यान उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के अध्याय–6 के नियम–23 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जिसमें उल्लेख है कि ''सभा के किसी अधिवेशन के प्रारम्भिक सप्ताह में लिये जाने वाले कार्य की सूचना विधान सभा सचिवालय को अधिवेशन प्रारम्भ होने के कम से कम 15 दिन पूर्व शासन द्वारा दी जायेगी और तदुपरान्त प्रत्येक सप्ताह के अन्तिम कार्य दिवस पर सदन के नेता अथवा मंत्रि–परिषद के कोई सदस्य प्रश्नों के उपरान्त सदन को आगामी सप्ताह में किये जाने वाले कार्य की सूचना देंगे।''

अतः आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(माननीय सदस्य पूर्ववत अपनी–अपनी बात कहते रहे और नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मैंने पूर्व में ही बता दिया है कि इसमें स्पष्ट व्यवस्था दी गई है, इसलिये इसे नहीं लिया जा सकता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नियम–310 में इसको निरसित करने का अधिकार भी है।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहते रहे जिससे सदन को घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, उसका प्रिविलेज इसी के लिए मिला हुआ है कि नियम–310 के अन्तर्गत ही किसी भी समय एनी टाईम कहीं पर भी अगर कोई ऐसा विषय आ जाता है, जिसमें कोई जनहित का हो, अविलम्बनीय हो, लोकहित का हो, प्रदेश के हित में हो तो नियम को भी निरसित करके, तब यह नियम लागू होता है मान्यवर, इसीलिए नियम–310 का प्रोविजन किया गया है। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं मान्यवर, इसको आप रखें, स्वीकार के लिए हम नहीं कह रहे हैं। आपसे निवेदन कर रहे हैं मान्यवर, और मामले

प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इससे भी महत्वपूर्ण हैं, प्रदेश पानी के लिए तरस रहा है, बिजली के लिए जल रहा है, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, क्या ऐसी बात आ गयी कि एक दम से इसमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ गया। सारे कैबिनेट को इसमें डिसीजन लेना पड़ गया, क्या ऐसी बात आ गयी मान्यवर, ये इतना महत्वपूर्ण मामला है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

माननीय भट्ट जी, वित्तीय कार्य चल रहा है, उसके मध्य में (घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, आप यकीन करें कि न करें। पूरा सदन इसमें, कुछ लोग मंत्रीगण नहीं मान रहे होंगे वो बात अलग है, लेकिन सदन के कई लोगों ने हमसे कहा कि इसमें चर्चा की मांग होनी चाहिए और विशेषकर हमारे सदस्य तो चर्चा पर इसमें अड़े हुए हैं। आपने कहा है और सदन इसमें वास्तव में भागीदार होना चाहता है। (व्यवधान) मान्यवर, हम कह रहे हैं ठीक है। आ जाये, लेकिन चर्चा में यह साबित हो जाये कि उत्तराखण्ड के हित में है तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। जब कोई चीज आयी है तो हित में है, कैबिनेट ने कोई डिसीजन ले लिया है तो सब पर लागू हो जाय यह तो ठीक बात नहीं।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यगण 'वेल' में आकर जोर–जोर से नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष—

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे, कोई चीज का संज्ञान न लिया जाय। हमारी प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के पृष्ठ संख्या–19 के नियम–30 के उप नियम–15 उसमें ''ऐसे विषयों के सम्बन्ध में सूचना नहीं मांगी जायेगी, जो गोपनीय प्रकृति के हों, जैसे मंत्रि–परिषद् के विनिश्चय अथवा कार्यवाहियां, विधि अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को दी गई मंत्रणा तथा अन्य तत्सम विषय'', माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय भट्ट जी, मंत्रि–मण्डल का निर्णय गोपनीय होता है, मंत्रि–मण्डल के निर्णय पर कार्य–संचालन नियमावली में स्पष्ट लिखा गया है, पृष्ठ संख्या–19 में लिखा गया है कि ऐसे विषय में कोई चर्चा नहीं की जायेगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट—

मान्यवर, अब यह गोपनीय नहीं रहा। गोपनीय तो तब होता जब बाहर पर कहीं पर भी ब्रीफिंग नहीं होती, कहीं पर भी बात नहीं आती, तब गोपनीय रहता। मान्यवर,

जब बात बाहर आ गयी है, लोगों के संज्ञान में आ गयी है, मंत्रि–मण्डल में झगड़े तक की बात बाहर आ गयी है।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी बात उठाते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान (क्रमागत) :–

अनुदान संख्या–21 ऊर्जा

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 3680628 हजार (तीन सौ अड़सठ करोड़ छः लाख अट्ठाईस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 7348954 हजार (सात सौ चौंतीस करोड़ नवासी लाख चौवन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा

स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 7348954 हजार (सात सौ चौंतीस करोड़ नवासी लाख चौवन हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–23 उद्योग

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 696964 हजार (उन्हत्तर करोड़ उन्हत्तर लाख चौसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 696964 हजार (उन्हत्तर करोड़ उन्हत्तर लाख चौसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

अनुदान संख्या–27 वन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 2514897 हजार (दो सौ इक्यावन करोड़ अड़तालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

कोई माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव रखना चाहता है।

(किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, तथा लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ` 2514897 हजार (दो सौ इक्यावन करोड़ अड़तालीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियाँ वितरित की जायं।

(प्रतियाँ वितरित की गईं)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(पूर्ववत् 'वेल' में खड़े माननीय सदस्यों द्वारा कागज फाड़कर ऊपर को फेंके गये)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012

(विधेयक संख्या– वर्ष 2012)

31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए–

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :–

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2012 है।

उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2012–13 के लिए ` 219317690000 का दिया जाना

2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ–2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों, जिन सबका कुल [उत्तराखण्ड विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 1 वर्ष 2012) की अनुसूची के स्तम्भ 7 से 10 में विनिर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] ` 219317690000 (रुपये इक्कीस हजार नौ सौ इक्तीस करोड़ छिहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

पेस्टिंग करके लगाया

पेस्टिंग करके लगाया

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2012 को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012

वित्त मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–15 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष 2012)

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न प्राविधानों के लिए भिन्न–भिन्न तिथि नियत की जा सकती है।

धारा–2 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005, (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा–2 में–

(1) धारा 2 की उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात् :–

"(7) "नैमित्तिक ब्यौहारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसी अवधि जो एक समय में 60 दिन या ऐसी अन्य अवधि जैसा कि विहित किया जाये, से कम हो, में कर्त्ता, अभिकर्त्ता अथवा किसी अन्य हैसियत से माल का क्रय, विक्रय, सम्भरण अथवा वितरण का यदा कदा संव्यवहार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता है, या उत्तराखण्ड राज्य में कोई प्रदर्शनी के साथ विक्रय का संचालन करता है, चाहे यह नकद, या आस्थगित भुगतान या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये किया गया हो और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं:–

(क) ऐसा परिवहनकर्ता, जैसा कि धारा–2 के खण्ड (49) में विनिर्दिष्ट है, या ऐसा परिवहन अभिकर्ता, जिसका उत्तराखण्ड में नियत स्थान हो अथवा न हो, और जो, किसी व्यक्ति के माल को परिवहन से पहले अथवा परिवहन के बाद या परिवहन के दौरान अपनी सुपुर्दगी में रखता हो, उत्तराखण्ड में ऐसे माल के परेषक या परेषिती का नाम बताने में असफल रहता है, अथवा ऐसे माल के बीजक/चालान की प्रति, माल की रसीद/बिल्टी या परेषण पत्र या माल के सम्बन्ध में इसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ख) भण्डारागार का स्वामी या पट्टेदार या अधिष्ठाता, जो अपने भण्डारागार में रखे गये किसी माल के स्वामी का नाम व पता बताने में असफल रहता है, या यह सन्तुष्टि कराने में असफल रहता है कि ऐसा माल उसके अपने प्रयोग या उपभोग के लिये है; तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे परिवहनकर्ता, परिवहन अभिकर्ता या भण्डारागार का स्वामी या पट्टेदार या अधिष्ठाता द्वारा ऐसा माल अपने निजी लेखे में खरीदा गया है।"

(2) धारा–2 के खण्ड (13) के बाद निम्नलिखित खण्ड (13–क) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

''(13–क) ''हक का दस्तावेज'' का तात्पर्य ऐसे दस्तावेज से है जो माल का हक प्रदान करता है और इसमें वहन–पत्र, डाक वारंट, माल की रसीद/बिल्टी, रेलवे रसीद, भण्डारागारपाल का प्रमाण पत्र, वारंट या माल के परिदान का आदेश और व्यापार के दौरान माल के कब्जे या नियंत्रण के साक्ष्य के रूप में सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज, या ऐसा दस्तावेज जो पृष्ठांकन के द्वारा या परिदान के द्वारा दस्तावेज के धारक को दस्तावेज में रूपित माल का हस्तान्तरण करने अथवा प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करता है या प्राधिकृत करने को तात्पर्यित करता है।''

(3) धारा–2 के खण्ड (16) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात्–

''(16) ''आयातकर्ता'' का तात्पर्य, किसी माल के सम्बन्ध में, ऐसे ब्यौहारी से है, जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर माल लाता अथवा प्राप्त करता है और इसमें ऐसा ब्यौहारी भी सम्मिलित है :–

(क) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से माल लाकर या प्राप्त करके उसकी प्रथम बिक्री करता है; या

(ख) जो राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के अन्दर, किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, माल प्राप्त करता है; या

(ग) जिसकी ओर से राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर लाया गया माल, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्राप्त किया गया है।''

(4) धारा–2 के खण्ड (16) के बाद निम्नलिखित खण्ड (16–क) रख दिया जायेगा; अर्थात्–

''(16–क) ''आयात'' का तात्पर्य, राज्य के बाहर से अथवा देश के बाहर से खरीदकर या अन्य विधा के परिणामस्वरूप माल का लाया जाना या प्राप्त किया जाना है।''

(5) धारा–2 के खण्ड (57) के बाद निम्नलिखित एक नया खण्ड (58) रख दिया जायेगा; अर्थात्–

"(58) "वेबसाइट" का तात्पर्य वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड की वेबसाइट http;//comtax.uk.gov.in जिसका डोमेन (domain) uk.nic.in है या ऐसी अन्य वेबसाइट से है जो कमिश्नर द्वारा अधिसूचित की जाय।"

धारा–4 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा–4 के बाद निम्नलिखित नयी धारा 4–क जोड़ दी जायेगी; अर्थात् :–

"4–क, कतिपय सामान के वर्ग पर भार, परिणाम, माप या इकाई के आधार पर कर का उद्ग्रहण :

धारा–3 एवं धारा–4 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य या विनिर्दिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में कतिपय सामान अथवा कतिपय सामान के वर्ग पर सामान की खरीद–बिक्री पर, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के साथ, जैसा कि अधिसूचित की जाय, माल के भार, मात्रा, परिमाण, माप या इकाई के आधार पर अधिसूचना के द्वारा देय कर की धनराशि अभिनिश्चित कर सकती है।"

धारा–35 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा–35 की उपधारा (1) में आए शब्द "चार प्रतिशत" के स्थान पर शब्द "छः प्रतिशत" रख दिये जायेंगे।

धारा–42 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा–42 के बाद निम्नलिखित नयी धाराएँ 42–क और धारा 42–ख जोड़ दिये जायेंगे; अर्थात्–

"42–क. माल के संचलन में साथ ले जाय जाने वाले दस्तावेज एवं दी जाने वाली सूचनायें

किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, कोई माल, ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा कि राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचित करे, के संचलन का इरादा रखता है, तो वह माल के संचलन से पूर्व इस सम्बन्ध में ऐसे दस्तावेज तैयार करेगा जिसमें ऐसी सूचनायें निहित हों, जैसा कि विहित किया जाय, और ऐसी सूचनाओं को ऐसे प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रारूप और तरीके और ऐसे समय के अन्दर, जैसा कि विहित किया जाय, प्रस्तुत करेगा और माल के संचलन के दौरान ऐसा दस्तावेज तथा बीजक/चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/जी0आर0/बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज अपने साथ रखेगा।

"4–ख, माल निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता या माल परिवाहनकर्ता पर नियंत्रण

(1) प्रत्येक निकासी, अग्रेषण या बुकिंग अभिकर्ता या दलाल या माल परिवहनकर्ता या अन्य कोई व्यक्ति जिसका राज्य में, ऐसे कारबार का, अपना स्थान है, और जो अपने कारबार के दौरान किसी ब्यौहारी या किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से माल के हक के दस्तावेज सम्भालता है, या किसी ब्यौहारी या किसी व्यक्ति के लिए या उसकी ओर से माल का परिवहन करता है, या उसका परिदान लेता है, राज्य के भीतर अपने व्यापार के स्थान एवं माल के परिवहन के लिये अपने स्वामित्व के वाहनों या भाड़े पर लिये गये वाहनों की सूचना ऐसे प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि में, जैसा कि विहित की जाय, प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित प्रत्येक ऐसा अभिकर्ता या व्यक्ति परिवहित, परिदत्त अथवा परिवहन के लिये प्राप्त किये गये माल के सम्व्यवहार से सम्बन्धित ऐसी सूचनाओं से युक्त, जैसा कि विहित किया जाय, पूर्ण एवं सत्य अभिलेख तथा माल के हक के दस्तावेजों की प्रति रखेगा और ऐसे प्रारूप एवं ऐसी रीति के अनुसार एवं ऐसी अवधि में जैसा कि विहित किया जाय, किसी व्यौहारी या व्यक्ति के माल के सम्व्यवहार से सम्बन्धित सत्य एवं पूर्ण विशिष्टियों एवं सूचनाओं को तथा माल के हक के दस्तावेजों की प्रति को कमिश्नर द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और उल्लिखित अभिलेखों और दस्तावेजों का प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, जब भी अपेक्षित हो, प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति कथित उपधारा (1) या उपधारा (2) के प्राविधानों का उल्लंघन करता है, तो उपधारा (1) उपधारा (2) में उल्लिखित कोई प्राधिकारी ऐसे अभिकर्ता या व्यक्ति को सुनवायी का अवसर

प्रदान करने के उपरान्त प्रथम उल्लंघन के लिये एक हजार रुपये से अनधिक धनराशि, और यदि उल्लंघन लगातार रहता है तो अपराध की निरंतरता अवधि में प्रत्येक दिवस के लिये दो सौ रुपये से अनधिक धनराशि अर्थदण्ड के रूप में जमा करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

(4) उपधारा (1) में उल्लिखित कोई अभिकर्ता या व्यक्ति परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ऐसा कोई कार्य करता है, जिसकी परिणति कर के अपवंचन में होती है अथवा यदि ऐसे अपवंचन का पता नहीं चलता और समय से नहीं रोका जाता, तो करापवंचन हो गया होता, विहित प्राधिकारी उसे सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरान्त ब्यौहारी अथवा व्यक्ति के सम्व्यवहार में ऐसे माल में अन्तर्ग्रस्त कीमत के चालीस प्रतिशत से अनधिक धनराशि या माल पर आरोपणिय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में अदा करने को निर्देशित कर सकता है, ऐसे मामले में उपधारा (1) में उल्लिखित अभिकर्ता या व्यक्ति को इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए ब्यौहारी समझा जायेगा और वह इस प्रकार अपवंचित कर अथवा ईप्सित अपवंचित कर को जमा करने का दायी होगा। इस प्रकार आरोपित किया गया अर्थदण्ड और कर इस अधिनियम के किसी अन्य प्राविधानों अथवा उक्त समय में लागू अन्य विधि प्राविधानों अन्तर्गत उसके दायित्वों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले प्रभावी होगा।

स्पष्टीकरणः—

(क) निकासी, अग्रेषण, बुकिंग एजेण्ट अथवा दलाल में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो रेलवे परिसर, एयर कार्गो काम्प्लैक्स, कन्टेनर डिपो, बुकिंग एजेन्सी, गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी कार्यालय

अथवा माल का लदान करने या माल उतारे जाने का कोई स्थान या इस युक्ति के स्थान पर निकासी, अग्रेषण या बुकिंग या माल के परिदान की सेवायें देता है और किसी ब्यौहारी की ओर से भी, ईनाम, कमीशन, पारिश्रमिक अथवा मूल्यवान प्रतिफल या अन्य के लिये सौदा या संविदा कराता है अथवा सम्पन्न करता है; और

(ख) माल परिवहनकर्ता व्यक्ति में स्वामी के अतिरिक्त मैनेजर, अभिकर्ता, ड्राइवर, स्वामी का कर्मचारी, माल के लदान व उतारे जाने के स्थान का प्रभारी या अन्य स्थानों को माल के प्रेषण के लिये ले जाये जा रहे यान का प्रभारी अथवा परेषिती को परेषित किये गये माल का परिदान देने वाला व्यक्ति सम्मिलित होगा।

(5) धारा–51 में अन्य किसी बात के होते हुए भी इस धारा की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन पारित अर्थदण्ड आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तामिली के साठ दिन के अन्दर ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जैसा कि विहित किया जाय, अपील कर सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी अपील, उपधारा (3) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि की पचास प्रतिशत धनराशि या उपधारा (4) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि के पच्चीस प्रतिशत धनराशि की जमा के साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही हो सकेगी।''

6. मूल अधिनियम की धारा–43 के बाद निम्नलिखित नयी धारा 43क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्–

''43–क. राज्य के भीतर अथवा राज्य से राज्य के बाहर माल का संचलन

(1) धारा–43 में अन्य किसी बात के होते हुए भी किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, (जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है), जो माल की ऐसी मात्रा या माप

या कीमत से अधिक जैसा कि राज्य सरकार उसे निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान के लिये अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान के लिये या राज्य के भीतर किसी स्थान से दूसरे राज्य से होते हुए राज्य में किसी स्थान के लिये माल के संचलन का इरादा रखता है तो माल के संचलन से पहले इस सम्बन्ध में वह विहित व्यक्तिगत क्रमांकित प्रारूप (जिसे आगे लौरी चालान कहा गया है) तैयार करेगा जिसमें परेषक और परेषिती का नाम एवं पूर्ण पता माल का विवरण अथवा मात्रा, बीजक/चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/जी0आर0/बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज एवं अन्य सूचनायें, जैसी कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय;

परन्तु यह कि सरकार अधिसूचना के द्वारा माल के संचलन से पूर्व ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से, जैसी कि अधिसूचना द्वारा विहित की जाय, विहित प्राधिकारी के समक्ष लौरी चालान की प्रस्तुति के लिये व्यवस्था कर सकती है।

(2) (क) परिवहनकर्ता, ऐसे लौरी चालान की अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रति और ऐसे दस्तावेजों की प्रतियाँ अपने साथ रखेगा और धारा–42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी की अपेक्षा पर किसी भी स्थान पर वाहन को रोकेगा और वाहन को माल व दस्तावेजों के साथ नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा निर्देशित किसी अन्य स्थान पर ले जायेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक कि ऐसे अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और यान की तलाशी लेने देगा और माल और दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा :

परन्तु यह कि जहाँ माल राज्य के उसी स्थानीय क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहन किया जा रहा है, कमिश्नर कतिपय प्रतिबन्धों एवं शर्तों के साथ, जैसा कि वह उचित समझे, लौरी चालान अथवा हक के दस्तावेज रखे जाने की शर्त को शिथिल कर सकते हैं। यहाँ ''स्थानीय क्षेत्र'' से तात्पर्य ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जैसा कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम की धारा–2 में परिभाषित है।

(ख) परिवहनकर्ता ऐसे लौरी चालान की प्रति, ऐसी अवधि तक जैसी कि विहित की जाय, सुरक्षित रखेगा और, जब भी अपेक्षित हो, उसे प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर वह प्रति लौरी चालान पाँच सौ रुपये की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करने का दायी होगा।

(3) जहाँ माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये है और ऐसा माल किसी व्यक्ति द्वारा अपने निजी वाहन में परिवहन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को लौरी चालान तैयार करने अथवा साथ रखने की आवश्यकता नहीं है।

(4) पूर्ववर्ती उपनियमों में विनिर्दिष्ट अधिकारी, यदि तलाशी या निरीक्षण करने के बाद सन्तुष्ट है कि–

(क) परिवहनकर्ता विहित प्रारूप और विहित रीति में लौरी चालान तैयार या प्रस्तुत किये बिना या ऐसे लौरी चालान को साथ रखे बिना माल का परिवहन कर रहा है, या परिवहन करने का प्रयत्न, या दुष्प्रेरण कर रहा है, जिस पर यह धारा लागू होती है; या

(ख) परिवहनकर्ता माल से सम्बन्धित बीजक/चालान (जो लागू हो) एवं माल के हक के दस्तावेज/जी0आर0/बिल्टी अथवा इन्हीं प्रकार के अन्य दस्तावेज के बिना माल परिवहन कर रहा है या परिवहन करने का प्रयत्न या दुष्प्रेरण कर रहा है; या

(ग) परिवहन किये जा रहे माल का भार/मात्रा या उसके नगों की संख्या, लौरी चालान से अनाच्छादित है, तो वह–

(एक) उपरोक्त उपधाराओं में वर्णित व्यक्ति को जाँच होने तक, जो सात दिन से अनधिक होगी, किसी भी तरीके से माल को विलग करने, पुनः परिवहन करने अथवा पुनः बुकिंग न करने को निर्देशित कर सकता है;

(दो) ऐसे वाहन को माल सहित रोके रखने का आदेश कर सकता है।

(5) (क) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर दने के पश्चात्, यह समाधान हो जाय कि पूर्ववर्ती उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्रारूप में, लौरी चालान के प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा बिना लौरी चालान या अन्य विहित दस्तावेजों को साथ लिए, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा–4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची–1 में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया गया है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा–43 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये कर दर से की जायेगी।

(5) (ख) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर दने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिवहनकर्ता द्वारा विहित रीति से और विहित प्रारूप में, लौरी चालान के साथ परिवहन तो किया जा रहा है परन्तु वाहन में पाया गया कोई माल लौरी चालान से आच्छादित नहीं है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा–4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची–1 में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा–43 में किसी अन्य बात के होते हुए परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये कर दर से की जायेगी।

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश जारी कर सकती है कि, जहाँ धारा–43 (5) अथवा धारा 43 (7) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अथवा ऐसी धनराशि जो सम्भाव्य अर्थदण्ड को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, उपधारा (5) (ख) में उल्लिखित परिवहनकर्ता द्वारा, जमा कर दी गयी हो तो ऐसी परिस्थिति में उसी माल के संदर्भ में उस परिवहनकर्ता से उपधारा (5) (ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की माँग नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (5) में प्राविधानित अर्थदण्ड की धनराशि में वृद्धि कर सकती है।

स्पष्टीकरण :

इस अधिनियम में उल्लिखित माल के अभिग्रहण एवं अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा–43 के प्राविधान यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(6) वाहन का अधिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर एक लिखित आदेश तामील करेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण सम्बन्धी तथ्य तथा वह धनराशि अंकित की जायेगी जो आरोपित किये जाने वाले सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि से अनधिक हो और ऐसी राशि को नकद जमा करने पर अभिग्रहीत किये गये वाहन को उस व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन को अभिग्रहीत किया गया था, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।

(7) उपधारा (6) किसी बात के होते हुए कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, ऐसे पर्याप्त कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर या अवसूलीय बैंक प्रतिभूति के रूप में प्रतिभूति जमा करने पर, जैसा व उचित समझे, वाहन छोड़ सकता है।

(8) धारा–51 अथवा धारा–53 में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (5) के अधीन पारित अर्थदण्ड आदेश या उपधारा (7) के अधीन प्रतिभूति के लिये आदेश के विरुद्ध, अर्थदण्ड अथवा प्रतिभूति की धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, के जमा के साक्ष्य प्रस्तुत किये बगैर कोई अपील नहीं की जा सकेगी।''

धारा–47 का हटाया जाना

7. मूल अधिनियम की धारा–47 हटा दी जायेगी।

धारा–48 का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा–48 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी और तत्पश्चात् एक नयी धारा 48–क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्–

''(1) कोई व्यक्ति या ब्यौहारी (जिसे आगे इस धारा में आयातकर्ता कहा गया है) जो राज्य के बाहर किसी स्थान से राज्य के भीतर धारा–4 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित अनूसूची–1 में वर्णित माल से भिन्न कोई माल ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा कि राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचित करे, लाने या आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो वह अपने कर निर्धारक प्राधिकारी से घोषणा पत्र या प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त करेगा :

परन्तु यह कि यदि आयातकर्ता कारबार के सम्बन्ध से भिन्न प्रयोजन के लिये ऐसे माल को लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, तो वह अपने विकल्प पर उसी प्रकार प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त कर सकता है :

परन्तु यह और कि कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा प्राधिकृत करदाताओं का वर्ग कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा विहित सीरीज और क्रम संख्या के घोषणा पत्र स्वयं डाउनलोड कर सकता है और इस सम्बन्ध में बनाये गये अधिनियम एवं नियम के अनुसार उनका प्रयोग कर सकता है।

(2) जहाँ ऐसे माल का परेषण सड़क मार्ग से किया जाना है :–

(क) आयातकर्ता परेषक को सम्यक् रूप से भरे गये और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र को विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में देगा और ऐसा माल ले जाने वाला यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, अपने साथ विहित रूप में परेषक द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित ऐसे घोषणा पत्र की प्रतियाँ और ऐसे अन्य दस्तावेज जो विहित किये जाय, ले

जायेगा और धारा–42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर अपेक्षा करने पर घोषणा पत्र की प्रतियाँ और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा;

(ख) आयातकर्ता उपरोक्त खण्ड (क) में उल्लिखित घोषणा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ, जो उसे या उसके अभिकर्ता को दी गयी है, ऐसी अवधि तक संरक्षित रखेगा जैसा कि विहित किया जाय और उन्हें ऐसी रीति के अनुसार और ऐसी अवधि के भीतर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाय।

(3) यदि ऐसा माल राज्य में व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जाता है तो माल लाने वाला व्यक्ति अपने साथ विहित प्रपत्र में सम्यक् रूप से भरा हुआ और आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र रखेगा और आयातकर्ता उसे इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष ऐसी अवधि के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित की जाय, पृष्ठांकन किये जाने के लिये प्रस्तुत करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी माल को राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य में लाने, आयात करने या अन्यथा प्राप्त करने का इरादा रखता है, और प्रमाण पत्र का विहित प्रपत्र प्राप्त करता है तो उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबन्ध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे मानों कि उसमें प्रयुक्त शब्द "घोषणा पत्र" रखा गया हो।

(5) पूर्ववर्ती उपधाराओं में निर्दिष्ट किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, धारा–42 की उपधारा (1) उपधारा और (2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी भी स्थान पर अपेक्षा किये जाने पर वाहन को रोकेगा और उसे नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय या ऐसे अधिकारी द्वारा निर्देशित स्थान पर ले जायेगा और उसे तब तक रोके रखेगा जब तक ऐसे अधिकारी द्वारा

आवश्यक समझा जाय और यान की तलाशी लेने देगा और माल का और पूर्ववर्ती उपधाराओं में विनिर्दिष्ट सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने देगा और यदि अपेक्षित हो तो उसे अपना नाम और पता और यान के स्वामी या यान को भाड़े पर देने वाले का नाम व पता और माल के परेषक और परेषिती का नाम व पता भी देगा।

(6) इस धारा के अधीन यदि तलाशी लेने या निरीक्षण करने वाले अधिकारी को यह पता चले कि कोई व्यक्ति या ब्यौहारी पूर्ववर्ती उपधाराओं में विनिर्दिष्ट उचित और वास्तविक दस्तावेजों के बिना किसी ऐसे माल का आयात कर रहा है या आयात करने का प्रयत्न या आयात का दुष्प्रेरण कर रहा है जिस पर यह धारा लागू होती है; तो वह–

(क) उपरोक्त उपधाराओं में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को, माल की जांच किये जाने तक जो सात दिन की अवधि से अनधिक होगी, सामान को किसी भी प्रकार से विलग न करने, पुनः परिवहन न करने अथवा पुनः बुकिंग न किये जाने के निर्देश दे सकता है।

(ख) ऐसे माल को रोकने के आदेश दे सकता है और यदि यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायें यह समाधान हो जाता है कि ऐसे माल को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन के प्रयास में आयात किया जा रहा है तो वह ऐसे माल को अभिग्रहीत करने के आदेश दे सकता है :

परन्तु यह कि ऐसे अधिकारी द्वारा इस उपधारा के अधीन सम्पूर्ण अभिग्रहीत माल की एक सूची बनाई जायेगी और उसके द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी और उसकी एक प्रति उस व्यक्ति को, जिससे माल अभिग्रहीत किया गया है, दी जायेगी।

(7) उपधारा (6) के अधीन माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी अभिरक्षा में माल की सुरक्षा के सभी उपाय करेंगे और उपधारा (6) के परन्तुक में निर्दिष्ट सूची, अभिग्रहण से सम्बन्धित अन्य दस्तावेजों सहित सम्बन्धित कर अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

(8) यदि ऐसे कर निर्धारण अधिकारी का, यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, के स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने और उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् समाधान हो जाये कि माल का आयात इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने के प्रयास में इस धारा के प्राविधानों का उल्लंघन करके किया गया है, तो वह अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनाधिक धनराशि या इस अधिनियम के इन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो, अधिरोपित करेगा। ऐसे आदेश की प्रति सम्यक रूप से तामील कराई जायेगी।

(9) माल का अधिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर एक लिखित आदेश तामील करेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण सम्बन्धी तथ्य तथा वह धनराशि अंकित की जायेगी जो आरोपित किये जाने वाले सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने के लिये पर्याप्त राशि से अनधिक हो और ऐसी राशि को नकद जमा करने पर अभिग्रहीत किये गये वाहन को उस व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन को अभिग्रहीत किया गया था, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।

(10) उपधारा (9) में किसी बात के रहते हुये भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये या ऐसी कम धनराशि जमा करने पर, या नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाये।

(11) अर्थदण्ड या उसका ऐसा भाग जो उपधारा (9) के अधीन जमा की गयी किसी धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् शेष रह जाय, अर्थदण्ड आरोपित किये जाने के आदेश की प्रतिलिपि तामील किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित रीति से, जमा किया जायेगा। चूक करने पर कर निर्धारक प्राधिकारी माल का विक्रय ऐसी रीति से करायेगा जो विहित की जाय और उसका विक्रय–आगम अर्थदण्ड के प्रति समायोजित करेगा और धारा 36 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या, जैसी भी दशा हो, प्रभारी व्यक्ति को वापस कर देगा।

(12) जहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी की, उपधारा (7) में निर्दिष्ट सूची और अन्य दस्तावेज भेजने के पूर्व या तत्पश्चात करनिर्धारक प्राधिकारी की किसी समय यह राय हो कि माल शीघ्र और सहज रूप से नष्ट होने वाला है या जहाँ निर्धारित कर या यथास्थिति, आरोपित अर्थदण्ड इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जमा नहीं किया जाता है, वहाँ माल का अभिग्रहण करने वाले अधिकारी या, यथास्थिति, करनिर्धारक प्राधिकारी किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अनुसार की जा सके, विहित रीति से सार्वजनिक नीलामी द्वारा माल को बिकवा सकता है। ऐसे माल के विक्रय–आगम का समायोजन ऐसे विक्रय के व्यय, निर्धारित, या आरोपित अर्थदण्ड के प्रति किया जायेगा। शेष धनराशि, यदि कोई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को उपधारा (9) के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी।

(13) यदि उपधारा (9) के अधीन जमा की गयी धनराशि उपधारा (8) के अधीन आरोपित अर्थदण्ड की धनराशि से अधिक हो, तो इस प्रकार जमा की गयी अधिक धनराशि उस अधिकारी द्वारा जिसके पास वह जमा की गई हो, ब्यौहारी या, यथास्थिति, प्रभारी व्यक्ति को धारा 36 के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जायेगी;

स्पष्टीकरण 1 :–इस अध्याय के उद्देश्य से वाहन के प्रभारी व्यक्ति में, वाहन का स्वामी या वाहन को भाड़े पर लेने वाला, जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित होगा।

स्पष्टीकरण 2 :—इस अध्याय के उद्‌देश्य से ''संचलन में माल'' से अभिप्रेत है—

(क) ऐसा माल जो परिवहनकर्ता एजेन्सी या व्यक्ति अथवा ऐसे अन्य उपनिहिती के कब्जे में है अथवा नियंत्रण में है; या

(ख) ऐसा माल जो ऐसे मालस्वामी के स्वामित्व वाले वाहन में ले जाया जा रहा है; या

(ग) ऐसा माल जो किसी व्यक्ति द्वारा ले जाया जा रहा है।''

''48—क, राज्य के शीट'' के विरुद्ध माल का परिवहन

(1) धारा—48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी, यह अधीन देय कर का कोई अपवंचन नहीं हो रहा है, किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, (जिसे आगे परिवहनकर्ता कहा गया है), जो माल की ऐसी मात्रा या माप या कीमत से अधिक, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, राज्य के बाहर के किसी स्थान से प्रान्त के अन्दर परिवहन करने का इरादा रखता है, तो राज्य में प्रवेश करने से पूर्व विहित प्रारूप में (जिसे आगे ट्रिप शीट कहा गया है) सूचना तैयार करेगा और इसे ऐसी रीति से और ऐसे समय के अन्दर, जैसा कि विहित किया जाय, ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि कमिश्नर द्वारा कुछ परिस्थितियों में ट्रिप शीट की ऑनलाईन प्रस्तुति एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये शिथिल की जा सकती है।

(2) जहाँ ऐसे माल का परिवहन राज्य में सड़क मार्ग से किया जाना है :

(क) परिवहनकर्ता सम्यक् रूप से अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी ट्रिप शीट की प्रति तथा अन्य दस्तावेज, जैसा कि विहित किये जायें, अपने साथ रखेगा और धारा—42 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा किसी

भी स्थान पर ऐसी अपेक्षा करने पर वाहन को रोकेगा और माल एवं दस्तावेजों सहित इसे नजदीकी वाणिज्य कर विभाग के कार्यालय में या ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा कि अधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाय, ले जायेगा और उसे तब तक खड़ा रखेगा जैसा कि अधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाय और उसे वाहन की तलाशी लेने देगा और माल, ट्रिप शीट और अन्य दस्तावेजों की जाँच करने देगा;

(ख) परिवहनकर्ता ऐसी ट्रिप शीट की प्रति, ऐसे समय तक, जैसा कि विहित किया जाय, सुरक्षित रखेगा और जब भी इस प्रकार अपेक्षा की जाय पुनः प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर वह प्रत्येक ट्रिप शीट के लिये पाँच सौ रुपये की धनराशि अर्थदण्ड के रूप में अदा करने का दायी होगा;

स्पष्टीकरण–उन परिस्थितियों में जहाँ पर ट्रिप शीट की ऑनलाईन प्रस्तुति का शिथिलीकरण किया गया है राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ट्रिप शीट तैयार करने के प्राविधान और परिवहन के दौरान इसे साथ रखने के प्राविधान प्रभावी रहेंगे।

(3) जहाँ ऐसा माल राज्य के भीतर व्यक्तिगत सामान के रूप में लाया जा रहा है, वहाँ सामान लाने वाले व्यक्ति को ट्रिप शीट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) यदि उपधारा (2) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अधिकारी तलाशी अथवा जाँच करने के पश्चात् सन्तुष्ट हो जाय कि–

(क) परिवहनकर्ता विहित प्रारूप एवं रीति से ट्रिप शीट प्रस्तुत किये बिना अथवा ऐसी ट्रिप शीट की प्रति को साथ लिये बिना किसी माल का परिवहन, या परिवहन का प्रयास, या परिवहन का दुष्प्रेरण कर रहा है; या

(ख) परिवहन किये जा रहे माल का भार/ मात्रा या उसके नगों की संख्या, ट्रिप शीट से अनाच्छादित है, तो वह–

(एक) उपरोक्त उपधाराओं में वर्णित व्यक्ति को माल के सत्यापन होने तक या जाँच होने तक जो सात दिन से अनधिक होगी, किसी भी तरीके से माल को विलग

करने, पुनः परिवहन करने अथवा पुनः बुकिंग न करने को निर्देशित कर सकता है;

(दो) ऐसे वाहन को माल सहित रोके रखने का आदेश कर सकता है।

(5) (क) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि पूर्ववर्ती उपधाराओं में वर्णित माल, विहित रीति से और विहित प्रारूप में, ट्रिप शीट को ऑनलाइन (online) प्रस्तुत किये बिना परिवहन किया गया है, अथवा ऐसी ट्रिप शीट की प्रति को साथ लिए बिना, परिवहन किया गया है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा–4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची–1 में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता, अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये की दर से की जायेगी।

(5) (ख) यदि किसी भी स्तर पर ऐसे अधिकारी का, परिवहनकर्ता को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् यह समाधान हो जाय कि परिवहनकर्ता द्वारा विहित रीति से और विहित प्रारूप में, ऑनलाइन (online) प्रस्तुत की गयी ट्रिप शीट की प्रति के साथ परिवहन तो किया जा रहा है परन्तु वाहन में पाया गया कोई माल ट्रिप शीट से आच्छादित नहीं है, और यह कि ऐसा माल;

(i) धारा–4 की उपधारा (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित अनुसूची–1 में वर्णित माल से भिन्न है; और

(ii) ऐसा माल व्यक्तिगत प्रयोग या उपभोग के लिये नहीं है;

तो यह समझा जायेगा कि ऐसे माल का परिवहन इस अधिनियम के अधीन करनिर्धारण या देय कर या सम्भाव्य कर के भुगतान का अपवंचन करने में सहयोग अथवा सुकर बनाने के प्रयास में किया जा रहा है और ऐसे मामले में अधिकारी लिखित आदेश द्वारा वाहन को अभिग्रहीत कर सकता है और धारा 48 में किसी अन्य बात के होते हुए भी परिवहनकर्ता अर्थदण्ड के रूप में वह धनराशि जमा करने का दायी होगा जिसकी गणना ऐसे माल के प्रति क्विंटल या क्विंटल के भाग के लिये पाँच सौ रुपये की दर से की जायेगी।

परन्तु यह कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा सामान्य निर्देश जारी कर सकती है कि, जहाँ धारा–48 (8) अथवा धारा–48 (9) के अन्तर्गत अर्थदण्ड अथवा ऐसी धनराशि जो सम्भाव्य अर्थदण्ड को आच्छादित करने के लिए पर्याप्त हो, इस उपधारा में संदर्भित परिवहनकर्ता द्वारा, जमा कर दी गयी हो तो ऐसी परिस्थिति में उसी माल के संदर्भ में ऐसे परिवहनकर्ता से उपधारा (5)(ख) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की माँग नहीं की जाएगी।

परन्तु यह और कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपधारा (5) में प्राविधानित अर्थदण्ड की धनराशि में वृद्धि कर सकती है।

स्पष्टीकरण :

इस अधिनियम में उल्लिखित माल के अभिग्रहण एवं अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में धारा–48 के प्राविधान यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(6) वाहन अभिग्रहण करने वाला अधिकारी परिवहनकर्ता पर आदेश तामील करेगा जिसमें ऐसे अभिग्रहण का तथ्य उल्लिखित होगा और ऐसी धनराशि इंगित की जायेगी जो उस धनराशि से अधिक नहीं होगी जो आरोपित किये जाने के लिये सम्भाव्य अर्थदण्ड को पूरा करने का पर्याप्त हो, जिसके नकद जमा करने पर इस प्रकार अभिग्रहीत किया गया वाहन उस व्यक्ति, जिसके कब्जे अथवा नियंत्रण से वाहन अभिग्रहीत किया गया है, के पक्ष में छोड़ दिया जायेगा।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के रहते हुये भी कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, ऐसे पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, निर्देश दे सकता है कि बिना कोई धनराशि जमा किये जया ऐसी कम धनराशि जमा करने पर, या नकद से भिन्न रूप में, जैसा वह उचित समझे, प्रतिभूति देने पर माल छोड़ दिया जाये।

(8) धारा–51 अथवा धारा–53 में किसी बात के रहते हुए भी उपधारा (5) के अधीन पारित अर्थदण्ड आदेश या उपधारा (7) के अधीन पारित जमानत आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी जब तक कि सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि अथवा जमानत की धनराशि, जैसी भी स्थिति हो, के जमा करने साक्ष्य प्रस्तुत न कर दिये जायें।''

धारा–49 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा–49 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

''(1) जहाँ ऐसी मात्रा, माप या कीमत जैसा कि धारा–48 की उपधारा (1) के सन्दर्भ में अधिसूचित की जाय, से अधिक कोई माल [इस अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अनुसूची–1 में वर्णित माल को छोड़कर] रेल, नदी वायुमार्ग या डाक द्वारा पारेषित किया जाय तो आयातकर्त्ता–

(क) तब तक उस माल को न तो छुड़ायेगा और न छुड़वायेगा जब तक कि वह ऐसे अधिकारी को, जिसे कमिश्नर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में, सम्यक् रूप से भर कर और अपने द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा–पत्र को, ऐसे अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन के लिये प्रस्तुत न दे या करवा दे और

(ख) छुड़ाने के पश्चात् माल को, यथास्थिति, रेलवे स्टेशन, स्टीमर या बोट स्टेशन, एयरपोर्ट या डाकघर से तब तक न ले जायेगा और न ले जाने देगा जब तक कि माल के साथ ऐसे अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से पृष्ठांकित घोषणा पत्र की एक प्रति न हो :

परन्तु यह कि यदि पंजीकृत ब्यौहारी ने, माल को छुड़ाने से पूर्व अथवा छुड़वाने से पूर्व विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप मे माल के सम्बन्ध में ऑनलाईन सूचना प्रस्तुत कर दी है और उस सूचना की इलैक्ट्रानिकली तैयार की गई हार्ड कापी माल के संचलन में साथ ले जायी गई है तो यह समझा जायेगा कि घोषणा पत्र के पृष्ठांकन सम्बन्धी प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है।

(2) धारा 48 की उपधारा (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) और उपधारा (13) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित रेल, नदी या डाक द्वारा पारेषित माल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसा कि उस धारा के अधीन सड़क द्वारा माल के आयात पर लागू होते हैं।''

''धारा–50 का संशोधन

10. मूल अधिनियम की धारा–50 के स्थान पर पार्श्व शीर्षक सहित निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी और धारा 50 के बाद एक नयी धारा 50–क जोड़ दी जायेगी; अर्थात्–

''50. ट्रांजिट पास के माध्यम से राज्य से होकर माल का अभिवहन

(1) जब राज्य के बाहर के किसी स्थान से आकर राज्य से होते हुए राज्य के बाहर किसी अन्य स्थान को जाने वाला धारा–48 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल ले जाने वाला कोई यान राज्य से होकर गुजरे तब ऐसे यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, राज्य में प्रवेश करने से पहले कमिश्नर द्वारा विहित प्रारूप (जिसे आगे ट्रांजिट पास कहा गया है) में, जिसमें माल, यान, माल के हक के दस्तावेज/माल की रसीद/बिल्टी और माल के संचलन से सम्बन्धित सूचनाओं के साथ–साथ वे अन्य सूचनाएँ भी होंगी जो कमिश्नर द्वारा विहित की जाएं, तैयार करेगा और इसे ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा। यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या

ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे माल को ले जाते समय अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे ट्रांजिट पास की दो प्रतियाँ, माल के हक के दस्तावेज/माल की रसीद/बिल्टी और बीजक/बिल या चालान/इस तरह के अन्य दस्तावेज अपने पास रखेगा और राज्य के बाहर जाने के बाद कमिश्नर द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसमें, निर्धारित सूचनाओं के अतिरिक्त राज्य से बाहर जोन अथवा अन्य राज्य में प्रवेश करने के साक्ष्य का विवरण, ऐसी रीति व समय के अन्दर जैसा कि कमिश्नर द्वारा विहित किया जाए, देगा, तथा ऐसे अधिकारी, जिसे कमिश्नर द्वारा इस हेतु अधिकृत किया जाए, द्वारा अपेक्षा किए जाने पर माल के राज्य के बाहर चले जाने अथवा गन्तव्य राज्य में पहुँच जाने के सम्बन्ध में उसके सन्तोषानुसार साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ले जाया जाने वाला माल राज्य के भीतर ही बेच दिया गया है :

परन्तु यह कि यदि ऐसे वाहन से ले जाये गये माल का राज्य में प्रवेश करने के पश्चात् किसी अन्य वाहन से परिवहन करके राज्य के बाहर ले जाया जाय तो यह सिद्ध करने का भार कि माल वास्तव में राज्य के बाहर चला गया है, उस वाहन, के प्रभारी व्यक्ति पर होगा, जिसके लिए ट्रांजिट पास प्रस्तुत किया गया था।

परन्तु यह और कि माल के राज्य के बाहर जाने की सूचना और ट्रांजिट पास की ऑनलाईन प्रस्तुति कमिश्नर द्वारा एक निश्चित अवधि के लिये शिथिल की जा सकती है :

परन्तु यह भी कि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई करपवंचन न हो, इस धारा में उल्लिखित वाहन ऐसे स्थानों, से ही राज्य के अन्दर प्रवेश करेगा तथा राज्य के बाहर जायेगा, जो कमिश्नर द्वारा अधिसूचित किए जायँ।

स्पष्टीकरण :–ऐसी परिस्थितियों में जहाँ ट्रांजिट पास का ऑनलाईन प्रस्तुतीकरण शिथिल किया गया है, राज्य में प्रवेश करने से पूर्व ट्रांजिट पास तैयार करने के प्राविधान और परिवहन के दौरान इसे साथ रखने के प्राविधान प्रभावी रहेंगे। ऐसे मामलों में राज्य से बाहर जाने से पूर्व माल सहित वाहन कमिश्नर द्वारा अधिसूचित स्थान पर रोका जायेगा और ट्रांजिट पास की एक प्रति कमिश्नर द्वारा इस प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ले जाया जा रहा माल राज्य के अन्दर ही बेच दिया गया है।

(2) ऐसे मामले में जैसा कि उपरोक्त उपधारा में उल्लेख किया गया है, यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, संयुक्त रूप से तथा पृथक–पृथक रूप से इस अधिनियम के अधीन माल की उपधारित बिक्री पर देय कर और सम्भाव्य अर्थदण्ड की धनराशि के दायी होंगे।

(3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके बारे में उपधारा (1) के अधीन यह उपधारणा विद्यमान है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर माल बेचा गया है, पर माल के पारगमन के लिये प्रत्येक प्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले माल के लिये इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पृथक रूप से कर निर्धारण किया जायेगा :

परन्तु यह कि इस प्राविधान के आरम्भ होने के दिनांक के बाद उद्भूत हुए करनिर्धारण के मामलों में ही यह प्राविधान लागू होंगे :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी कर निर्धारण अथवा अर्थदण्ड का आदेश सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।''

''50–क. निश्चित अवधि के लिये नाके (जाँच चौकी) का परिनिर्माण

इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के अपवंचन रोकने अथवा जाँच करने के उद्देश्य से अथवा इस अध्याय के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कमिश्नर कतिपय परिस्थितियों में अधिसूचना जारी करके ऐसे स्थान या स्थानों, जैसा कि वह उचित समझे, जाँच चौकियों की स्थापना अथवा नाकों का परिनिर्माण कर सकता है और ऐसे संचलन में किसी यान का स्वामी या संचलन में माल का स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर या यान अथवा माल का प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, जाँच चौकी या नाकों को पार करने से पूर्व यान को रोकेगा और इस अध्याय के प्राविधानों के अनुसार माल के साथ ले जाए जाने वाले वांछित दस्तावेज इस निमित्त कमिश्नर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और अधिकारी को यान की तलाशी तथा माल एवं दस्तावेजों की जाँच करने देगा :

परन्तु यह कि धारा–50 में अन्य किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन, जहाँ राज्य के निकास के समीप स्थापित जाँच चौकियों अथवा नाकों पर जाँच चौकी अधिकारी के समक्ष ट्रांजिट पास की दो प्रतियाँ प्रस्तुत की जायेंगी जिसमें से एक प्रति वाहन के राज्य से बाहर जाने के साक्ष्य के रूप में अधिकारी द्वारा वापस

की जायेगी। ऐसा न करने पर यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसे वाहन द्वारा ले जाया जा रहा माल राज्य के भीतर बेच दिया गया है :

परन्तु यह और कि कमिश्नर एक बार में तीन माह से अधिक के लिये किसी जाँच चौकी की स्थापना अथवा नाके का परिनिर्माण नहीं कर सकेगा :

परन्तु यह अग्रेत्तर और भी कि कमिश्नर ऐसी जाँच चौकी की स्थापना अथवा नाके के परिनिर्माण के लिये जारी अधिसूचना का अनुसमर्थन राज्य सरकार से करायेगा।

''धारा–51 का संशोधन

11. ''मूल अधिनियम'' की धारा–51 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

(1) कर निर्धारण अधिकारी अथवा कर सम्प्रेक्षा के प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश या धारा 42 (ब) की उपधारा (3) अथवा उपधारा (4) के अन्तर्गत पारित आदेश से व्यथित कोई ब्यौहारी अथवा अन्य व्यक्ति, निम्नलिखित को छोड़कर :

(क) धारा–56 में वर्णित आदेश; या

(ख) धारा–43 की उपधारा (8) के अन्तर्गत पारित आदेश; या

(ग) धारा–43–क की उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित आदेश; या

(घ) धारा–48 की उपधारा (10) के अन्तर्गत पारित आदेश; या

(ङ) धारा–48–क की उपधारा (5) के अन्तर्गत पारित अभिग्रहण आदेश; या

(च) धारा 48–क की उपधारा (6) अथवा उपधारा (7) के अन्तर्गत पारित आदेश;

आदेश की प्रति की तामीली किए जाने के 60 दिन के भीतर ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकता है जैसा कि विहित किया जाय और वह अपील के ज्ञापन की एक प्रति कर निर्धारण प्राधिकारी पर भी तामील करायेगा।''

''धारा–53 का संशोधन

12. मूल अधिनियम की धारा–53 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

''(1) धारा–51 के अधीन पारित किसी आदेश [उस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट आदेश को छोड़कर], धारा–52 या धारा–76 के अधीन पारित किसी आदेश, धारा–57 के अधीन किसी विनिश्चय, धारा–43 की उपधारा (8) के अधीन किसी निर्देश, या धारा 43–क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा–48 की उपधारा (10) के अधीन पारित किसी आदेश, या धारा 48–क की उपधारा (7) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश, विनिश्चय या निर्देश की उसके ऊपर तामीली के 90 दिन के भीतर अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है।

स्पष्टीकरण :–इस उपधारा के प्रयोजन हेतु कमिश्नर से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में कोई 'व्यक्ति' पद में कमिश्नर सम्मिलित है और कमिश्नर द्वारा पारित किसी आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार सम्मिलित है।''

''धारा–56 का संशोधन

13. मूल अधिनियम की धारा–56 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी; अर्थात्–

''अधोलिखित के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र दाखिल नहीं होगा।

(क) कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के लिये जाँच प्रारम्भ करने हेतु धारा–24, धारा–25, धारा–26 और धारा–29 के अधीन कोई आदेश या नोटिस जारी नहीं किया जायेगा; या

(ख) धारा–42 या धारा–43 की उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (4), उपधारा (7) के अधीन कोई आदेश या कार्यवाही; या

(ग) धारा 43–क की उपधारा (2)(क) या उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन पारित आदेश या विनिश्चय; या

(घ) धारा 43–क की उपधारा (5) के अधीन पारित अभिग्रहण आदेश या अर्थदण्ड का नोटिस या अर्थदण्ड के लिये जारी नोटिस; या

(ङ) धारा 43–क की उपधारा (6) के अधीन पारित आदेश; या

(च) धारा–25 की उपधारा (4) या धारा 25 की उपधारा (9) (ग) के अधीन पारित आदेश; या

(छ) धारा–48 की उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश या निर्देश; या

(ज) धारा 48–क की उपधारा (2)(ख) या उपधारा (4) के अधीन पारित आदेश या निर्देश; या

(झ) धारा 48–क की उपधारा (5) के अधीन जारी अर्थदण्ड का नोटिस; या

(ञ) धारा 48–क की उपधारा (6) के अधीन पारित वाहन के अभिग्रहण का आदेश।''

''धारा–58 का संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 58 में–

(क) उपधारा (1) के खण्ड (उन्नीस) के अपराध एवं दण्ड के प्राविधान हटा दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (1) के खण्ड (बीस), (इक्कीस) और (तेइस) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे; अर्थात् :–

''(बीस) धारा–50 के अधीन स्थापित जाँच चौकी अथवा नाके पर अथवा किसी अन्य स्थान पर धारा–42, 43, 43(क), 48(क) के अधीन सशक्त अधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर वाहन को जाँच के लिये रोकने या खड़ा करने से इन्कार करता है या असफल रहता है।	(बीस) रुपये दस हजार से अनधिक धनराशि
(इक्कीस) धारा–50 के प्रावधानों के अनुसार ट्रांजिट पास तैयार करने, प्रस्तुत (submit) करने अथवा साथ रखने में असफल रहता है, अथवा उसे धारा 50–क के प्राविधानों के अनुसार परिदत्त नहीं करता है।	(इक्कीस) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि जो भी अधिक हो।
(तेइस) किसी यान के स्वामी या संचलन में माल के स्वामी या ऐसे स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या ड्राइवर	(तेइस) अन्तर्ग्रस्त माल की कीमत के 40 प्रतिशत से अनधिक धनराशि या इस

	या यान अथवा माल के प्रभारी व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा राज्य के अन्दर से होकर माल के अभिवहन के लिये ट्रांजिट पास तैयार करने अथवा प्रस्तुत करने के बाद, धारा 50–क के अधीन स्थापित जाँच चौकी के प्रभारी अथवा धारा 42 या धारा 43 में सशक्त अधिकारी के समक्ष माल सहित ट्रांजिट पास की प्रतियाँ (produce) नहीं करता है अथवा धारा 50 के प्राविधानों के अनुसार यह प्रमाणित करने में असफल रहता है कि माल राज्य के बाहर ले जाया जा चुका है।	अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो।''

''धारा–59 का संशोधन

15. मूल अधिनियम की धारा–59 में–

(क) उपधारा (10) में आए शब्द ''दूसरे ब्यौहारी को'' हटा दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (10) के खण्ड (क) में शब्द ''चालान'' के पश्चात् शब्द ''प्रत्येक क्रमांकित'' संख्या एवं जारी करने की तारीख सहित'', अन्तर्विष्ट कर दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–15 तक खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012

राजस्व एवं सिंचाई मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक 2012 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–1 तक, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या– वर्ष 2012)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार स्वैच्छिक चकबंदी के लिए निर्गत अधिसूचना के अधीन पर्वतीय तहसीलों के राजस्व ग्रामों में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–161 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–161 की उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात् एक नया परन्तुक निम्नवत और जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 53–क के अधीन ऐसे राजस्व ग्रामों में, जहाँ स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु उक्त अधिनियम की धारा–4 की अधिसूचना निर्गत की गयी है, पर प्रथम परन्तुक के उपबन्ध, ऐसी अधिसूचना के प्रारम्भ से तीन वर्ष तक लागू नहीं होंगे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 तक, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री मयूख सिंह, श्री मदन कौशिक, श्री राजकुमार, श्री तीरथ सिंह, श्री पूरन सिंह फर्त्याल, श्री उमेश शर्मा (काऊ), श्री दान सिंह भण्डारी, श्री चन्द्र शेखर, श्री ललित फर्स्वाण, श्री हरबन्स कपूर, श्री प्रेम सिंह, श्री अजय टम्टा, श्री यतीश्वरानन्द तथा श्री चन्दन राम दास की कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री मयूख सिंह की सूचना जो कि विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत लैप्रोसी मिशन को दी गई भूमि पर असमाजिक तत्वों द्वारा किये गये कब्जे के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय सदस्य श्री ललित फर्स्वाण की सूचना जो कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कपकोट में कपकोट एवं काण्डा क्षेत्र के लिए पूर्व में स्वीकृत वृहद लिफ्ट पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में है, को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुईं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधान सभा क्षेत्र मसूरी के अन्तर्गत पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गणेश जोशी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शहरी विकास मंत्री का वक्तव्य

शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

[मसूरी विधान सभा के क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका परिषद्, मसूरी द्वारा मैसानिक लॉज बस अड्डे का चौड़ीकरण करते हुए तीन मंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जिसकी कुल लागत ` 219 लाख (` दो करोड़ उन्नीस लाख) की निर्धारित है। उक्त पार्किंग के निर्माण कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा 12 माह (एक वर्ष) निर्धारित की है। इस प्रकार इस कार्य को माह जुलाई, 2012 में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्माणाधीन स्थल पर बिछायी गयी सीवर व पेयजल लाईनों को हटाया जाना था, परन्तु डिमरी निवास के निवासियों को उक्त स्थल से ही पेयजल एवं सीवर संयोजन प्रदान किए गए थे, जिस कारण उक्त लाईनों को हटाने से पूर्व डिमरी निवास के निवासियों को पृथक स्थल या लाईन से संयोजन की व्यवस्था की जानी है। इस कारण से लाईनें न हट पाने के कारण कार्य विलम्ब से अर्थात दिसम्बर, 2011 से प्रारम्भ हुआ। वर्तमान में पर्यटन सीजन को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी द्वारा निर्माण सामग्री लाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है। अभी तक 20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उक्त पार्किंग निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2012 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। इस पार्किंग की क्षमता लगभग 300 कार व 11 बसों की प्रस्तावित की गयी है।,

विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर में रा0उ0मा0वि0 लखनाडी, जू0हा0 लोद, रा0इ0का0 मनसारीनाला चौड़ा, कन्या इ0का0 सोमेश्वर आदि विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय टम्टा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

*शिक्षा मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

[विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत संचालित निम्न विद्यालयां में शिक्षकों की स्थिति निम्नवत् है–

1. रा0उ0मा0नि0 लखनाडी–विद्यालय में सहायक अध्यापक एल0टी0 में 07 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 04 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं एवं एवं 03 पद रिक्त हैं। वर्ष 2011–12 में नवीन नियुक्ति के माध्यम से 02 सहायक अध्यापकों (01 हिन्दी 01 विज्ञान)

नोटः–[ ] ये अंश पढ़े हुये माने गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की नियुक्ति की गयी, जिसमें से सहायक अध्यापक हिन्दी के अभ्यर्थी के द्वारा अद्यतन कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। सहायक अध्यापक विज्ञान के पद पर अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। वर्तमान में विद्यालय में 02 पद सहायक अध्यापक के रिक्त हैं।

2. जूनियर हाईस्कूल लोद–जूनियर हाईस्कूल लोद पृथक से अस्तित्व में नहीं है। दिनांक 23–08–2006 को उक्त विद्यालय का हाईस्कूल स्तर पर उच्चीकरण हो चुका है, और वर्तमान में रा0उ0मा0वि0 लोद के नाम से विद्यालय संचालित है। रा0उ0मा0वि0 लोद में सहायक अध्यापक एल0टी0 के स्वीकृत 07 पदों के सापेक्ष 06 पद रिक्त है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2011 के प्राविधानों के अनुसार विद्यालय सुगम श्रेणी में होने के कारण विद्यालय में नवीन नियुक्ति/पदोन्नति के माध्यम से पदस्थापना नहीं की जा सकी। जूनियर हाईस्कूल के 03 सहायक अध्यापक भी विद्यालय में कार्यरत है।

3. राजकीय इण्टर कॉलेज मनसारीनाला, चौडा–विद्यालय में प्रवक्ता के स्वीकृत 10 पदों के सापेक्ष 07 कार्यरत हैं तथा 03 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार सहायक अध्यापक एल0टी0 के स्वीकृत 11 पदों के सापेक्ष 08 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं एवं 03 पद रिक्त है। सीधी भर्ती के माध्यम से वर्ष 2011–12 में सहायक अध्यापक अंग्रेजी, स0अ0 गणित एवं स0अ0 कला पदों में नवीन नियुक्ति से पूर्ति की गयी है।

4. राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज सोमेश्वर–विद्यालय में प्रवक्ता के स्वीकृत 09 पदों के सापेक्ष 04 प्रवक्ता कार्यरत हैं व 05 पद रिक्त है, इसी प्रकार सहायक अध्यापक एल0टी0 के स्वीकृत 09 पदों के सापेक्ष 08 सहायक अध्यापक कार्यरत तथा 01 पद रिक्त हैं। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2011 के प्राविधानों के अनुसार विद्यालय सुगम श्रेणी में होने के कारण विद्यालय में नवीन नियुक्ति/पदोन्नति के माध्यम से पदस्थापना नहीं किया जा सका।]

(घोर व्यवधान के मध्यम)

सदन को अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।

भारत–भाग्य–विधाता।।

पंजाब–सिन्ध–गुजरात–मराठा

द्राविड़–उत्कल–बंग।

विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,

उच्छल–जलधि–तरंग।।

तव शुभ नामे जागे,

तव शुभ आशिष मांगे।।

गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,

भारत–भाग्य–विधाता।।

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, अनिश्चित काल के लिए।

(''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन की कार्यवाही 3 बजकर 33 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून
दिनांक : 08 जून, 2012

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 34 विधान सभा / 651–06–03–2013–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / रीजियो)।